खण्ड-384, अंक-2
बुधवार, 5 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(24 फरवरी, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–4
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या का मन्त्री द्वारा अन्तरिम उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	3–4
प्रश्नोत्तर (क्रमागत)	4–78
श्री अब्दुल गफ्फार खां के निधन पर शोकोद्गार	78–83
बिहार के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री श्री कर्पूरी ठाकुर के निधन पर शोकोद्गार ..	83–88
उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री इरतफा हुसैन, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुवीर सहाय तथा श्री रमेश वर्मा के निधन पर शोकोद्गार ..	89–96
नत्थियां	97–104

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1988

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे –

अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मान बहादुर सिंह, श्री	गोण्डा
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राम आसरे वर्मा, श्री	सुल्तानपुर
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
गौरी शंकर, श्री	इटावा	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
चेतराम गगवार, श्री	बरेली	शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
नरेन्द्र सिंह, चौधरी	कानपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
पद्मासेठ, श्रीमती	सीतापुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण कुमार शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
प्रमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती	बदायूं	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी	सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
बल्देवसिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी	सैयद सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
		हीरा सिंह बिष्ट, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 24 फरवरी, 1988

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की संख्या

**1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं और उन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना के भीतर उद्योग युक्त बनाये जाने के लिए राज्य सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम औतार दीक्षित)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न 1 का मंत्री द्वारा अन्तरिम उत्तर दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

(मा0 श्री राम औतार दीक्षित, पर्वतीय विकास एवं सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा अन्तरिम उत्तर पढ़े जाने पर)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, मेरे प्रश्न पर मुझे लिखित सूचना प्राप्त हुई है, जो मैं आपके पास भेज रहा हूं । मान्यवर, विधान सभा के माध्यम से मान्यवर, मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार की उदासीनता और अवहेलनापूर्ण नीति का परिचायक है कि प्रश्नकर्ता सदस्य को उत्तर प्राप्त हो गया है और मा0 मंत्री जी द्वारा सदन में कहा जा रहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस सूचना के साथ आपको उत्तर भिजवा रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न के उत्तर में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता । आप मुझे तो सुन लीजिये । आप बैठें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, यह प्रश्न पहले भी आ चुका है, यह बड़ा ही अहम प्रश्न है । मंत्री जी इसके संबंध में पहले भी आश्वासन दे चुके हैं । आप इसका उत्तर दिलवा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्य मंत्री, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भविष्य में इस किस्म का जवाब नहीं आना चाहिये ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जब आप जवाब भेज चुके हैं और मा0 सदस्य को मिल गया है तो आप कैसे कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है ? यह बहुत ही अनुचित है । यह बहुत ही गैर मुनासिब है । मैं चाहूंगा कि भविष्य में ऐसा न हो ।

श्री राम शरण दारा–

इनको सदन के सामने खेद प्रकाश करना चाहिये ।

प्रश्नोत्तर–(क्रमागत)

विधान मण्डल, संसद सदस्य, जन प्रतिनिधियों से शिष्ठ व्यवहार के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों हेतु शासनादेश

**2–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मंडल, संसद सदस्य, जन प्रतिनिधियों तथा जनता से शिष्ट व्यवहार करने हेतु पत्रांक 9/6/1977-1 कार्मिक-1 दिनांक 16 जुलाई, 1977 और शा0 प0 सं0 19/18/1977-1-10 कार्मिक-1 दिनांक 10 अगस्त, 1977 द्वारा दिये गये निर्देशों का सचिवालय के सभी मंत्रालय की अधिकारियों तथा जनपदों के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से पालन कराने के संबंध में कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

शासनादेश सं0-9/6/77-1 कार्मिक-1 दिनांक 16 जुलाई, 1977 एवं शासनादेश सं0-19/18/77-1 कार्मिक-1 दिनांक 10 अगस्त, 1977 द्वारा यह निर्देश जारी किये गये थे कि संसद सदस्यों, विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्यों तथा जनता के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार अत्यन्त मृदु, सरलता तथा विनम्रता का होना चाहिये । यदि इन शासनादेशों की अवहेलना की कोई सूचना प्राप्त होती है तो आवश्यक कार्यवाही की जाती है/की जायेगी ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि विधायकों की गरिमा और अधिकारियों के व्यवहार और आचरण से संबंधित है । मान्यवर, इस प्रश्न के संदर्भ में मैं मा0 मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि शिकायत तो तभी होगी, जबकि जानकारी होगी। मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि मान्यवर, इसी मा0 सदन के अधिकांश मा0 सदस्यों को पता नहीं है कि आचरण सम्बन्धी क्या-क्या नियम सरकार की ओर से दिये गये हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अपेक्षा करूंगा कि यह जो दो कार्मिक विभाग के शासनादेश हैं, कृपा करके उनको पढ़ने की कृपा करें, ताकि सभी मा0 विधायकों को पता चल जाय कि क्या-क्या आचरण सम्बन्धी नियम सरकार की ओर से निर्धारित किये गये हैं और उनका पालन हो रहा है या नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यहां पर पढ़ भी दूंगा और जो मा0 सदस्य का सुझाव है, इस पत्र की प्रतिलिपि सभी मा0 सदस्यों को भिजवा भी दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी, जहां तक मैं मा0 सदस्य की भावना समझ पाया हूं, वह यह चाहते हैं और हर मा0 सदस्य चाहता है कि जो भी आदेश दिये गये हैं, उनका कड़ाई पालन हो।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं सदन की भावनाओं से पूरी तरह से सहमत हूं और भविष्य में कड़ाई से पालन किया जायगा। इस सम्बन्ध में उचित निर्देश जारी किये जायेंगे। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि माननीय जन प्रतिनिधियों को पर्याप्त आदर और सम्मान मिले। मैं 16 जुलाई, 1977 का पत्र पढ़े दे रहा हूं।

"प्रिय महोदय, शासन को इस प्रकार की शिकायतें बराबर मिल रही हैं कि जब हमारे विधायकगण या संसद सदस्य जिले में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जाते हैं तो उनके अधीनस्थ कर्मचारी उनसे उस प्रकार का व्यवहार नहीं करते जिस प्रकार के व्यवहार की उनसे अपेक्षा की जाती है। देश की बदली हुई परिस्थिति में यह स्थिति अत्यन्त अवांछनीय है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह सभी के साथ अपना मृदु व्यवहार बनाये रखे और ईमानदारी और परिश्रम से अपने कर्तव्य का पालन करे। सभी वरिष्ठ अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर कड़ी निगाह रखे कि संसद सदस्यों व विधायकों के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त ही नम्र हो और भविष्य में इस संबंध में कोई शिकायत न आने पावे ।" यह पत्र कृपा नारायण श्रीवास्तव मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुआ था।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, दूसरा पत्र भी पढ़वा दें।

श्री अध्यक्ष–

क्या आपके दो आदेश हैं इस सम्बन्ध में।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, दूसरा पत्र 10 अगस्त, 1977 का है यह श्री कृपानारायण श्रीवास्तव मुख्य सचिव की तरफ से जारी हुआ । "प्रिय महोदय-कृपया मेरे अर्धशासकीय पत्र संख्या 9/6/1977-कार्मिक-1 दिनांक 16 जुलाई, 1977 का अवलोकन करें जिसमें सभी विभागाध्यक्षों एवं जिला स्तर के अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य है कि वह विधायकगण एवं संसद सदस्यों के साथ मृदु एवं शिष्टता का व्यवहार करें ।

2–इसी क्रम में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गई है कि न केवल अधिकारी स्तर पर बल्कि जन सम्पर्क के सभी बिन्दुओं के छोटी से छोटी इकाई स्तर पर आम जनता तथा जन प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान दिया जाय और संयम पूर्वक तथा शिष्टता से कार्य सम्पादित किया जाय। शासन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता

है कि कठिन परिस्थिति में भी संयम से कार्य किया जाए जिससे कोई अप्रिय घटना न घटित हो ।

3–आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को अवगत कर दें तथा इनका अनुपालन सुनिश्चित करा लें।''

मान्यवर, जो माननीय सदस्यों की भावना है, उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं लोकतंत्र का यह तकाजा है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के जनहितकारी व कल्याण-कारी कार्यों के सिलसिले में अधिकारियों से मिलना पड़ता है । ऐसे कदम सरकार की ओर से उठाये गये हैं कि इन आदेशों का कड़ाई से पालन हो। मैं माननीय सदस्यों से इसमें सहयोग भी चाहता हूं और सुझाव भी चाहता हूं कि वह ऐसे सुझाव दें जिससे इनका कड़ाई से पालन हो सके।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, जनप्रतिनिधियों को अधिकारियों से मिलने के लिये सबसे पहले तो चिट भेजनी पड़ती है। कोई भी अधिकारी शिष्टाचार के नाते अब खड़े भी नहीं होते हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब कोई माननीय संसद सदस्य या विधायक किसी अधिकारी के पास किसी कार्य के लिये जाय तो वह अधिकारी उनके सम्मान में खड़ा होगा या नहीं? दूसरे, चिट भेजने पर उसे तुरन्त बुलाना चाहिये या वेट कराना चाहिये?

श्री अध्यक्ष–

मा0 सरदार सिंह जी इखलाकन तो जो भी आए उसके लिए खड़ा होना चाहिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय सरदार जी ने जो बात उठायी वह तो अपनी जगह सही है ही। मैं अधिकारियों द्वारा जो भाषा इस्तेमाल की जाती है पत्रों में उसकी ओर भी ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यह जो पत्र पढ़ रहा हूं इसे मैं आपकी सेवा में भी भेज रहा हूं। इसमें आपका संरक्षण चाहूंगा। यह पत्र एक प्रतीकस्वरूप है कि अधिकारी कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। यह पत्र भेजा है अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर छठा वृत्त ने लिखा है–इस पत्र की प्राप्ति के 10 दिन के अंदर जांच अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें और आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करें। आप 10 दिन के अंदर जांच अधिकारी से न मिले यह समझा जायेगा कि आपके पास शिकायत की पुष्टि नहीं है । मान्यवर, ऐसा लगता है यह कोई अदालत का आदेश है। मान्यवर, ऐसे तमाम उदाहरण हम विधायकों को सुबह शाम देखने को मिल रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाले अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन देंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस संदर्भ में मैंने स्पष्ट किया कि शासन की यह नीति और मंशा रही है कि अत्यन्त मृदु और शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया जाय जनप्रतिनिधियों के साथ। अगर किसी प्रकरण में भाषा में कठोरता आयी है तो उसके लिये मुझे खेद है । मैं पुनः निर्देश दूंगा कि पूर्णतया शिष्टता बरती जानी चाहिए ।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सरदार सिंह, श्री पूरन सिंह माहरा तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब बैठें । माननीय दिवाकर जी आप तो नेताओं की बैठक में उपस्थित थे आपकी सहमति से वहां सब बातें तय हुई थी । आपका तो सहयोग होना चाहिए । अब मैं नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न-1 ले रहा हूं।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन अभी इसमें 5 मिनट बाकी हैं।

(श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री सरदार सिंह तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें । इस तरीके से कोई बात नहीं चलेगी । मैं मजबूरन हाउस को स्थगित कर दूंगा। आप सब बैठें माननीय नौटियाल जी अब आप इसमें आखिरी सवाल पूछ लें बस।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री या किसी सदस्य विशेष की बात नहीं है। यह पूरे सदन का प्रश्न है । माननीय मंत्री जी ने जी0 ओ0 का हवाला दिया कार्मिक विभाग के माननीय सरदार सिंह जी ने अभी एक बात पूछी थी। जब भी कोई विधायक या सांसद सदस्य किसी अधिकारी से किसी कार्य वश मिलने जायेगा तब वह खड़े होकर रिसीव करेगा और फिर अपने दरवाजे तक लेकर जायें। इस तरह का जो माननीय मंत्री जी ने पत्र पढ़ा, उसमें इस तरह के किसी उत्तर का समावेश नहीं किया गया है जब कि मान्यवर, यह सभी विधायकों और माननीय सदन का प्रश्न है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक-एक पत्रावली और जो कार्मिक विभाग का शासनादेश है, उसकी प्रति को मैं भिजवा दूंगा। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं कि क्या यह उन तमाम अधिकारियों, सचिवालय स्तर के सेक्रेटरियों और सेक्शन आफीसरों को भी उसकी प्रति भेजेंगे, जिन्हें उन आचरणों का पालन करना है? मैं कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर, सचिव, सेक्शन आफीसर किसी का भी सम्मान नहीं करते हैं। क्या माननीय मंत्री जी उनको इस शासनादेश की प्रति भेजने की बात सुनिश्चित करेंगे? कि जो माननीय सदस्यों को और जो विधान मंडल के सदस्य हैं, उन्हीं को भेजेंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि पूरे दिलो दिमाग से इस सन्दर्भ में मैं चाहता हूं, और सरकार का भी मत है कि इन नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

जो आपका सरकुलर गया है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए और जो अधिकारी पालन न करें, उनको दंडित किया जाना चाहिये।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1985 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ में अनियमित नियुक्ति एवं सेवा मुक्ति का मामला

*1—श्री त्रियुगी नारायण मिश्र—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ के अधिशासी अधिकारी ने अपने स्थानान्तरण आदेश प्राप्ति के 10 दिन के बाद उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ में कार्यरत लगभग 30 कार्यालय लिपिक आदि को सेवा मुक्त कर दिया ? यदि हां, तो सेवा मुक्त करने का क्या आधार है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि स्थानान्तरण होने के पूर्व कितने व्यक्तियों की नियुक्ति उन्होंने अपने हस्ताक्षर से की है और उसके आधार क्या है ?

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री त्रियुगी नरायण मिश्र—

मान्यवर, यह मामला बहुत पुराना है और काफी समय से यह स्थगित है । इसकी सारी सूचनायें तो लखनऊ में ही मौजूद है और माननीय मंत्री जी कह रहे है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में बिना वजह देर क्यों की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

आप इसका कब तक जवाब दे देंगे ?

श्री निसार अहमद—

मान्यवर, यह जो विलम्ब हो रहा है और सूचना प्राप्त नहीं हो रही है, मैंने उसके लिये जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही के आदेश दे दिये है ।

श्री त्रियुगी नरायण मिश्र—

मान्यवर, यह एक तरफ कह रहे है कि सूचना एकत्र की जा रही है और दूसरी तरफ कह रहे है कि कार्यवाही के आदेश दे दिये है, इस दोतरफा उत्तर का क्या मतलब है ?

श्री निसार अहमद—

सूचना न आने के संबंध में ही जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है क्यों नहीं वह समय से सूचना भेज रहे है ?

राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद् की उपसमिति द्वारा जल प्लावन एवं भूमिगत जल के नियन्त्रण के सम्बन्ध में निर्धारित नीति

*2—कुंवर मानवेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राष्ट्रीय जल स्त्रोत परिषद् की 9 जनवरी, 1986 को उप समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जल प्लावन एवं भूमिगत जल की गिरती रासायनिक गुणवत्ता को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या नीति एवं दीर्घ-कालिक कदम उठाये जा रहे है ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद् की उप समिति (कार्यकारी दल) की दिनांक 9-1-86 की बैठक के उपरान्त इन विषयों पर अन्य बैठकों में चर्चा हुई और राष्ट्रीय जल नीति को अन्तिम रूप देकर परिषद् द्वारा अनुमोदित भी किया गया । उसमें लिये गये निर्णय निम्न प्रकार है :–

निर्णय

राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद् की दिनांक 9-9-87 को द्वितीय बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय जल-नीति को अन्तिम रूप देकर अनुमोदित तथा जारी किया गया । इस नीति में सतही तथा भू-जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण करने, उसको सुधारने का तथा बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबन्ध पर देश-व्यापी नीति को बताया गया है ।

विभाग की नीति

इस नीति के अनुपालन में जल-प्लावन को रोकने के लिये विभाग की नीति है कि सतही जल का स्त्रोत से लेकर खेतों तक इष्टतम प्रबंध/उपयोग किया जाय और साथ ही साथ सतही और भू-जल का समन्वित उपयोग इस प्रकार किया जाय कि यह पैदा ही न हो ।

रोकथाम के उपाय

इस नीति के अनुपालन में प्रदेश में जल-प्लावन को रोकने के लिये निम्न कार्य किये जा रहे हैं :–

1–नहरों के किनारे-किनारे सीपेज ड्रेन तथा सम्बद्धर्न नलकूपों का निर्माण ।

2–जल-प्लावन से प्रभावित क्षेत्रों में वर्तमान नालों की सफाई/सुधार तथा उनकी क्षमता का बढ़ाया जाना । इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार नये नालों का निर्माण ।

3–जल-प्लावन के क्षेत्रों में नहरों की लाइनिंग का किया जाना ।

4–नहरों की टेल-गूलों का बनाया जाना जिससे पानी खेतों में तथा अन्य स्थानों पर न फैले ।

5–नालों पर बने सड़क व रेल के पुलों के पक्के फर्श आवश्यकतानुसार स्थिति के अनुरूप नीचा किया जाना जिससे पानी वहां न रूके और प्राकृतिक नालों/नदियों में आसानी से बहकर चला जाय ।

भूमिगत जल

भूमिगत जल की गिरती रसायनिक गुणवत्ता को रोकने के संबंध में भू-गर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा भूगर्भ जन सर्वेक्षण एवं अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है ।

यूपिका के प्रदेश के भीतर एवं बाहर के शो रूमों में माल स्थानान्तरण नीति

*3–श्री भगौती सिंह–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि यूपिका के विभिन्न शो रूम जो प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित हैं एक दूसरे को आवश्यकतानुसार माल स्थानान्तरित करते हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986-87 में किस-किस शो रूम से कितने-कितने रुपये का माल स्थानान्तरित हुआ? क्या नियमानुसार इनकी पूर्व स्वीकृति मुख्यालय से प्राप्त कर ली गयी थी? यदि नहीं, तो क्या उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री निसार अहमद अंसारी–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

जी नहीं। मुख्यालय से स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् एक शो-रूम से दूसरे शो रूम के माल का स्थानान्तरण करने से संबंधित प्रतिबन्ध वर्ष 86-87 में नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री भगौती सिंह–

इस प्रश्न का मुख्य अंग वर्ष 1986-87 में किस-किस शो-रूम से कितने-कितने रुपये का माल स्थानान्तरित हुआ, जिसमें माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सूचना एकत्र की जा रही है। मान्यवर, यह प्रश्न 10-9-1987 को दिया गया था, लेकिन माननीय मंत्री जी अभी तक इस पर सूचना नहीं मंगवा पाये हैं। माननीय मंत्री जी इसकी सूचना कब तक आ जायेगी?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, बहुत जल्द आ जायेगी।

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी निश्चित अवधि तो बतायें कि कब तक आ जायेगी?

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, जब आपका आदेश होगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सूचना जल्दी आ जाये।

जनपद देहरादून में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों के निर्माण हेतु निविदायें

*4–श्री हर्ष वर्धन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देहरादून जनपद में यमुना नदी पर बनने वाले लखवाड़ एवं व्यासी बांधों के लिए 30 अप्रैल, 1985 को आमंत्रित निविदाओं पर शासन द्वारा 30 अप्रैल, 1987 को स्वीकृति प्रदान की गयी? यदि हां, तो निविदाओं के संबंध में विलंबित निर्णय किये जाने के कारण ठेकेदार/फर्मों को 30 अप्रैल, 1985 की दर से क्या 40 करोड़ रुपया अधिक का भुगतान करना पड़ेगा? यदि हां, तो इस विलंबित निर्णय हेतु दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी?

मत्स्य राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ठेकेदार/फर्मों तथा सिंचाई विभाग के बीच कोई एग्रीमेन्ट हुआ था, यदि हां, तो उस एग्रीमेन्ट की मुख्य-मुख्य शर्तें क्या हैं। दूसरा, टेन्डर जो मांगा गया वह 30 अप्रैल, 1985 को मांगा गया और 2 साल बाद 20 अप्रैल, 1987 को इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। 2 साल के बाद स्वीकृति प्रदान होने से सरकार को कितना ज्यादा पेमेण्ट करना पड़ा, इसे भी माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, वही तो सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए अन्तरिम उत्तर दिया गया है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जायेगी, वह दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

कब तक प्राप्त हो जायेगी?

श्री सीताराम निषाद–

जल्दी प्राप्त होने के लिए प्रयास किया जा रहा है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि ठेकेदार/फर्मों तथा सिंचाई विभाग के बीच कोई एग्रीमेन्ट हुआ था, यदि हां, तो क्या वह एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि भी गायब हो गई है। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है। एग्रीमेन्ट की मुख्य मुख्य शर्तें क्या थी इसे माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें और सरकार के खजाने से कितना पेमेण्ट किया गया, इसे भी माननीय मंत्री जी बता दें?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आपके पास सूचना है तो बता दें।

श्री सीताराम निषाद–

जब सूचना आ जायेगी, तभी तो उत्तर दिया जायेगा।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, शासनी व ठेकेदार/फर्मों के बीच एक एग्रीमेन्ट हुआ है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। भ्रष्टाचार का यह गम्भीर मामला है। इसको माननीय मंत्री जी उजागर नहीं होने देना चाहते। इसलिए मान्यवर, इस पर स्पष्ट उत्तर दिलवायें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर आप 10 दिन के अन्दर उपलब्ध करवा दें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, अभी तो यह सत्र चल रहा है, इसी सत्र में इसका उत्तर दे दिया जायेगा।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हर सवाल का उत्तर ये लोग यही दें कि जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक उत्तर/जवाब आ जायेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस सवाल के बारे में और इससे पूर्व जो सवाल हो चुके हैं, उन सबके बारे में मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, इस सवाल की स्थगन तिथि 30-12-1987 थी, नियमानुसार स्थगन के बाद 15 दिन में उत्तर आ जाना चाहिए। आज दो महीना हो गया, अभी भी नियम विरुद्ध ही उत्तर आ रहा है। कहा जा रहा है सूचना एकत्र की जा रही है मान्यवर, आपसे चाहूंगा कि आप शासन की इस नीति की भर्त्सना करें। यदि यही स्थिति चलती रही तो भविष्य में इस प्रकार के भ्रष्टाचार के गहन मामलों का निस्तारण कैसे होगा ? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज 2 महीने हो गये हैं, सूचना न आने का क्या कारण है?

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले ही अनुरोध कर दिया है। इस प्रश्न की सूचना 10 दिन के अन्दर आने के लिए कह दिया है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जो 40 करोड़ का अधिक भुगतान हो गया है, उसमें से सिर्फ अभी इन्हें 3 करोड़ का कमीशन मिला है, एक करोड़ का कमीशन अभी शेष है, इसलिए उत्तर नहीं आ रहा है। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस एक करोड़ के कमीशन को माफ कर दें और इस प्रश्न का उत्तर दे दें।

श्री अध्यक्ष–

उत्तर न आने के कारण ही मैंने 10 दिन के अन्दर सूचना मंगवाई है। मैंने इसी-लिए कहा कि 10 दिन में सूचना दे दें।

जनपद फैजाबाद के कटहरी ब्लाक में स्थित दरवन झील में नहरों एवं माइनरों के कटान के पानी से फसलों की कथित क्षति

*5–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की कटहरी ब्लाक में स्थित दरवन झील में नहरों की टेल गिरने के कारण तथा नहर की माइनर के पानी के कटान से हर वर्ष झील के किनारे स्थित लगभग एक दर्जन से अधिक ग्रामों की लगभग डेढ़ हजार एकड़ जमीन की फसल जलमग्न होकर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी फैजाबाद के निर्देश दिनांक 15-1-87 के अनुसार परगनाधिकारी अकबरपुर जनपद फैजाबाद द्वारा दिनांक 10-4-87 की तहसीलदार अकबरपुर की रिपोर्ट के आधार पर जो आख्या भेजी गयी है उससे भी उक्त तथ्यों की पुष्टि होती है? यदि हां, तो दरबान झील से हर वर्ष इस प्रकार की होने वाली क्षति को रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है और अब तक की क्षति का मुआवजा प्रभावित किसानों को कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री सीता राम निषाद–

जनपद फैजाबाद के कटहरी ब्लाक में स्थित दरवन झील में नहरों की टेल गिरने तथा माइनरों के कटान के पानी से प्रश्नगत क्षेत्र जलमग्न होने के कारण फसलों की क्षति नहीं होती है।

जिलाधिकारी फैजाबाद के निर्देश दिनांक 15-1-87 के अनुपालन में तहसीलदार अकबरपुर ने अपनी आख्या दि0 10-4-87 में कटहरी ब्लाक के तालाब से प्रभावित होने के कारणों में इस बात का उल्लेख किया है कि यह शारदा सहायक के माइनर के कटान के पानी से है परन्तु यह सत्य नहीं है। जिलाधिकारी को इस स्थिति से संबंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा सूचित कर दिया गया है।

दरवन झील से वर्षा के पानी निकालने की वास्तविक समस्या समाधान हेतु 350 क्यूसेक क्षमता की दरवन ड्रेन का निर्माण किया गया है । ड्रेन के कि0 मी0 02-2 पर रेलवे पुल, तली से 0–70 मी0 ऊंचा होने के कारण इस ड्रेन से जल का समुचित निकास होने में अवरोध है। मुआवजा दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, इस सम्बन्ध में मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, जब करीब एक दर्जन गांव के निवासियों ने जिलाधिकारी, फैजाबाद को दरखास्त दी कि माइनर के कटान का जो पानी आता है, उसके कारण हर साल बरसात में एक दर्जन गांवों की फसलें जलमग्न हो जाती हैं, उस पर जिलाधिकारी ने एस0 डी0 एम0 अकबरपुर को निर्देश दिया और तहसीलदार, अकबरपुर ने मौके पर जाकर उस बात को सत्य पाया और अपनी आख्या दी। मंत्री जी कह रहे हैं कि तहसीलदार, अकबरपुर की आख्या सत्य नहीं है, अधिशासी अभियन्ता ने जिलाधिकारी को इससे अवगत करा दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि तहसीलदार, अकबरपुर ने स्थल निरीक्षण के बाद जो आख्या दी, वह आख्या क्या है और उसे असत्य मानने का क्या कारण है?

श्री सीताराम निषाद–

दरबन में चार माइनर का पानी आता है, जिसमें धारुपुर माइनर है, जिसका 3.62 क्यूसेक पानी आता है, रामापुर माइनर का 1.60 क्यूसेक पानी आता है और परमानपुर माइनर का 7.31 क्यूसेक पानी आता है। इस प्रकार कुल 17.68 क्यूसेक पानी माइनर्स से आता है, जब कि उस झील का पानी निकालने के लिए दरबन ड्रेन तथा जलालपुर ड्रेन का निर्माण कराया गया है। इन निकास नालों की बहाव क्षमता क्रमशः 350 क्यूसेक तथा 50 क्यूसेक है। यह इसी से साबित होता है कि जो बरसात का पानी होता है, अधिक होता है, उसको निकालने के लिए इतनी क्षमता के ड्रेन बनाये गये हैं, 17 क्यूसेक से इतना जल भराव नहीं होता है, यह इसी से स्पष्ट है।

श्री जनार्दन प्रसाद भोक्ता–

मान्यवर, यह एक अजीब स्थिति है। यह बात सही है कि किसानों की क्षति हुई है, किस माइनर में कितना पानी आया किसमें नहीं आया इससे मतलब नहीं है। एक सरकारी अधिकारी, तहसीलदार, अकबरपुर, जो राजस्व विभाग का सक्षम अधिकारी है, उसने मौके पर जांच की और अपनी रिपोर्ट दी कि किसानों का नुकसान

हुआ है, मंत्री जी इन्जीनियर के चक्कर में दो और दो छः का जोड़ लगा रहे हैं, मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इससे आश्वस्त हैं कि नहीं कि किसानों का नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान हुआ है, इससे मतलब नहीं है, उन किसानों की क्षतिपूर्ति न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो मैंने जानकारी दी है उसमें यही है कि गांव या क्षेत्र वही प्रभावित होते हैं जहां बरसात का पानी झील में आता है और उस पानी के कारण वह प्रभावित होते हैं। यदि माइनर के पानी से हानि होती तो क्षतिपूर्ति कराये जाने का प्रश्न उठता। जब 17 क्यूसेक पानी आ रहा है और 400 क्यूसेक पानी निकालने की व्यवस्था हम कर चुके हैं, यह सही है कि कभी-कभी सिंचाई में "नो डिमाण्ड" रहता है, उस समय झील का पानी खारिज किया जाता है। इसमें नहर विभाग का कोई संबंध नहीं है कि उससे क्षतिपूर्ति करायी जाय। झील के पानी से खेती की क्षति होती है इसीलिए सरकार ने इतना पैसा खर्चा करके ड्रेन निकाली है कि इससे किसानों का फायदा हो।

श्री आंसान सिंह–

मान्यवर, यह मात्र फैजाबाद जनपद का ही प्रश्न नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश में सिंचाई विभाग की आवारा टेलें हैं जो कि रबी में हजारों एकड़ भूमि को बेकार कर देती हैं और उनसे किसानों का बड़ा नुकसान होता है । क्या माननीय मंत्री जी अपने विभाग की आवारा टेलों को किसी नदी या नालों में गिराने का आश्वासन देंगे ? दूसरी बात यह है कि जब नहरों के पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तब भी नहरें चलायी जाती हैं । किसी माईनर पर रेगुलेटर नहीं हैं । पानी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये कि जब पानी की आवश्यकता हो तभी पानी दिया जाय अन्यथा उसे बन्द कर दिया जाय । क्या मंत्री जी जहां पर रेगुलेटर नहीं हैं वहां आप रेगुलेटर बनवाने की कृपा करेंगे ? और आवारा टेलों को नदियों में या नालों में गिराने का आश्वासन देंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जहां नहरों के पानी की आवश्यकता नहीं है, वहां पानी नहीं दिया जाता है, जहां पानी की आवश्यकता है वहां ही पानी दिया जाता है । रेगुलेटर लगाये गये हैं जहां पानी की आवश्यकता है वहां ही पानी दिया जाता है । रेगुलेटर लगाये गये हैं और जहां रेगुलेटर लगाना अभी शेष है, वहां रेगुलेटर लगाये जायेंगे । अभी टेलों के संबंध में माननीय सदस्य ने जो कहा है तो हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनको देखते हुए टेलों के पानी को नदियों में और नालों में गिराने का प्रयास किया जा रहा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

अभी माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि ड्रेनों के जो बनायी गयी हैं उसमें से एक ड्रेन 70 मी0 ऊंची है जिसके कारण ड्रेन से समुचित पानी की निकासी नहीं हो पाती है । जब सरकार यह जानती है तो पानी की निकासी रेगुलेटर हो और किसान क्षति न हो, इसके लिये सरकार क्या कर रही है ? दूसरी बात कि तहसीलदार अकबरपुर की रिपोर्ट क्या है कि किन किसानों को कितने करोड़ की क्षति हुई । जिस समय बरसात होती है, टेलों के पानी से नदी भर जाती है । क्या आप तहसीलदार की रिपोर्ट को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, तहसीलदार ने बरसात के पानी की और माईनर के पानी की रिपोर्ट एक साथ ही मिलाकर बनायी है, अलग-अलग नहीं बनायी है कि कितना माईनर से नुकसान हुआ है और कितना बरसात के पानी से । भीटी ब्लाक के 6 गांवों की उसने 221 बीघा 13 बिस्वा 1 बिस्वांसी की क्षति दशायी है और कटेहरी ब्लाक में 1149 एकड़, 15 बिसवां और 03 बिस्वांसी का नुकसान दिखाया गया है । मान्यवर साथ ही एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि यह ड्रेन जहां पर निकाली गयी है, उस ड्रेन के ऊपर से एक रेलवे लाईन जाती है और उस पर के पुल के बारे में जहां तक जानकारी प्राप्त हुयी है, उसके अनुसार 75 मीटर उसको गहरा करने की आवश्यकता है, इसलिए इस संबंध में मैं रेल मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है या तो वह स्वंय इसको गहरा करा दें अन्यथा वह इसकी हमको अनुमति दे दें, ताकि उसको समय से गहरा करा दिया जाय और सारा का सारा पानी आसानी से निकाल दिया जाए ।

जनपद मुरादाबाद के ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी में राम गंगा के पानी को रोकने हेतु मिट्टी एवं पिचिंग कार्य का व्यय विवरण

*6–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के ग्राम सैदपुर पट्टी जहां रामगंगा नदी गागन नदी में जा गिरी है उस एक कि0 मी0 की दूरी पर जो बांध बाढ़ खण्ड मुरादाबाद द्वारा वर्ष 1981-82 से बनाया जा रहा है, के हर वर्ष बह जाने के क्या कारण हैं और प्रति वर्ष इस पर दस लाख रुपया किस प्रकार व्यय हो जाता है ? क्या मंत्री जी इस घोटाले की जांच विजिलेन्स द्वारा करायेंगे और बांध का निर्माण पूर्ण करायेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

जनपद मुरादाबाद के ग्राम सिकन्दरपुर पट्टी न कि सैदपुर पट्टी में राम गंगा नदी के पानी के बहाव गागन नदी में मिलने के फलस्वरुप गागन नदी के किनारों की उपजाऊ भूमि क्षतिग्रस्त हुई । इसे रोकने हेतु गैपों को भरने की योजना न कि बांध का कार्य वर्ष 1981-82 में आरम्भ किया गया तथा इसे मई 1982 में पूर्ण कर दिया गया ।

दिनांक 28/29 जुलाई, 1982 की रात्रि को रामगंगा नदी में अधिक पानी आ जाने एवं उसके आउट फ्लैंकिंग के फलस्वरूप उक्त कार्य क्षतिग्रस्त हो गया । इस कार्य की मरम्मत वर्ष 1983-84 व 1984-85 में करायी गयी । अप्रैल 1984 में कालागढ़ डेम से अप्रत्याशित पानी राम गंगा में प्रत्यावर्तित किये जाने से प्रगति के मध्य उक्त कार्य पुनः क्षतिग्रस्त हो गया । उक्त कार्य में प्रतिवर्ष किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	व्यय (लाख रु0 में)	कार्य का विवरण
1981–82	00.03	मिट्टी का कार्य
1982–83	04.59	मिट्टी एवं पिचिंग
1983–84	00.84	मिट्टी एवं पिचिंग का मरम्मत कार्य
1984–85	05.10	तदैव
कुल व्यय	10.56	

उक्त के परिपेक्ष्य में जांच का प्रश्न नहीं उठता । मुख्य अभियन्ताओं की समिति के निर्देशानुसार सिंचाई अनुसंधान संस्थान रूड़की में उक्त की मौड़ल स्टडी की जा रही है । अध्ययन उपरान्त उनके सुझावों पर निर्मित योजना के कार्य राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से स्वीकृति उपरान्त निर्माण हेतु किये जाने संभव हो सकेगा ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर मैं अपने प्रश्न के संदर्भ में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे यहां की दो समान्तर रूप में बहने वाली नदियां एक राम गंगा जो बड़ी नदी है और दूसरी छोटी नदी गागन, जो ग्राम सैदपुर में आकर गिराई गयी है । मान्यवर जब सन् 1981-82 में राम गंगा से गागन में गिरी, उस वक्त इसका पाट बहुत छोटा था और उस वक्त मान्यवर इसके बनने में मात्र 3, हजार रु0 ही खर्च हुए थे, परन्तु 82-83 में 4.59 रु0 वर्ष 1983-84 में .87 लाख रु0 और 85-86 में रु0 5.10 लाख लागत आयी । इस तरह से कुल 10.56 लाख रु0 की लागत आयी । लेकिन मान्यवर, वास्तविकता यह है कि वहां पर कोई कार्य नहीं कराया गया है और सारा धन विभाग में आपस में हड़प कर लिया गया है । इसलिए क्या माननीय मंत्री जी मेरी निश्चित जानकारी को सही मानते हुए मामले की जांच विजिलेंस द्वारा करायेंगे और इसमें पाये गये दोषी अधिकारियों को क्या दण्डित करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर यह समस्त धन भिन्न-भिन्न वर्षों में खर्च किया गया है और इसमें कई गैप थे, इन गैप्स को भरने के लिए यह सारे कार्य कराये गये हैं, लेकिन उसमें पानी आ जाने की वजह से यह नुकसान हुआ है, परन्तु अब उसका स्थायी हल निकाल लिया गया है और विभाग द्वारा अब भी उसमें कार्यवाही की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार के नुकसान की पुनरावृत्ति न हो । उसके लिए एक योजना 33 लाख 97 हजार की बनायी गयी है, जिसको टी0 ए0 सी0 से पास कराने के बाद लागू किया जायेगा और हल निकाला जायेगा जिससे यह समस्या हमेशा के लिये हल हो जायेगी ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि मुख्य अभियन्ताओं की समिति के निर्देशानुसार माडल की स्टडी की जाती है, तो मैं जानना चाहता हूं बांध बनाये जाने के पहले उसकी स्टडी क्यों नहीं की गयी, अब क्यों की जा रही है ।

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, उसमें गैप था और विभाग ने सोचा कि इसको भरने से काम चल जायेगा, लेकिन उसमें नदी का पानी आ गया और यह पाया गया कि अब गैप नहीं भर पायेगा, इसलिये इसको स्थायी रूप से हल करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(प्रश्न संख्या 7 पुकारे जाने पर श्री मोहम्मद रिजवानुल हक सदन की वेल में आकर बोलने लगे)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

दसियों लाख रुपया खा रहे हैं, और हमारे जिले को बना नहीं रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने स्थान पर बैठिये ।

(तत्पश्चात् श्री मोहम्मद रिजवानुल हक अपने स्थान पर चले गये ।)

उ0 प्र0 सरकार द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिकरण हेतु दी जाने वाली विद्युत सुविधाएं

*7–श्री पुष्कर सिंह धौंथाण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सरकार के उद्योग विभाग ने शासनादेश संख्या 11340 भ उ/18 दिनांक 16-1-84 द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगीकरण हेतु दी जाने वाली सुविधाओं में औद्योगिक आस्थानों को कतिपय बिजली की सुविधायें देने का प्राविधान किया था ? यदि हां, तो वे सुविधायें कौन-कौन सी थीं ? क्या ये सुविधायें पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक आस्थानों को उक्त शासनादेश के अनुसार प्राप्त हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

निम्न सुविधायें दी गई हैं :–

1–2500 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित 100 के0 वी0 ए0 कान्ट्रेक्टेड लोड तक की सभी औद्योगिक इकाइयों को (एक प्रीमेसेज में केवल एक बार) एवं 2500 फीट के ऊपर स्थित, 250 के0 वी0 ए0 कान्ट्रेक्टेड लोड तक की सभी औद्योगिक इकाइयों को (एक प्रीमेसेज में एक बार) कनेक्शन देने की तिथि से दो वर्ष तक न्यूनतम देय से छूट ।

ऊंचाई का उक्त प्रतिबंध कन्टीरियर आर्क अर्थात हिमालय के प्रथम रेन्जेज के अन्दर लागू नहीं होगा ।

2–2500 फीट तक की ऊंचाई पर स्थित 100 के0 वी0 ए0 कान्ट्रेक्टेड लोड तक की सभी औद्योगिक इकाइयों की एवं 2500 फीड के ऊपर स्थित, 250 के बी0 ए0 तक की सभी औद्योगिक इकाइयों को कनेक्शन देने की तिथि से 5 वर्ष तक 50 डेवलेपमेंट रिबेट ।

ऊंचाई का उपरोक्त प्रतिबंध कन्टीरियर आर्क अर्थात हिमालय के प्रथम रेन्जेज के अन्दर लागू नहीं होगा ।

उपरोक्त उपभोक्ताओं की श्रेणी के अतिरिक्त अन्य उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी गई सुविधायें यथावत रहेंगी ।

जी नहीं ।

राज्य विद्युत परिषद् के लिए वित्तीय भार वहन करना सम्भव नहीं है ।

श्री पुष्कर सिंह रौथाण–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सन् 1984 में एक शासनादेश निर्गत किया गया था, जिसके अंतर्गत कतिपय वित्तीय सुविधायें उद्योगों को देने के लिये व्यवस्था की गयी थी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहकर टाल दिया है कि राज्य विद्युत परिषद् के लिये वित्तीय भार वहन कर पाना संभव नहीं है । इस कारण जो उद्योग लगे हैं, उनको बड़ी निराशा हुई है । क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस प्रकार के शासनादेश जारी किये गये थे, उस समय इस बात की जानकारी नहीं थी कि वित्तीय भार को वहन करना होगा ।

दूसरी बात यह है कि क्या इसके बारे में पर्वतीय विकास विभाग या उद्योग विभाग को पत्र व्यवहार किया गया या उनसे इस संबंध में वार्ता की गई कि क्या वह इस विद्युत भार को वहन करने के लिये तैयार हैं या नहीं ? तीसरी बात यह है कि वहां पर इन सुविधाओं के न मिलने से पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगीकरण पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वहां पर भविष्य में इन सुविधाओं को लागू किया जायेगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, राज्य विद्युत परिषद् की अपनी नीति स्पष्ट है । एक वर्ष तक के लिये छूट देने के लिए प्राविधान है और इसका पालन हो रहा है । जहां तक डेवेलपमेंट रिबेट का प्रश्न है उसके संबंध में 33 1/3 प्रतिशत का जो हमारा वायदा है उसे हम पूरा कर रहे हैं । लेकिन जो हम निर्णय कर चुके हैं कि हमारा विभाग इस विद्युत भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है वह सही है । उद्योग विभाग से इस सम्बन्ध में सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है । यदि वह सहायता देंगे तो निश्चित रूप से छूट उपलब्ध करा दी जायेगी लेकिन हमारा विभाग छूट नहीं दे सकेगा ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो छूट देने के बारे में विद्युत विभाग द्वारा भार न उठा सकने की बात कही गई है तो इस सदन ने पर्वतीय विकास परिषद् की एवं वहां की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये कहा है कि वहां के लोगों को यह रियायत दे दी जायेगी । क्या माननीय मंत्री जी पर्वतीय विकास परिषद् के माध्यम से वहां के लोगों को यह रियायत सुलभ कराने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पर्वतीय विकास परिषद् को इस चीज को स्पष्ट करते हुये तथा उद्योग विभाग को पहले ही हमारे विभाग द्वारा लिखा जा चुका है यदि वे हमें सहायता देंगे तो वह सुविधा वहां उपलब्ध करा दी जायेगी ।

श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सुविधाओं की बात तो अलग रही, हमारे जिले टेहरी गढ़वाल में जो छोटे-छोटे उद्योग लगे हैं जैसे आटा चक्की है, उनमें वितरण खण्ड द्वारा विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं । क्या इस संबंध में कोई शासनादेश निर्गत हुये हैं ? इस संबंध में मैं जानकारी चाहता हूं :

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सम्भवत: माननीय सदस्य नये कनेक्शन के बारे में कह रहे हैं । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् में यह निश्चय किया गया है कि सूखे के दौरान प्राथमिक सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वहां विद्युत की आपूर्ति पहले की जायेगी । इसलिये नये कनेक्सन नहीं दिये जा रहे थे लेकिन 15 हार्स-पावर तक की बिजली की सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का उपभोक्ताओं पर बकाये की वसूली

*8–श्री हर्ष वर्धन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का कितने उपभोक्ताओं पर 5 लाख रुपये से अधिक का बकाया है ? इनमें से किन 15 उपभोक्ताओं पर सर्वाधिक धनराशि बकाया है और उसका विवरण क्या है ? संबंधित बकाये की वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री प्रमोद कुमार–

प्रदेश में 226 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन पर 31-7-87 तक 5 लाख रुपये से अधिक बकाये की धनराशि 138.23 करोड़ रू0 थी । इनमें से 15 सर्वाधिक बकायेदार उपभोक्ताओं की स्थिति तथा वसूली के लिए किये जा रहे प्रयासों की सूचना पटल पर रख दी गयी है ।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि किसानों के ऊपर जो बकाया रहता है उसकी वसूली के लिये आप जिस तरह से कार्यवाही करते हैं, बिजली काट देते हैं और निजी उद्योग-पति जो हैं जिनके ऊपर काफी बकाया रहता है उनके विरुद्ध इस तरह की कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने कहा कि किन्हीं परिस्थितियों में भी किसी तरह की ढील देने का प्रश्न ही नहीं उठता है । कड़ाई के साथ वसूली जारी है । माननीय सदस्य उस सूची को देख सकते हैं । जो इस तरह के 15 बड़े उपभोक्ताओं की बात कहीं गई है, उनसे वसूली जारी है । उनमें से कुछ की वसूली उनके न्यायालय में जाने के कारण, स्थगित है । लेकिन इस संबंध में किसी को भी ढील नहीं दी जायेगी ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि यह धनराशि जो 15 लोगों पर बकाया है, यह कब से बकाया है और उनमें से कितने लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया है और कितने बिना स्थगन आदेश के उसको रोक रखे हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर लिस्ट पढ़ने लगूं तो संध्या हो जायेगी ।

छापी नहीं गई ।

श्री विजय सिंह राणा–

कल से बकाया है यह बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेसर्स कनौडिया केमिकल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 मई, 1978, मे0 हिण्डालको रेनूकूट 3 वर्ष, विहार राज्य विद्युत परिषद् 5 वर्ष, जल संस्थान कानपुर 5 वर्ष, जल संस्थान इलाहाबाद 5 वर्ष, जल संस्थान बाराणसी 5 वर्ष, जल संस्थान आगरा 5 वर्ष, जल संस्थान लखनऊ 10/81 मुख्य अभियंता सिंचाई (जोन) वाराणसी 5 वर्ष, मे0 स्वदेशी काटन मिल, कानपुर, 10 वर्ष, मे0 सीमेंट कारपोरेशन मिर्जापुर (डाला, चुर्क कजहट) 3 वर्ष (व्यवधान) अब मैं पूरा पढ़ूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसीलिये मैं कह रहा था कि लम्बी लिस्ट है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिस तरह से किसानों पर बकाया होने पर उनके कनेक्शन ही नहीं काट दिये जाते हैं बल्कि उनको जेल भेज दिया जाता है तो क्या वह बतायें कि किसी एक भी उद्योग पति को जिस पर 5 साल से बकाया पड़ा हुआ है उनको जेल भेजने का प्रयास किया गया है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने स्पष्ट कर दिया कि सब पर कार्यवाही की गयी है और जो सूची मैंने पढ़ी है उसमें 15 में से ज्यादा तर सरकारी विभाग या जल संस्थान हैं । जहां तक वसूली की बात है उसमें चाहे साधारण किसान हो या उद्योगपति किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं वर्ता गया है । किसी भी उद्योगपति से जब बकाये का एक-एक पैसा वसूल नहीं लिया जायेगा बक्शा नहीं जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं केवल तीन उद्योगपतियों का नाम लेता हूं जिसमें दो तो इनकी सूची में भी हैं मैसर्स कनौडिया केमिकल्स तथा हिंडालको तथा तीसरे मोदीग्रुप के लोगों पर जो बकाया है उसको वसूलने के लिए जिस प्रकार से किसानों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, उत्पीड़न किया जाता है और जेल भी भेज दिया जाता है तो क्या इन में से किसी एक को भी जेल भेजना तो दूर रहा जेल भेजने का प्रयास किया गया है यदि किया गया तो कब और किस तरह वह स्थगन आदेश लाये यह बता दें ?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य ने जो नाम लिये हैं उसमें से एक का नाम इस लिस्ट में नहीं है । जो मैंने सूचना दी है उसमें मैसर्स कनौडिया केमिकल्स के विरुद्ध कार्यवाही की गयी दुर्भाग्य से या सौभाग्य से उन्होंने न्यायालय से स्थगन ले लिया और मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । माननीय सदस्य मुझ से सहमत होंगे जब मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो मैं कटम्पट आफ दि कोर्ट नहीं कर सकता । जो मामले न्यायालय

में नहीं हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जा रही है । यही नहीं जो प्रकरण न्यायालय में हैं उनकी मुस्तैदी से पैरवी की जा रही है । जब उनका हमारे पक्ष में फैसला हो जायेगा तो जेल भेजने की बात होगी । तो वह भी किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक सवाल और करने दें ।

श्री अध्यक्ष–

आखिरी सवाल होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय मंत्री जी ने बहुत बारीकी से एक सूची दे दी और अपने चहेते उद्योगपतियों को संरक्षण दे दिया और इस प्रकार माननीय सदन को गुमराह करने की चेष्टा की । मैं स्पष्ट एक सवाल का उत्तर चाहता हूं जैसा अभी माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी ने तीन उद्योगपतियों का नाम लिया । तो मैं जानना चाहता हूं कि वह केवल हिंडालको रेनुकूट के बारे में उन्होंने कहा कि जो मामले न्यायालय में या पंच निर्णय में विचाराधीन हैं उनके बारे में वह कुछ नहीं कर सकते हैं । तो क्या यह सही है कि हिंडालको रेनुकूट से 236.67 लाख रु0 की वसूली इसलिये रोक दी गयी कि उन्होंने विद्युत परिषद् के पास एक मात्र परिवाद प्रस्तुत कर दिया है जिसके कारण इतने रुपयों की वसूली रुकी है ?

दूसरा प्रश्न है कि स्वदेशी काटन मिल कानपुर को क्या कोई स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है या पंच निर्णय से स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है या नहीं ? इनके खिलाफ वही कार्यवाही न करने का क्या कारण है जो किसानों के साथ रेवेन्यू वसूली के लिये करते हैं ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने स्वदेशी काटन मिल और हिंडालको के संबंध में जानकारी चाही है । तो मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक स्वदेशी काटन मिल, कानपुर का संबंध है तो बकाया धनराशि को क्लेम कमिश्नर के पास दिनांक 16-2-87 को महाप्रबंधक केसा कानपुर द्वारा दाखिल कर दिया गया है और वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं ।

जहां तक मेसर्स हिण्डालकों, रेनुकूट का सवाल है, तो 657 लाख रुपया आरबिट्रेशन में विचाराधीन है । शेष 236.67 लाख रुपया में 141 लाख रुपया विद्युत कर, 36 लाख मिनिमम गांरटी, शेष लेट पेमेण्ट सरचार्ज से संबंधित है । जिसके संबंध में उपभोक्ता ने परिषद् को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और प्रकरण परिषद् में विचाराधीन है ।

श्री प्रमोद कुमार–

इस प्रकार एक-एक पैसा जो विवादित नहीं है वसूला जा रहा है । जहां तक उद्योगपतियों को बचाने का सवाल है तो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का दल ही हो सकता है मेरा दल नहीं ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, इस सरकार ने अपने को नंगा कर दिया है । उत्तर ने स्पष्ट कर दिया है कि यह सरकार एकदम पूंजीपतियों की गिरफ्त में फंसी है । दस रुपये के बकाये के लिये गरीब किसान जेल में भेज दिया जाता है लेकिन करोड़ों रुपये का बकाया रखने वाले लोग परिवाद, रेप्रेजेन्टेशन से ही करोड़ों रुपये स्थगित हो जाता है, यह सरकार के लिए शर्म की बात है । यह सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर चल रही है और कोई स्पष्ट उत्तर नही दे रही है । सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है, किसानों के लिये एक मापदण्ड और पूंजीपतियों के लिये दूसरा मापदण्ड । इसलिये मान्यवर, स्पष्ट उत्तर दिलायें कि 31 मार्च तक जिनके मामले अदालतों में विचाराधीन नहीं है क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि सारी रिकवरी 31 मार्च तक वसूली हो जायेगी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस प्रदेश में राज्य विद्युत परिषद् का सबसे ज्यादा बकाया मे0 कनौडिया केमिकल्स एन्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रेनूकूट पर है और बकाया मई 1978 से है जब आप यहां बैठते थे, तबसे बकाया चला आ रहा है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी राज्य मंत्री ने कहा कि वर्ष 1978 से यह बकाया चल रहा है लेकिन उनको यह मालूम होना चाहिए कि 1978 में बिरला, कनौडिया और सिंघानिया की बिजली काटी गयी थी जो प्रतिवेदन आया है उस पर क्या कार्यवाही यह कर रहे हैं उसके संबंध में यहां स्पष्ट बतायें कि कब तक बकाया वसूल करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, रेवती रमण जी विद्युत मंत्री भी रहे हैं, उनको यह जानकारी है कि कब बिजली काटी गयी और किस तरह उनके कार्यकाल में ही वह जोड़ भी दी गयी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप बैठ जायं आपका उत्तर हो गया है ।

(व्यवधान)

[बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में विद्युत उत्पादन की मात्रा एवं लोड कनेक्शन

*1–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य में 31 दिसम्बर, 85 तक कितना विद्युत उत्पादन था तथा वर्ष 86 से लेकर जून, 87 तक कितनी नयी लाइनें बिछायी गयी और कितने लोड के नये कनेक्शन दिए गए? क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि 30 दिसम्बर, 86 को तथा 10 जून, 87 को क्रमशः प्रदेश में कितना उत्पादन हो रहा था ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश में विद्युत परिषद् द्वारा दिसम्बर, 1985 तक 8934.5 मि0 यू0 विद्युत उत्पादन किया गया ।

वर्ष 1986 से जून, 1987 तक लगभग 988 सर्किट कि0मी0 मुख्य पारेषण लाइनें (132 के0 वी0 एवं ऊपर) चालू की गयी तथा लगभग 536 मेगावाट कनेक्टेड लोड की वृद्धि की गयी । 30 दिसम्बर, 1986 तथा 30 जून, 1987 को क्रमशः 42.86 तथा 46.29 मि0 यू0 विद्युत उत्पादन किया गया ।

शासनादेशानुसार सिंचाई विभाग, आगरा मण्डल के सहायक अभियन्ताओं का प्रतिबन्धित स्थानों पर स्थानान्तरण

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि शासनादेश सं0–1583/23-सिं0-1-87-342/85 लखनऊ दिनांक 7 मार्च, 87 के परिपेक्ष्य में आगरा मण्डल से कुछ सहायक अभियन्ताओं (सिविल) को प्रतिबन्धित स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची क्या है ? क्या उक्त के सम्बन्ध में यह भी बतायेंगे कि एक सहायक अभियन्ता कितनी अवधि तक मण्डल या जनपद में नियमानुसार रह सकता है ? इसके अन्तर्गत कितने सहायक अभियन्ता नियम विरुद्ध मण्डल में कार्यरत हैं और क्यों ?

श्री सीता राम निषाद–

जी हां । वांछित सूचना संलग्न है।

शासन द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार एक सहायक अभियन्ता को एक पद/स्थान पर सामान्यतः 3 वर्ष एवं विशेष परिस्थितियों में 5 वर्ष तक रखा जा सकता है। वृहद परियोजनाओं पर विशेष परिस्थितियों में किसी सहायक अभियन्ता को 7 वर्ष तक रखे जाने का प्राविधान है।

दिनांक 30-6-87 की स्थिति के अनुसार आगरा मण्डल में केवल एक सहायक अभियन्ता ऐसा था जो 5 वर्ष से अधिक एक स्थान पर कार्यरत है । वर्तमान रूप में इन्हें तीन वर्ष ही हुए थे। यह ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यों पर पदस्थापित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 97 पर)

(मंत्री द्वारा मूल उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने निराधार आरोप लगाकर और भ्रमात्मक उत्तर देकर इस सदन को गुमराह किया है, इसलिए मैं अपने दल के साथ इस सदन का त्याग करता हूं।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

इतने बड़े बकायेदार और पूंजीपति हिन्डालको रेनुकूट को केवल प्रतिवेदन के आधार पर इतनी बड़ी राशि की छूट दे दी गई है वसूली से, ऐसी स्थिति के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

इतने बड़े-बड़े पूंजीपतियों के साथ सरकार पक्षपात पूर्ण एक नीति अपना रही है और विद्युत के दूसरे बकायेदारों के साथ सख्ती के साथ दूसरी नीति अपना रही है। सिर्फ एक इसमें 78 का है और बाकी सभी इनके समय के हैं। इस दोहरी नीति के खिलाफ हम अपने दल के साथ सदन का त्याग करते हैं।

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जयदीप सिंह बरार–

मंत्री जी एक भी उद्योगपति को जेल भेजने की सूचना नहीं दे पाये हैं और उन्हें करोड़ों रुपयों का लाभ पहुंचाने के लिए यह सरकार कृत संकल्प है। इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं।

(तदुपरान्त श्री जयदीप सिंह बरार तथा श्री राम आसरे वर्मा भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री सरदार सिंह–

जो नियम विरुद्ध अभियन्ता आगरा मण्डल में रुके हुए हैं क्या मंत्री जी उनका स्थानान्तरण तुरन्त करने का कष्ट करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

जो शासनादेश हैं उसका पालन किया गया है। उस शासनादेश के अन्तर्गत जिन्होंने अपनी अवधि पूरी कर ली होगी, तार्षिक स्थानान्तरण के समय उनका स्थानान्तरण कर दिये जायेंगे ।

प्रदेश में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों की संख्या

*3–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या पशुपालन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय पशु चिकित्सकों के कितने स्थान प्रदेश में रिक्त हैं ? इन्हें सीधे एडहाक तरीके से भरने में सरकार को क्या कठिनाई है? यह स्थान पिछले कितने समय से रिक्त हैं ? सरकार इन स्थानों को कब तक भरेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुपालन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

सम्प्रति प्रदेश में पशु चिकित्सकों के 500 पद रिक्त हैं । इनमें से 493 पदों को भरे जाने का मामला शासन के विचाराधीन है। उक्त पद विगत 11 वर्षों की रिक्तियों के फलस्वरूप रिक्त हैं। लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर अथवा तदर्थ रूप से नियुक्ति द्वारा पदों को यथाशीघ्र भरा जायेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

11 वर्ष से यह पद रिक्त हैं, यह मंत्री जी ने बताया है और अब उनके भरने का प्रयास है। कब तक यह पद भरे जायेंगे, इसकी निश्चित जानकारी मंत्री जी ने नहीं दी है, तो यह पद कब तक भरे जायेंगे, यह निश्चित रूप से वह बता दें ?

श्री सीताराम निषाद–

हमने इसमें लोक सेवा आयोग को अधिवाचन भेजा है और उस सम्बन्ध में अनुस्मारक भी भेजे हैं। सम्बन्धित अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में वहां जाकर भी व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया है कि साक्षात्कार शुरू हो जाये । जहां तक तदर्थ कार्यवाही का सम्बन्ध है, हम तदर्थ रूप से भरने का प्रयास कर रहे हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

तदर्थ नियुक्ति के बारे में क्या कार्यवाही अब तक मंत्री जी ने की है, उससे क्या मंत्री जी अवगत करायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

विभाग ने अपनी ओर से ऐसा प्रस्ताव भेजा है और उसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मैनेजर सिंह–

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग ने तदर्थ नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया है और उसका समय भी समाप्त हो गया है, तो उसको समाप्त कर सूची को अन्तिम रूप देने में क्या कठिनाई है?

श्री हुकुम सिंह–

आवेदन पत्र हमने मांगे हैं और वह प्राप्त भी हो गये हैं और अब साक्षात्कार की तिथि निश्चित होनी है। जब अन्तिम निर्णय हो जायेगा साक्षात्कार लेकर उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी ।

श्री गौरीशंकर भइया–

क्या यह सत्य है कि सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए नियुक्तियों पर 6 माह के लिए रोक लगा दी है ? यदि हां, तो यह जो आप कह रहे हैं, उसको आप कैसे कर सकेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह कहा कि अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है जैसे ही निर्णय हो जाएगा, कार्यवाही की जाएगी ।

टिहरी बांध से प्रभावित अभ्यर्थियों को सिंचाई विभाग में नियुक्ति सम्बन्धी शासनादेश का पालन

*4–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 4862/ एन0/ 79-23/सि-7/106/(65), दिनांक 9-10-79 के अन्तर्गत टिहरी बांध से प्रभावित कितने अभ्यर्थियों को सिंचाई विभाग में आशुलिपिक के पदों पर नियुक्तियां मिली हैं ? क्या ऐसे भी प्रकरण हैं कि डूब क्षेत्र के अभ्यर्थी लगातार दो वर्ष से अधिक समय से आशुलिपिक के पद पर तदर्थ रूप से कार्यरत हैं ? क्या आशुलिपिक की विभागीय परीक्षा में इन्हें पूर्ण वरीयता दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या विशेष वरीयता के प्राविधान को दृष्टिगत रखते हुए तदर्थ रूप से कार्यरत इन डूब क्षेत्र के अभ्यर्थियों के विनीयमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है ? यदि

हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब के लिए कौन दोषी है ?

श्री सीता राम निषाद–

शासनादेश दिनांक 9-10-79 के अन्तर्गत टिहरी बांध के डूब क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों से निवास करने वाले दो अभ्यर्थियों को विभाग में आशुलिपिक के पद पर तदर्थ रूप से नियुक्ति प्रदान की गयी इनमें से एक आशुलिपिक को वर्ष 1979 में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियमित कर दिया गया । दूसरे अभ्यर्थी विभाग में 9-1-85 से तदर्थ रूप से कार्यरत हैं। वर्ष 1986 में विभागीय परीक्षा इलाहाबाद में आयोजित हुई जिसमें उक्त आशुलिपिक भी डूब क्षेत्र के अभ्यर्थी के रूप में बैठे । परन्तु वह विभागीय परीक्षा में अन्तिम स्थान पर भी उत्तीर्ण नहीं हुए । अतः उन्हें पूर्ण वरीयता का लाभ नहीं दिया जा सका । विनियमितीकरण हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अन्तर्गत इस अभ्यर्थी का विनियमितीकरण आशुलिपिक के पद पर सम्भव नहीं है।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न को देखने की कृपा करें और मान्यवर, मैं आपसे संरक्षण भी चाहूंगा । मान्यवर, टिहरी बांध बन जाने से तमाम इलाके का जितना भी एरिया है कम से कम 25–30 किलोमीटर का एरिया पानी में डूब जाएगा, तो मान्यवर, वहां के रहने वालों के लिए एक जी0 ओ0 1979 में पेश किया गया और अब 1990 लगने वाला है केवल दो ही व्यक्तियों को नौकरी दी गई है जबकि शासनादेश यह था कि प्रभावित होने वाले लोगों को नौकरी दी जाएगी और प्रभावी इलाके के जितने प्रत्याशी होंगे उनको विभागीय परीक्षा से मुक्त कर दिया जायेगा और मान्यवर, मंत्री जी कहते हैं कि परीक्षा में पास नहीं हुआ पहला अभ्यर्थी पास हो गया तो उसे ले लिया गया तो जो पास हो गया उसे तो ले ही लिया जाएगा फिर डूब क्षेत्र के लोगों को लाभ दिलाने का जो शासनादेश हुआ उसका क्या मतलब हुआ ? क्या शासन उसे शासनादेश का लाभ दिलाने के लिए तत्पर है ? यदि नहीं तो क्या शासनादेश को वापस लेने की कृपा करेंगे, यदि नहीं, तो इस शासनादेश का क्या उपयोग है ?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, जो शासनादेश है इसमें विनियमितीकरण करने का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, श्री बालम सिंह नेगी जिनकी नियुक्ति 19-7-83 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर की गई थी, जब आशुलिपिक के पद की परीक्षा हुई तो वह उसमें उत्तीर्ण नहीं हुए, लेकिन मानवता के आधार पर इसमें विचार किया जा रहा है। कनिष्ठ लिपिक पद पर नियमित करने हेतु मार्च तक इसमें कार्यवाही हो जाएगी ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मेरा प्रश्न कुछ और है और यह उत्तर कुछ और दे रहे हैं । 1979 में एक शासनादेश हुआ था जो डूब क्षेत्र के अभ्यर्थी हैं उनको छूट दी

जायेगी परीक्षा से, और उनको नियुक्ति दी जाएगी, तो यह इसके बारे में बतायें? यह ठीक है कि 1983 तक के लिए यह जी0 ओ0 था लेकिन यह भी सही है कि आपने 1983 तक टेहरी बांध को बनाने की घोषणा की थी परन्तु यह डैम 1993 तक भी नहीं बन सकता है। तो इस शासनादेश की उपयोगिता तब तक है जब कि टिहरी डैम से विस्थापित लोगों की समस्यायें हल नहीं हो जातीं । केवल एक ही अभ्यर्थी का सवाल है। वैसे वहां पर आशुलिपिकों की संख्या 136 है। डूब क्षेत्र के एक आदमी को नौकरी नहीं मिल पा रही है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अपेक्षा करता हूं कि इस शासनादेश को मध्य दृष्टि में रखते हुए जो एक व्यक्ति है उसको नियमित करने के लिए शासनादेश के आधार पर निर्णय लेंगे ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, उसके बारे में स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया है कि उसमें नियमों को शिथिल करके कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियमितीकरण की कार्यवाही की जा रही है। माननीय सदस्य ने सीमित दायर में प्रश्न किया था उसका उत्तर दे दिया गया है।

जनपद देहरादून के कतिपय ग्रामों में निर्मित नलकूप नालियों हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा

5–श्री राम शरण दास–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के ग्राम भंकरपुर, हकूमतपुर में नलकूप नं0 डी0 डी0–34 का निर्माण हुआ है तथा सन्दर्भित नलकूप के कमान्ड एरिया में वर्ष 1980-81 में पक्की नालियों का निर्माण हुआ था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि नालियों के निर्माण हेतु जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी थी, उनको भूमि का मुआवजा अभी तक भी भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी मुआवजे का भुगतान अविलम्ब कराने के निर्देश देंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

देहरादून जनपद में राजकीय नलकूप सं0–डी0 डी0-34 का निर्माण ग्राम-शंकरपुर व सहसपुर, जिला देहरादून में हुआ है न कि ग्राम भंकरपुर व हकूमतपुर में । संदर्भित नलकूप के कमाण्ड एरिया में पक्की नालियों का निर्माण भी किया गया है। नालियों के निर्माण हेतु जिन कृषकों की भूमि ली गयी थी, उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान अध्यापन की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण अभी तक नहीं किया जा सका है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून की मांग के अनुसार धनराशि रु0 11000 का बैंक ड्राफ्ट सं0–02/033/6580, दिनांक 21-12-87 भेजा जा चुका है। मुआवजे का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, देहरादून द्वारा अध्यापन की कार्यवाही पूर्ण होने पर की जानी है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, अभी तो हमारे सामने टेल बोल रही थी, नहर तो अभी आयी है। तो मैं टेल से पूछूं या नहर से पूछूं बता दीजिये ।

मान्यवर, किसानों की जमीनें जब आप एक्वायर करते हैं किसी कार्य के लिये तो नियम यह है कि जब एक्वायर करके कार्य शुरू करेंगे उसके पहले मुआवजा दे देंगे । लेकिन 8–10 साल मुआवजा देने में लगता है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि यह मामला 8 साल का है। यह जो भूमि अध्यापन का कार्य हो रहा है इसको तुरन्त कराकर किसानों को पैसा जल्दी दिलवा देंगे ।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, सिंचाई विभाग ने 11000 रुपया जमा कर दिया है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जो भूमि अध्यापन का कार्य करते हैं, उन्होंने जो आवश्यक नोटिस जारी करती होती हैं धाराओं के अन्तर्गत, उनका प्रकाशन कर दिया है। जल्दी ही पैसे का भुगतान कर दिया जायगा ।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में दो फेज को विद्युत सप्लाई

*6–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण पर होने वाली क्षति का एक कारण ग्रामीण बस्तियों के निवासियों द्वारा आवश्यक संख्या में बत्ती व पंखा हेतु कनेक्शन न लेने के फलस्वरूप कम राजस्व की प्राप्ति भी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा कनेक्शन इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि उन्हें विद्युत सप्लाई सायंकाल केवल 4 घण्टे ही मिलती है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित एवं परिषद् के हित में ग्रामीण क्षेत्र हेतु दो फेस की विद्युत सप्लाई सारी रात देने के निर्देश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रमोद कुमार–

जी हां ।

ग्रामीण निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन न लेने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति भी हो सकती है। यह सही नहीं है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को सायंकाल केवल 4 घंटे ही विद्युत मिलती है ।

राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जनहित में ग्रामीण क्षेत्र हेतु रात्रि में 12 घण्टे (सायं 5 बजे से प्रातः 5 बजे तक) दो फेस की विद्युत सप्लाई का प्राविधान है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता इसलिए विद्युत कनेक्शन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि विद्युत सप्लाई बहुत कम मिलती है, लाखों रुपया विद्युतीकरण के नाम पर खर्च होता है, लेकिन वहां पर विद्युत नहीं आती है । तो मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि राज्य विद्युत उसकी दो फेज में विद्युत सप्लाई सारी रात देने को कृपा करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

जरूर करेंगे मान्यवर ।

सिंचाई विभाग में नियुक्त ड्राफ्टमैनों के वेतन में कथित विसंगति

***7–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–**

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1972 से पूर्व विभाग में नियुक्त आई0 टी0 आई0 से प्रशिक्षित ड्राफ्ट्समैनों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए क्या कोई विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो उस पर इतना अधिक समय लगने का क्या औचित्य है तथा कब तक अंतिम निर्णय हो जायेगा ?

श्री सीता राम निषाद–

जी नहीं । आई0 टी0 आई0 से प्रशिक्षित ड्राफ्ट्समैन के वेतनमान के संबंध में कोई विसंगति नहीं प्रतीत होती ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1972 से पूर्व और उसके बाद जिनकी नियुक्तियां हुई, उन दोनों के वेतन में जो असमानता है, उसके संबंध में क्या समय-समय पर उनके प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, पे रेशनलाईजेशन कमेटी 1965 ने यह देखते हुए कि डिप्लोमा पास प्रारूपकारों को प्रशिक्षण में तीन वर्ष लगते हैं तथा आई0 टी0 आई0 का सर्टीफिकेट प्राप्त करने में दो वर्ष लगते हैं, यह संस्तुत किया कि डिप्लोमा पास प्रारूपकारों को पूर्ण अर्हता प्राप्त समझते हुए रु0 160–280 का वेतनमान दिया जाय तथा आई0 टी0 आई0 पास प्रारूपकारों को रु0 120–220 का वेतनमान दिया जाय । इस कमेटी ने अनर्ह प्रारूपकारों के लिये रु0 100–160 का एक तीसरा वेतनमान भी संस्तुत किया था । वेतन आयोग 1971-73 ने प्रारूपकारों के वेतनमान पर यह मत व्यक्त किया कि एक ही पद के लिये तीन वेतनमान रखना उचित नहीं है । अतः उन्होंने डिप्लोमा प्राप्त एवं आई0 टी0 आई0 पास दोनों ही प्रकार के प्रारूपकारों की अर्हता प्राप्त प्रारूपकार मानकर रु0 280–460 का वेतनमान दिये जाने की संस्तुति की और अनर्ह प्रारूपकारों के लिए रु0 200–320 का वेतनमान दिये जाने के लिए संस्तुति की । द्वितीय वेतन आयोग 1979-80 ने इन दोनों ही प्रकार के अर्ह प्रारूपकारों को रु0 470–735 का वेतनमान एवं अनर्ह प्रारूपकारों को रु0 354–550 का वेतनमान दिया है । तो इस तरह से यह डिप्लमिा और आई0 टी0 आई0 का दोनों का वेतनमान बराबर कर दिया गया है, अब उसमें कोई विसंगति नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

यह जो वेतन समिति की रिपोर्ट का हवाला दिया है और उसमें जो विसंगति समिति बनी थी , उसने जो रिपोर्ट दिया और उसके बाद अब जो वर्तमान क्षति हो रही है, उसको पूरा करने के बारे में कोई प्रत्यावेदन मिला है ? यदि हां, तो उसका निराकरण करने की कृपा करेंगे ?

श्री सीताराम निषाद–

उत्तर प्रदेश ड्राइंग इंजीनियर्स फेडरेशन की मांगों पर विचार करने हेतु एक समिति भी अलग से गठित की गयी थी और उस समिति ने अध्ययन करके यह बताया कि इसमें कोई विसंगति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।†

जनपद गढ़वाल के कोटद्वार भावर किसानों का पानी वितरण सम्बन्धी शिकायती-पत्र

*8–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1987 के जुलाई माह के दूसरे पखवाड़े में कोटद्वार भावर के किसानों का एक जुलूस सिंचाई विभाग के कार्यालय तृतीय उप खण्ड कोटद्वार में पानी के बंटवारे की शिकायतों को लेकर आया था ? क्या यह सही है कि ग्राम-धूवपुर पट्टी सूखरी तहसील कोटद्वार गढ़वाल के किसानों को भू अभिलेखों तथा सिंचाई विभाग द्वारा निर्धारित समय के बाद भी पानी नहीं मिलता है ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? क्या यह सच है कि अध्यक्ष पानी वितरण समिति ग्राम धूवपुर को परगना अधिकारी द्वारा वर्ष 1987 ई0 के माह दिसम्बर के तीसरे सप्ताह में एक चेतावनी पत्र दिया गया है? क्या एेरीगेशन मेनुअल एन्ड आर्डर के अनुसार पानी वितरण का अधिकार सिंचाई विभाग ने परगना अधिकारी कोट्द्वार को स्थानान्तरित कर दिए है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सिंचाई विभाग इस मामले को स्वयं निबटायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उत्तर प्रदेश उद्योग निदेशालय से हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग को अलग करने की मांग

*9–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राग सहाय आयोग ने वर्ष 1972 में हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय को उ0 प्र0 उद्योग निदेशालय से अलग करने की संस्तुति की थी जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया जा चुका है ? यदि हां, तो हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग निदेशालय कब तक अलग कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में चोरी की रोक-थाम हेतु व्यवस्था

*10–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या परिवहन मंत्री को जानकरी है कि उ0 प्र0 रा0 सड़क परिवहन निगम को प्रति-वर्ष डीजल व पुर्जों की चोरी से लाखों का नुकसान उठना पड़ता है ? यदि हां, तो इस नुकसान से बचाने के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

---

†नोट:–तारांकित प्रश्न संख्या 7 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में डीजल व पुर्जों की चोरी रोकने के लिये निम्नलिखित सुरक्षात्मक प्रबन्ध हैं :–

1–कार्यशालाओं में बाउण्ड्रीवाल ऊंची कराकर तारों की फेंसिंग करा दी गयी है और नालियों के द्वार पर जाली फिट करा दी गयी है।

2–कार्यशालाओं में प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है ।

3–डीजल की चोरी रोकने हेतु वाहनों के डीजल टैंकों में जाली का प्रबन्ध करा दिया गया है तथा डीजल आंसत पर पूर्ण सतर्कता बरती जा रही है ।

4–कार्यशालाओं के गेटों पर चौकीदार तैनात रहते हैं जो आने-जाने वाले कर्मचारियों तथा बाहरी व्यक्तियों की सतर्कता से तलाशी लेते हैं ।

5–जो कल पुर्जे दिन-प्रतिदिन निर्गत किये जाते हैं उनका विवरण जाब-कार्ड व वाहनवाइज रजिस्टर में रखा जाता है और तदनुसार स्टोर बिन-कार्ड व लेजर में प्रविष्टि की जाती है, जिससे कि पुर्जों की चोरी सम्भव न हो सकें।

6–समय-समय पर सम्बन्धित फोरमैनों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा कार्यशाला का आकस्मिक निरीक्षण भी किया जाता है, उ0 प्र0 परिवहन निगम में उक्त व्यवस्था के कारण डीजल/कलपुर्जों की चोरी होने की सम्भावना नहीं रह जाती है । अत, लाखों का नुकसान होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की सतर्कता अधिष्ठान द्वारा गोपनीय जांच

*11–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा टायरों की खरीद के सम्बन्ध में मार्च, 1985 से जुलाई 1987 तक की अवधि के बीच कोई जांच करायी जा रही है ? यदि हां, तो आरोप क्या है और जांच का आधार व कार्यक्षेत्र क्या है ? क्या जांच पूरी हो गयी है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुलिस अधीक्षक, उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ परिक्षेत्र द्वारा अगस्त, 87 में परिवहन निगम को सूचित किया गया कि शासन के आदेशानुसार उनके द्वारा एक गोपनीय जांच की जा रही है जिसमें अनेक अभिलेखों की आवश्यकता है । इस पत्र में वर्ष 1985 से 87 तक के समस्त क्रय संबंधी अभिलेख भी मांगे गए थे । उन्हें यह अभिलेख अगस्त 87 में ही उपलब्ध करा दिए गये थे ।

उपरोक्त जांचों में निहित आरोप अत्यन्त गोपनीय हैं अतः जांच का आधार, कार्यक्षेत्र तथा उसकी प्रगति के विषय में परिवहन निगम/प्रशासकीय विभाग को भी कोई जानकारी नहीं है ।

खण्डाधिकारी, केन्द्रीय अन्वेषण शाखा (अपराध शाखा), अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ द्वारा भी नवम्बर 87 में निगम को सूचित किया गया कि शासन के आदेशानुसार उनके द्वारा एक जांच की जा रही है जिसमें वर्ष 85 से 87 के बीच में बसों की चेसिस, पुर्जे व टायर आदि की क्रय पत्रावलियां मांगी गई थी। चूंकि यह अभिलेख पहले ही सतर्कता अधिष्ठान को सौंपे जा चुके है अतः अपराध अनुसंधान विभाग को तद्नुसार अवगत करा दिया गया है ।

*12–श्री कनक सिंह–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

*13–श्री मैनेजर सिंह–

[दिनांक 30-12-87 को अता0 प्र0 सं0 48 द्वारा उत्तरित]

आगरा में यमुना नदी पर बैराज का निर्माण कार्य में प्रगति

*14–श्री बदन सिंह–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आगरा नगर पेयजल आपूर्ति के स्थायी निराकरण के लिए आगरा में यमुना नदी पर बैराज बनाना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बैराज बनाने का कार्य कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । आगरा में यमुना नदी पर बैराज के निर्माण के सम्बन्ध में अभी सर्वेक्षण व अनुसंधान का कार्य चल रहा है। सर्वेक्षण पूर्ण होने के उपरान्त, परियोजना की स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा ।

*15–श्री राज किशोर सिंह–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद के दरवन झील से जल भराव की समस्या के निदान हेतु व्यवस्था

*16–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दरवन झील के जल भराव एवं शारदा सहायक के पानी से गांवों को डूबने से बचाने के लिए ग्राम सभा चांदपुर महमूदपुर व परगना भिभोड़ा, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद के निवासियों के पत्र के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 सितम्बर, 87 मिल गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है और उक्त गांवों को बाढ़ से स्थायी सुरक्षा का प्रबन्ध कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

9136

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । दरवन झील से जल भराव की समस्या के निदान हेतु 350 क्यूसेक क्षमता की दरवन ताल ड्रेन तथा 50 क्यूसेक क्षमता की जलालपुर ड्रेन का निर्माण कराया गया है। दरवन ताल ड्रेन के कि0मी0 2·2 पर स्थित रेलवे पुल की तली 0·7 मीटर ऊंची होने के कारण जल निकास में अवरोध रहता है। जिससे वर्षा के समय कुछ क्षेत्र जलमग्न रहता है। पुल की तली नीची करने हेतु रेल विभाग भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। अहरौली माइनर पर अतिरिक्त साइफन लगाने की कार्यवाही स्थानीय जनता के प्रतिरोध के कारण अवरुद्ध है।

श्रीनगर (काश्मीर) में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का उद्देश्य

*17–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 16, 17 मई, 1987 को कोई राष्ट्रीय स्तर की ऊर्जा मंत्रियों की बैठक श्रीनगर (कश्मीर) में हुई थी ? यदि हां, तो उक्त बैठक का विचारार्थ विषय एवं उद्देश्य क्या था ? उस सम्बन्ध में उ0 प्र0 सरकार की ओर से उन्होंने अपना क्या पक्ष प्रस्तुत किया है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । उक्त बैठक का उद्देश्य "उत्तरी क्षेत्र में विद्युत सेक्टर का अनुश्रवण" था तथा विचारार्थ विषय निम्न थे :—

.. वर्ष 1986-87 की निष्पादन समीक्षा ।
.. वर्ष 1987-88 में निष्पादन (परफारमेन्स)
.. उत्तरीय क्षेत्र में पारेषण एवं वितरण हानियां ।
.. तापीय विद्युत गृहों का रिनोवेशन एवं नवीनीकरण ।
.. तापीय विद्युत गृहों को कोयले की सप्लाई की स्थिति ।
.. ऊर्जा संरक्षण (इनर्जी कन्जर्वेशन)
.. उत्तरीय क्षेत्र के राज्य विद्युत परिषदों के ऊपर नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन की तथा नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन की बकाया धनराशि

ऊर्जा मंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निम्न पक्ष प्रस्तुत किया गया :—

क–वर्ष 1987-88 के लक्ष्यों की प्राप्ति।

ख–अतिरिक्त अधिष्ठापित क्षमता का सृजन करना ।

ग–तापीय इकाइयों का प्लाण्ट लोड फैक्टर वर्ष 1986-87 में 41.2 प्रतिशत तथा अप्रैल, 1987 में 50 प्रतिशत प्राप्त किया जाना ।

घ–आगे आने वाले वर्षों में तापीय इकाइयों के प्लाण्ट लोड फैक्टर में और अधिक सुधार ।

ङ–मशीनों के रिनोवेशन तथा नवीनीकरण के पुर्वानुमोदित कार्यक्रम के लिए भारत सरकार की ऋण सहायता के साथ साथ पावर फाइनेंस कारपोरेशन से अतिरिक्त धनराशि का उपलब्ध कराया जाना ।

च–वर्ष 1986-87 में लाइन हानियों का प्रतिशत 20.76 रहा जब कि अखिल भारतीय औसत 21.22 प्रतिशत है। लाइन हानियों को कम करने के प्रयास जारी हैं। प्रणाली के सुधार के लिये विभिन्न योजनायें बनायी गयी हैं। विद्युत चोरी रोकने के लिए भी समय-समय पर उपभोक्ता परिसों पर छापे डाले जाते हैं।

जनपद गाजीपुर के दधकली पम्प कैनाल के निर्माण एवं मरम्मत कार्य में की गई अनियमितता के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

*18–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गाजीपुर जनपद के असावर गोविन्दपुर बांध "दधकली पम्प कैनाल" प्रथम (लम्बाई 14 किलोमीटर) के निर्माण एवं मरम्तात कार्य में अनियमितता किये जाने के संबंध में वर्ष 1984-85 एवं अप्रैल 1987 में वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कोई शिकायत अभियन्ता एवं अवर अभियन्ताओं के खिलाफ सिंचाई सचिव उत्तर प्रदेश शासन, मुख्य अभियन्ता जोन वाराणसी जिलाधिकारी गाजीपुर से की गयी थी और उसमें टेक्निकल जांच एवं अन्य जांच किये जाने की मांग की गयी थी यदि हां, तो क्या इनकी जांच कराई गयी, और जांच के फलस्वरूप कौन-कौन से लोग दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जून 1985 से सितम्बर 1985 के मध्य प्रवणगत विषय पर सर्वश्री सरयू पाण्डेय तथा अफजाल अहमद अंसारी, विधायकगण से चार शिकायती पत्र प्राप्त हुए जो मुख्य मंत्री को संबोधित तथा सिंचाई मंत्री/प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग/मुख्य अभियन्ता (जोन)/प्राविधिक परीक्षक व अधीक्षण अभियन्ता को पृष्ठांकित है।

अप्रैल, 1987 में श्री गुलाम कादिर, अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस (इ) गाजीपुर, श्री घनश्याम सिंह, प्रशासक, कोल्ड स्टोरेज, करीमुद्दीनपुर तथा श्री राम नसीब राय, एडवोकेट, असावर, गाजीपुर द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता सदस्य के माध्यम से प्राप्त हुआ जो सचिव, सिंचाई विभाग को संबोधित है।

इन शिकायती पत्रों पर शासन के सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक के माध्यम से प्राविधिक जांच करायी गयी। जून, 1985 से सितम्बर, 1985 के मध्य प्राप्त हुए शिकायती पत्रों पर प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या मुख्य प्राविधिक परीक्षक के शिकायत की जांच प्राविधिक परीक्षक नहीं कर सके। अप्रैल, 1987 में प्राप्त शिकायती पत्र दिनांक 31 जुलाई, 1987 के साथ प्राप्त हुयी जिसमें फर्जी मस्टररोलों से संबंधित शिकायत की जांच नहीं कर सके। अप्रैल, 1987 में प्राप्त शिकायती पत्र पर प्रा0 परीक्षक की जांच आख्या दिसम्बर, 1987 तथा जनवरी, 1988 में प्राप्त हुई है जो शासन के परीक्षणाधीन है।

मुख्य प्राविधिक परीक्षक के पत्र दिनांक 31 जुलाई, 1987 के साथ जो जांच आख्या प्राप्त हुई, उसको शासन स्तर पर परिक्षण करने के बाद फर्जी मस्टर रोलों से संबंधित शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता स्तर के विभागीय अधिकारी से कराये जाने का निर्णय लिया गया है और प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए दिनांक 18-11-1987 को आदेशित कर दिया गया है। अन्य आरोपों के संबंध में प्राविधिक जांच के उपरान्त जो प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आये हैं, उसके लिए सर्वश्री काशीनाथ तिवारी, अधिशासी अभियन्ता, ए0 के0 श्रीवास्तव, ए0 के0 शर्मा व कोमल त्रिपाठी, सहायक अभियन्तागण प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये हैं। इनमें से एक सहायक अभियन्ता श्री ए0 के0 श्रीवास्तव के विरुद्ध आरोप पत्र के आधार पर

तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध स्पष्टीकरण के आधार पर कार्यवाही करने का निर्णय शासन में लिया जा चुका है तथा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को शासनादेश संख्या–4863/87-23-सि0-10-284/85 दिनांक 18 नवम्बर, 1987 द्वारा तद्नुसार कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया के तहसील पडरौना में ओझवलिया ड्रेन पर पुल बनाने की मांग

*19–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना तहसील में सोखवनिया के निकट ओझवलिया ड्रेन पर पुल बनाये जाने की जनता की मांग और आवश्यकता को देखते हुए अधिशासी अभियन्ता चाक शाखा निर्माण खण्ड देवरिया ने दिनांक 31-10-85 को प्रस्ताव तैयार कर अधीक्षण अभियन्ता गोरखपुर के पास स्वीकृति हेतु भेजा था? यदि हां, तो इस संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? जनहित को देखते हुए उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। मण्डक परियोजना में धन की कमी को देखते हुए इस पुल का प्रस्ताव वार्षिक योजना में नहीं लिया गया है। धन उपलब्ध होने पर और प्रस्ताव के विधिवत् अनुमोदन के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जनपद बांदा के चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता बढ़ाने की मांग

*20–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की चिल्लीमल पम्प नहर को 8-11-87 से 120 क्यूसेक की क्षमता से चलाया जाना था किन्तु पम्प पूरी क्षमता के साथ नहीं चल रहे हैं और कुल 75 क्यूसेक ही पानी दे पाते हैं? यदि हां, तो 120 क्यूसेक पानी न दे पाने, सूखे के अवसर पर समुचित समय पर नियमित रूप से किसानों को पर्याप्त पानी न दे पाने तथा पूरी क्षमता से नहर न चलाने के क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

जी नहीं, पम्प नहर पर प्रत्येक 40 क्यूसेक क्षमता के तीन पम्प बार्ज पर चलाये जा रहे हैं। इस प्रकार कुल क्षमता 120 क्यूसेक होती है। बरसात में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के कारण खरीफ में क्षमता प्रति पम्प 40 क्यूसेक से ज्यादा होती है परन्तु इसके बाद रबी में नदी में पानी का स्तर नीचे होने के कारण रबी में क्षमता कुछ कम हो जाती है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर के डोमहर माफी सहजनवां के नलकूप सं0 259 के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लखन सिंह ग्राम प्रधान डोमहर माफी सहजनवां जनपद गोरखपुर ने अपने पत्र दिनांक 16-12-86 द्वारा नलकूप सं0 259 बी0 जी0 के संबंध में जांच की मांग की है? यदि हां, तो अब तक जांच न कराये जाने के क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, परन्तु जांच की मांग नलकूप संख्या 259 जी0 जी0 से संबंधित है न कि 259 बी0 जी0 से, जिसका निर्माण वहीं किया गया है जहां तकनीकी दृष्टिकोण से सही पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में कतिपय नालों की खुदायी में हुए व्यय का विवरण

2—श्री चन्द्रभान मार्य—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र एतमादपुर, आगरा में वर्ष 1985-86 व वर्ष 86-87 में विरूनी खांडा नाले की खुदाई तथा चूहरपुर, नगला सिरजी व इमलिया सूरज की नालों की सफाई में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है? क्या यह सच है कि सफाई सिर्फ कागजों में ही पूरी की गयी है और मौके पर कार्य नाम मात्र का ही हुआ है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त दोनों वर्षों में किये गये कार्यों की सत्यता की मौके पर जांच जनता के बीच में कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में प्रश्नगत कार्यों पर निम्नवत् धनराशि व्यय हुई:—

क्रम सं	नाले का नाम एवं कार्य	व्यय (लाख रुपये में) 1985–86	1986–87
1	2	3	4
	1–विरूनी खाड़ा नाले की खुदाई	2–70	4–07
	2–चूहरपुर नाले की सफाई	0–53	0–25
	3–नगला सिरजी नाले की सफाई	0–10	0–03
	4–नगला इमलिया नाले की सफाई	0–01	0–02
	5–नगला सूरज नाले	शून्य	0–15

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता। उक्त कार्यों की माप की चैकिंग नियमानुसार सहायक अभियन्ता द्वारा की गई है तथा मा0 विधायक जी ने भी अधिशासी अभियन्ता को सम्बोधित अपने पत्र दिनांक 10-7-85 द्वारा चूहरपुर नाले की सफाई के कार्य के संबंध में अपनी सन्तुष्टि व्यक्त की है तथा लगनशीलता हेतु बधाई दी है।

जनपद मैनपुरी के राम गंगा कमाण्ड परियोजना क्षेत्र, शिकोहाबाद में गूल का निर्माण

3—श्री श्याम बिहारी सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें बुधवार के लिए निर्धारित श्री हरगोविन्द वर्मा भू0 पू0 एम0 एल0 ए0 द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 70 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग द्वारा कृषक की ओर से भूमि अध्याप्ति कर गूल के निर्माण की व्यवस्था की जा रही है? क्या यह सही है कि प्रश्नगत कुलाबा नम्बर 57 रामगंगा कमाण्ड परियोजना क्षेत्र, शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी के अधिकार में 1984 से आ गया है? यदि हां, तो क्या खेत संख्या 92 व 93 की सुविधाजनक सिंचाई के लिए खेत संख्या 57 व 58, 65 व 70 व तालाब संख्या 38 व 72 के किनारे से गूल निर्माण की जा रही है? यदि नहीं, तो आपत्ति के क्या कारण है ।

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही सन् 1983 में प्रारम्भ कर दी गई थी।

जी हां, प्रश्नगत कुलाबा नम्बर—57 रामगंगा कमाण्ड परियोजना क्षेत्र शिकोहाबाद जनपद मैनपुरी के अधिकार में 1984 में आ गया है।

खेत संख्या 92 व 93 की सुविधाजनक सिंचाई के लिए खेत संख्या—57, 58, 65 व 70 तथा तालाब संख्या—38 व 72 के किनारे से गूल का निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है, क्योंकि इनकी सिंचाई के लिए चकरोड के सहारे खेत सं0— 82, 70, 90, 91 में होती हुई गूल रामगंगा कमाण्ड विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा चुकी है।

जिलाधिकारी वाराणसी को कतिपय हरिजन महिलाओं द्वारा खादी ग्रामोद्योग सेवापुरी के विरुद्ध शिकायती पत्र

4—श्री राम सजीवन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद वाराणसी के ब्लाक काशी विद्यापीठ के ग्राम सरहरी व मनोरथपुर की 25 हरिजन महिलाओं ने जिलाधिकारी, वाराणसी को 23-12-87 को प्रार्थना पत्र देकर गांधी आश्रम खादी ग्रामोद्योग सेवापुरी के विरुद्ध शिकायतें की हैं? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 23-12-86 को 19 हरिजन महिलाओं ने जिलाधिकारी, वाराणसी के समक्ष सघन क्षेत्र विकास समिति (गांधी आश्रम खादी ग्रामोद्योग) सेवापुरी के विरुद्ध शिकायत की है।

प्रशिक्षण की अवधि में सूत कताई की मजदूरी का भुगतान न किए जाने छात्र-वृत्ति की राशि न दिए जाने तथा ऋण राशि में अनुदान न समायोजित होने की शिकायत की गई है।

दिनांक 13-7-87 को छात्रवृत्ति एवं सूत कताई की मजदूरी भुगतान यूनियन बैंक, बाछतारा के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों के पक्ष में समायोजन हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद मण्डल के कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई का कुल लक्ष्य एवं विगत वर्ष का वास्तविक सिंचन का प्रतिशत

5—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

6—श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

वाराणसी मण्डल में कुल सिंचाई व्यवस्था एवं विगत वर्षों का वास्तविक सिंचन प्रतिशत

7—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के कितने-कितने प्रतिशत क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कुमायूं मण्डल की कुल सिंचाई व्यवस्था एवं विगत वर्षों का वास्तविक सिंचन का प्रतिशत

8—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं मण्डल के कृषि योग्य क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत क्षेत्रफल राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में है तथा उसमें विगत पांच वर्षों में इन राजकीय सिंचाई संकर्मों द्वारा कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्रफल की वास्तविक सिंचाई हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कुमायूं मण्डल का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल 5.556 लाख हेक्टेयर है। मार्च, 1987 तक 1.78 लाख हेक्टेयर भूमि राजकीय सिंचाई संकर्मों के कमाण्ड में आ गयी है और यह कुल कृषि क्षेत्र का 32.00 प्रतिशत है।

गत 5 वर्षों की वास्तविक सिंचाई निम्न है:—

वर्ष	सिंचित क्षेत्र हैक्टेयर में (लाख हैक्टे0 में)	कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल का प्रतिशत
1982-83	1.39	25 प्रतिशत
1983-84	1.55	27.9 ,,
1984-85	1.62	29.1 ,,
1985-86	1.60	28.8 ,,
1986-87	1.68	30 ,,

जनपद बाराबंकी के कस्बा जेतपुर के निवासियों का हथकरघा उत्पादन क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

9—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 नवम्बर, 1985 को जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत कस्बा जेतपुर के निवासियों द्वारा हथकरघा उत्पादन केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार के संबंध में कोई शिकायती पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस शिकायती पत्र के आधार पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ओखला में सहायक अभियन्ताओं हेतु निर्मित आवासों को अन्य अधिकारियों को आवंटन करने की मांग

10—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि ओखला में सम्पर्क एवं क्रय अधिकारी का कोई पद है जिसके अधीनस्थ चार सहायक अभियन्ताओं हेतु आवास बने हुए हैं? यदि हां, तो इन आवासों में कौन-कौन अभियन्ता रह रहे हैं और कब से? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इन आवासों को अन्य अधिकारियों के लिए आवंटित करेगी? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेन्ट इन्स्टीट्यूट (वाल्मी) के ओखला में प्रस्तावित निर्माण का स्थानान्तरण

11—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी में है कि विभाग ने वाटर एण्ड लैन्ड मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट (वाल्मी) की इमारत बिना नक्शा पास कराये ओखला में (प्लाट नं0 67—68) निर्मित करा दी है जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे का निर्माण करने से रोक दिया है

और अब सिंचाई विभाग इस इंस्टीट्यूट को दूसरे स्थान पर निर्मित कर रहा है? यदि हां, तो शासन ने निर्माण पर कितना व्यय कर दिया है और इस कार्य में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? शासन ने उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वाटर एण्ड लैण्ड मैनेजमेंट इन्सटीट्यूट (वाल्मी) का निर्माण आंवला के प्लाट नं0 67-68 में प्रस्तावित था जिसका नक्शा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित था। यह आशा की जाती थी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण इस निर्माण पर आपत्ति नहीं करेंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति न दिये जाने के कारण इस इंस्टीट्यूट का निर्माण अन्यत्र किया जायेगा। उक्त कार्य पर 10.93 लाख रु0 व्यय हुआ है। परन्तु अब यह निर्णय लिया गया है कि इस प्लाट को वन भूभाग जो आमोद प्रमोद हेतु प्रयोग में लाया जायेगा, के रूप में विकसित किया जाना व सुरक्षित रखना है अतः उक्त व्यय से किये गये कार्यों का अधिकांशतः उपभोग उपरोक्त आशय से प्रस्तावित विकास हेतु हो जायेगा।

इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

12–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

सिंचाई विभाग के राजस्व अधिष्ठान में स्थायी एवं अस्थायी पदों की स्वीकृति

13–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में राजस्व अधिष्ठान के कितने स्थायी और अस्थायी पद स्वीकृत हैं और स्वीकृत पदों की पूर्वोक्त श्रेणियों में रिक्त स्थानों की संख्या क्या है एवं 1970 से कार्यरत जिलेदारी अर्हकारी परीक्षा से उत्तीर्ण जिलेदारों को अब तक स्थायी न किये जाने का कारण क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार विवरण निम्नवत् है :–

पद नाम	स्वीकृत अस्थाई पद	स्वीकृत स्थाई पद
1–उप राजस्व अधिकारी	73	69
2–जिलेदार	218	406
3–सींचपर्यवेक्षक	579	1926
4–सींचपाल	1215	6065
5–मुंशी	30	695
6–हैड मुंशी	72	66

जिलेदार के स्थाई 91 पद 44 अस्थायी पद तथा उपराजस्व अधिकारी के 39 अस्थायी पद तथा 67 स्थाई पद रिक्त है। अन्य श्रेणियों की सूचना एकत्र की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अन्तरिम आदेशों के कारण स्थायीकरण संभव नहीं हो पा रहा है।

जनपद बलिया के विकास क्षेत्र सीयर व नगरा में तालों एवं नालों की सफाई में कथित अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र

14—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया के विकास क्षेत्र सीयर व नगरा में तालों व नालों के जल विकास के लिए प्रश्नकर्ता ने कितने पत्र 1985-86 व 86-87 में शासन को लिखे हैं लेकिन शासन से निर्देश जारी के बावजूद उक्त क्षेत्र के सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता के षड़यंत्र के कारण प्राक्कलन के मुताबिक कार्य नहीं होता जिससे जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है? क्या सरकार जनहित में सीयर क्षेत्र के ड्रेनेज प्रकरण की जांच कराते हुए इस समस्या का समाधान करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह—

उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर वित्तीय वर्ष 85-86 व 86-87 में प्रश्नकर्ता के तीन पत्र प्राप्त हुए। उनमें सीयर क्षेत्र में जल भराव की समस्या तथा सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता ड्रेनेज द्वारा अधिशासी अभियन्ता को नाले की सफाई व खुदाई के बारे में अंधेरे में रखने तथा समय से कार्य न कराके फर्जी भुगतान की संभावना की शिकायत की गई थी। सहायक अभियन्ता व अवर अभियन्ता द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य कराया गया है।

इस क्षेत्र में 108.40 कि0 मी0 लम्बाई के 12 अदद विभागीय ड्रेन हैं जिनकी सीमित वित्तीय साधनों के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध धनराशि से यथासम्भव सामान्य सफाई का कार्य कराया जाता है। वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में क्रमशः 11 व 4 नालों पर रु0 211,085 तथा 75,240 की राशि का उपयोग किया गया।

सीयर क्षेत्र की ड्रेनेज समस्या के समाधान हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण कराकर छोटे-छोटे पाकेट्स का पानी निकालने के लिए 18 अदद लिंक ड्रेनों की 6.33 लाख रु0 की एक परियोजना प्राक्कलन तैयार करके स्वीकृत एवं धन आवंटन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बलिया को माह अक्तूबर 1985 में प्रेषित किया गया है जिस पर कोई धन प्राप्त नहीं हुआ है। धन उपलब्ध होने पर कार्य कराना सम्भव हो सकेगा।

उत्तर प्रदेश हस्त करघा निगम द्वारा चद्दरों एवं लुंगी की आपूर्ति में कथित अनियमितता

15—श्री बलराम यादव—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश हस्त करघा निगम द्वारा निर्मित स्टेपुल की चद्दरों (बेडसीट) तथा लुंगी की आपूर्ति विभाग द्वारा ली जाती है? क्या यह सही है कि समस्त आपूर्ति अनीस हैण्ड लूम साकेत हैण्डलूम, टाण्डा, फैजाबाद से ही करायी गयी है? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

जी नहीं।

जनपद लखनऊ के ग्राम बरवलिया में पम्प नहर बनाने की मांग

16–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के ग्राम बरवलिया में पम्प नहर का निर्माण हुआ था किन्तु वास्तव में यह पम्प नहर मीनापुर में बनायी गयी है? यदि हां, तो क्या ग्राम बरवलिया के काश्तकारों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निकट भविष्य में अन्य पम्प नहर का निर्माण किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

जी हां। बरौलिया पम्प नहर का निर्माण जनपद लखनऊ के विकास खण्ड मोहनलाल गंज के अन्तर्गत ग्राम मीनापुर में हुआ था।

जी नहीं ।

वर्तमान समय में बरौलिया में पम्प नहर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग, लखनऊ के विरुद्ध पत्रावलियों के गायब होने संबंधी शिकायती पत्र पर जांच

17–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूमि अध्याप्ति निदेशालय सिंचाई विभाग, लखनऊ के किसी लिपिक द्वारा 438/82, 439/82, 441/82, 442/82 जो कि बिहारीपुर माइनर से संबंधित एवं 445/83 फतेहपुर माइनर 506/86 जौनपुर छदान माइनर से संबंधित 445/83 फतेहपुर माइनर 506/86 जौनपुर छदान माइनर व 520/86 गोरखपुर, नलकूप संख्या 254 कम्पाउण्ड से संबंधित पत्रावलियां गायब किये जाने के संबंध में माह अगस्त, 1987 में कोई शिकायती प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है।

जनपद देहरादून में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों की निविदाओं को स्वीकार करने में विलम्ब के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

18–श्री हर्षवर्धन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 20 अगस्त, 87 का पत्र जो देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ एवं व्यासी बांधों की निविदाओं को स्वीकार करने में अनावश्यक विलम्ब के कारण लगभग 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार बढ़ने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र के तथ्य क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

सिंचाई विभाग द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई, अवर अभियंता (सिविल) का स्थानान्तरण

19—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई, अवर अभियंता सिंचाई बाइफरकेशन उप खण्ड पीलीभीत का स्थानान्तरण वर्ष 1984 में मुख्य अभियंता बहुउद्देशीय के अधीन किया गया था और आज तक इन्हें कार्यमुक्त नहीं किया गया है? यदि हां, तो इन्हें अब तक रोके जाने के क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई, अवर अभियंता (सिविल) का स्थानान्तरण पीलीभीत से मुख्य अभियंता (बहुउद्देशीय) देहरादून के अधिक्षेत्र को किया गया था परन्तु यह स्थानान्तरण वर्ष 1984 में नहीं अपितु 1985 में किया गया था। श्री बाजपेई, अवर अभियंता के स्वयं के एवं उनकी पत्नी के प्रार्थना पत्रों पर सम्यक विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी द्वारा अलग-अलग चरणों में 30-4-87 तक स्थानांतरण स्थगित किया गया। अवर अभियंता को दिनांक 25-5-87 (अपरान्ह) से शारदा सागर खंड, पीलीभीत से कार्य-मुक्त कर दिया गया।

श्री नाथू राम कुशवाहा, अवर अभियंता, बेतवा नहर प्रखण्ड झांसी के अवकाश अवधि के वेतन का भुगतान

20—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियंता बेतवा नहर प्रखण्ड झांसी श्री एम0 पी0 अग्रवाल ने अपने अधीनस्थ अवर अभियंता श्री कुशवाह को एक वर्ष का वेतन किन कारणों से भुगतान नहीं किया था? क्या यह सही है कि उक्त अवर अभियंता को श्रम न्यायालय ने बकाया वेतन एक माह के अन्दर भुगतान किये जाने के आदेश विभाग को दिये थे? यदि हां, तो एक माह में अधिशासी अभियंता ने उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील न करके अवर अभियंता को बहत्तर हजार रुपये का भुगतान कर दिया था? यदि हां, तो उक्त धनराशि का भुगतान किस मद से किया गया तथा क्या भुगतान हेतु अधीक्षण अभियंता की औपचारिक अनुमति भुगतान के पूर्व प्राप्त कर ली गयी थी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री नाथू राम कुशवाहा अवर अभियंता दिनांक 15-12-82 से 20-9-83 तक टुकड़ों-टुकड़ों में अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रेषित कर कार्य से अनुपस्थित रहे। अवकाश स्वीकृत न होने के कारण श्री कुशवाहा के वेतन का भुगतान नहीं हो सका। इस अवधि में अधिशासी अभियंता श्री एम0 पी0 अग्रवाल नहीं अपितु श्री राम राज शुक्ला थे।

जी हां।

डी0 जी0 सी0 की राय के अनुसार 76826/- की वांछित धनराशि अग्रिम प्रकीर्ण डालकर उप श्रमायुक्त, झांसी के कार्यालय में जमा करने के पश्चात् दिनांक 1-1-85 को अपील दायर की गई जो स्वीकार कर ली गई। अधीक्षण अभियंता ने भुगतान तथा अपील के व्यय की औपचारिक स्वीकृति दी थी। अपील अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव, सोनहटी, बस्ती के चक में लगे सरकारी नलकूप के मुआवजे की मांग

21–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में ग्राम सोनहटी खुर्द, तहसील बस्ती में श्री सुशील चन्द्र श्रीवास्तव आत्मज स्व0 श्री बलभद्र प्रसाद के चक में लगे सरकारी ट्यूबवेल के लिए ली गयी उनकी भूमि का मुआवजा अभी तक न दिये जाने, उक्त ट्यूबवेल की नालियों की मरम्मत न किये जाने तथा 11-12 वर्षों में उनकी फसल की क्षति पूर्ति न किये जाने के विषय में शासन का प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-3-87 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई? सरकार कब तक श्री श्रीवास्तव को उनकी भूमि फसल का मुआवजा मय ब्याज के दिला देगी तथा नालियों की पक्की मरम्मत करा देगी ? क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल के रख रखाव पर होने वाले व्यय तथा इससे होने वाली आमदनी को देखते हुए इसे वर्तमान स्थान से हटाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड बस्ती द्वारा प्रश्नगत भूमि मुआवजे का प्रकरण विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को माह 12/87 में प्रेषित कर दिया गया है।

भूमि आदि के मुआवजे वितरण की कार्यवाही भूमि अध्याप्ति अधिकारी के स्तर से की जाती है प्रश्नगत नलकूप की नालियों की मरम्मत करा दी गयी है । प्रश्नगत नलकूप को वर्तमान स्थान से हटाये जाने पर विचार नहीं किया जा रहा है क्योंकि नलकूप समुचित सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जा रहा है।

प्रदेश में अधिकतम सिंचन क्षमता के उपयोग का प्रयास

22–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 8 वर्षों से प्रदेश में कुल सिंचन क्षमता से वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत प्रत्येक वर्ष घटता जा रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है? क्या यह सत्य है कि मुख्य कारण फर्जी सिंचन क्षमता का सृजन दिखाना, बनाए गए सिंचन संकर्मों का त्रुटिपूर्ण डिजाइन तथा घटिया स्तर का निर्माण खराब रख रखाव तथा शीर्ष स्तरों पर पर्यवेक्षण का न होना है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर सिंचन क्षमता के अधिकतम उपयोग को बढ़ायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। इसके कारण हैं शारदा सहायक नहर, गंडक नहर के कमाण्ड क्षेत्रों में कृषकों द्वारा जायद एवं खरीफ की फसलों का कम बोया जाना, नलकूपों को समुचित विद्युत उपलब्ध न होना तथा कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु पानी का अनाधिकृत उपयोग इत्यादि है।

जी नहीं। सिंचन क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

23–श्री अर्जुन सिंह यादव–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

राज्य योजना द्वारा मसौनी पम्प नहर परियोजना हेतु स्वीकृत धन एवं व्यय विवरण

24–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

सन् 1986 के विधान सभा के प्रथम सत्र के छठे बुधवार को प्रश्नकर्ता के पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य योजना से मसौनी पम्प कैनाल को पूरा कराने के लिये कब तक धन उपलब्ध हो जायेगा और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मसौनी पम्प नहर परियोजना वर्ष 1977-78 में डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत हुई थी । इस परियोजना पर वर्ष 1984-85 तक रु0 14.89 लाख का व्यय हुआ है । अब निर्माण ग्रामग्री वे मजदूरी की दरों में वृद्धि हो जाने के कारण शेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु इसके परियोजना प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया जा रहा है ।

25–श्री राम चन्द्र बक्श सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद जौनपुर में जगदीशपुर पम्प नहर हेतु अर्जित भूमि प्रतिकर का भुगतान

26–श्री अर्जुन सिंह यादव–

द्वितीय सत्र 1983 के प्रथम बुध की अता0 प्र0 सं0 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर के जगदीशपुर पम्प नहर के ग्राम केशवपुर का सम्पूर्ण भू प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त ग्राम के आराजी संख्या 28 के काश्तकार ने भू प्रतिकर के विषय में प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो भू प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद जौनपुर में जगदीशपुर पम्प नहर के ग्राम केशवपुर में अर्जित भूमि का प्रतिकर निर्धारण करके वर्ष 1985 में प्रभावित भूस्वामियों को, जो लोग उपस्थित हुये, उनका प्रतिकर भुगतान किया जा चुका है तथा जो उपस्थित नहीं हुए उनके प्रतिकर की धनराशि राजस्व मद में जमा कर दी गयी है । गाटा सं0 28 के भूस्वामी के नाम से रु0 870-97 पैसा राजस्व मद में जमा है । प्रतिकर वितरण के समय यह ज्ञात हुआ कि भूमि का स्वामी बाहर कार्यरत है । उनका वर्तमान पता उपलब्ध न होने के कारण उन्हें कार्यालय से नोटिस जारी नहीं की गयी । अतः भूस्वामी को प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है । प्रतिकर की धनराशि वह कार्यालय दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं । भूस्वामी के प्रार्थना पत्र की स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रक्सी पंचमपुर बांध के श्री बारे लाल आदि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

27–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के लिखित पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री के संयुक्त सचिव (श्री विजय शंकर पाण्डेय) ने बांदा के सिंचाई विभाग (तृतीय) के अन्तर्गत रक्सी पंचमपुर बांदा में श्री बारे लाल पुत्र श्री मेखइयां आदि का कार्य करने वाले मजदूरों को मजदूरी न मिलने से संबंधित प्रकरण से सचिव सिंचाई को मजदूरी दिलाने के संबंध में आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो क्या मजदूरों को मजदूरी मिल गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रक्खी पंचमपुर बांध (न कि राखी पंचमपुर बांदा) के श्री बारे लाल पुत्र श्री मेखाइयां आदि मजदूरों को मजदूरी भुगतान के सम्बन्ध में प्रश्नगत पत्र प्रार्थना पत्र सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ था ।

उक्त प्रकरण श्रम न्यायालय झांसी में विचाराधीन है । इसलिए मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करना संभव नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ के सिंचाई खण्ड–2 द्वारा भरौली माइनर पर निर्मित सर्विस रोड के रख रखाव पर हुए व्यय का विवरण

28–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ सिंचाई खण्ड-2 द्वारा भरौली माइनर पर जो सर्विस रोड का निर्माण हुआ उसकी चौड़ाई क्या है तथा उस माइनर पर हर वर्ष में रख रखाव के लिये कि0 मी0 वाइज कितना धन का व्यय हुआ है तथा उक्त माइनर से किन-किन ग्रामों में रबी व खरीफ की फसल की सिंचाई की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत सर्विस रोड की चौड़ाई 3.6 मीटर है ।

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 98-102 पर)

श्री राम सिंह, सुपाना, छाता जनपद मथुरा के चक में अनियमित सिंचाई अभिलेख के संबंध में शिकायती पत्र पर जांच

29–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम सुपाना तह0 छाता जिला मथुरा के किसान राम सिंह पुत्र श्री पूरन ने दिनांक 24-7-87 को इस आशय का प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता आगरा अपर कैनाल मथुरा व अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा को दिया था कि चक नं0 1, 323, 372 पर बिना सिंचाई किए हुए सिंचाई अंकित कर दी गयी है ? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मण्डल सिंचाई

कार्य आगरा द्वारा अपने पत्र संख्या 9133 पी/60 दिनांक 28-7-86 के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अधीक्षण अभियन्ता तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा का पत्र संख्या 7663/3/पी-110/1 दिनांक 14-8-87 भी इसी संदर्भ में मिला है ? यदि हां, तो क्या इसमें की गयी कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, श्री राम सिंह का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ । अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र के साथ मूल प्रार्थना पत्र संलग्न कर अधिशासी अभियन्ता को स्थानीय जांच हेतु निदेश दिये । जांच के फलस्वरूप श्री राम सिंह के चक सं0-1, 323 व 372 डाल द्वारा सिंचित पाये गये जिसको उन्होंने स्वीकार किया । वर्ष 1393 व 1394 फसली में यह दोनों चक तोड़ द्वारा सिंचित दर्ज हुए थे जिन पर तोड़ सिंचाई कर रु0 2365.18 होता था । जांचोपरान्त डाल सींचकर 1240.59 रु0 निर्धारित हुआ । फलस्वरूप कृषक को रु0 1124.59 पैसे की सींचकर की छूट दी गई और इसकी सूचना दिनांक 21-11-87 को उन्हें दे दी गई । तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य, आगरा का पत्र अधिशासी अभियन्ता, अपर खण्ड, आगरा नहर, मथुरा को दिनांक 17-8-87 को प्राप्त हुआ । इसे अधिशासी अभियन्ता ने 24-8-87 को उप राजस्व अधिकारी को मामले की जांच एवं छानबीन कर तथ्यों की जानकारी हेतु भेजा । उपराजस्व अधिकारी से दिनांक 24-12-87 को तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने पर अधिशासी अभियन्ता ने दोषी सींचपाल व सींच पर्यवेक्षक को कड़ी चेतावनी दी । कृत कार्यवाही को यह सूचना एतद्द्वारा प्रस्तुत है ।

मे0 एवन प्लास्टिक कं0 हापुड़ के विद्युत बकाया की वसूली को किस्तों में करने का आदेश

30–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे0 एवन प्लास्टिक कं0 हापुड़ के विद्युत बकाया को किश्तों में वसूल करने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर दिनांक 5-12-86 को उन्होंने एक आदेश पारित किया था ? क्या यह सही है कि दिनांक 4-2-87 तक अधि0 अभि0 हापुड़ द्वारा उसकी रिपोर्ट न भेजने तत्पश्चात तथ्यों को गुमराह करते हुए रिपोर्ट भेजने के संबंध में मंत्री जी ने पुनः प्रश्न कर्ता के पत्र पर दिनांक 19-2-87 को किश्तों में बकाया की वसूली तथा अधि0 अभि0 द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट की जांच किये जाने हेतु आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो उक्त जांच की क्या रिपोर्ट थी तथा उस अभि0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता हापुड़ ने अपनी रिपोर्ट 4-2-87 को भेज दी थी । तत्कालीन माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने अधिशासी अभियन्ता की रिपोर्ट पर अपने पत्र दिनांक 19-2-87 में तथ्यों को गुमराह करने की बात नहीं कही है । बल्कि

केवल तथ्यों को अंकित न करने की बात कही है । इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता गाजियाबाद द्वारा जांच किये जाने पर यह पाया गया कि अधिशासी अभियन्ता हापुड़ की दिनांक 4-2-87 की रिपोर्ट तथ्यों के अनुसार ही है । अतः अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक विद्युत बकाए को किश्तों में वसूल करने का प्रश्न है, मुख्य अभियन्ता, मेरठ जोन द्वारा दिनांक 18-4-87 को 6 किश्तों में धनराशि जमा करने के निर्देश कर दिये गये ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिलों को बनाने की व्यवस्था

31–सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा बिलों के बनाने की क्या व्यवस्था है ? क्या परिषद् के बिलों की अन्तिम रूप से संगणना कम्प्यूटर द्वारा कराई जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 में कम्प्यूटर पर कितना अतिरिक्त धन व्यय किया गया ? क्या कम्प्यूटर प्रणाली लागू करने के पूर्व यह कार्य सामान्य लिपिक वर्ग से ही कराया जाता था ? यदि हां, तो नई प्रणाली लागू कर अतिरिक्त व्यय करने का क्या कारण है ? क्या इससे उत्पन्न अन्य कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शासन पूर्व प्रणाली के अनुसार विद्युत बिलों के निर्माण की व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में घरेलू बत्ती एवं पंखे, वाणिज्यक बत्ती एवं पंखे तथा लघु एवं मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए बिल कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बनाये जाते हैं । उनकी गणना आज की तिथि में लगभग 22 लाख उपभोक्ताओं की है । निजी नलकूपों एवं पम्पिंग सेटों के बिलों का लेखा-जोखा भी कम्प्यूटर प्रणाली पर डालने की प्रक्रिया आरम्भ हो गयी है ।

जी हां ।

वर्ष 1984-85 में कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बिल बनाने की लागत रु0 1.91 प्रति बिल एवं वर्ष 1985-86 में रु0 1.95 प्रति बिल रहा जो कि विभागीय लिपिकों द्वारा बिल बनाने की लागत से कम रहा ।

कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बनाये जाने वाले बिलों की लागत विभागीय लिपिकों द्वारा बिल बनाये जाने की लागत से कभी भी अधिक नहीं रही । यह तथ्य इस बात से भी स्पष्ट है कि लिपिकों द्वारा बनाये गये बिलों का औसत 1.25 बिल कम होकर कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा एक बिल रह गया ।

केवल प्रारम्भिक वर्ष 1976 में जबकि कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बिल बनाने की प्रक्रिया शुरू करने में परिषद् को सिस्टम, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, मास्टर फाइल क्रीयेशन आदि में अपरिहार्य परिस्थितियों में अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ा ।

वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग आदि का व्यय विभिन्न फर्मों को स्वयं वहन करना पड़ा । अतः परिषद् को कम्प्यूटर प्रणाली से वर्ष 1984-85 एवं 1985-86 में कोई अतिरिक्त धन व्यय नहीं करना पड़ा ।

जी हां ।

कम्प्यूटर प्रणाली से प्राप्त लाभों का मूल्यांकन, अतिरिक्त व्यय से कहीं अधिक था तथा अब भी है ।

कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बिल बनने का विश्लेषण यदि केवल आर्थिक दृष्टि से बिना इससे प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए किया जाये तो उचित नहीं होगा ।

इस प्रणाली द्वारा बिल बनाने में कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न हो रही है वरन् इसके विपरीत कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बिल बनाने से कई अतिरिक्त लाभ हुए हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत् है :–

1–शत-प्रतिशत उपभोक्ताओं के बिल निर्धारित समय से बन जाना जो मैनुअली सम्भव नहीं है ।

2–बिल अधिकतर सही बनते हैं और केवल जिन कतिपय मामलों में बिल गलत बनते हैं उनमें गलती प्रायः खण्डों द्वारा गलत सूचनाओं के देने के कारण होती है ।

3–कितने मीटर पढ़े नहीं गये हैं, अथवा कितने मीटर त्रुटिपूर्ण हैं, एवं कितने समय से त्रुटिपूर्ण हैं, इसका लेखा-जोखा इस प्रणाली द्वारा हर माह नियमित रूप से मिलता है ।

4–उपभोक्ताओं पर बकाये की धनराशि की सूची भी नियमित रूप से, विद्युत विच्छेदन हेतु उपलब्ध होती रहती है ।

5–अन्य वाणिज्यिक स्टेटमेन्ट भी इस प्रणाली द्वारा बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के हर माह उपलब्ध होते रहते हैं ।

6–नये प्रत्याशित उपभोक्ताओं की सूची भी हर माह मिलती रहती है ।

उपरोक्त सूचनाओं का प्रति मास लिपिक वर्ग द्वारा समय से संकलन कर पाना नितांत कठिन एवं लगभग अव्यवहारिक सा है ।

इसलिए कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा बिल बनाने से संबंधित कार्य सामान्य लिपिक वर्ग द्वारा, बिल बनाने की पूर्व प्रणाली का पुनः वापस लाने का कोई औचित्य नहीं है ।

लखनऊ स्थित चिनहट विद्युत उपकेन्द्र में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं उनके अर्जित सम्पत्ति की जांच की मांग

32–श्री भगौती सिंह–

दिवतीय सत्र 87 के पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 87 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्बन्धित कर्मचारियों का स्थानान्तरण कब किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त संदर्भ में क्या मंत्री जी यह भी बताएंगे कि अवर अभियन्ताओं से प्राप्त उनकी सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या इनसे प्राप्त विवरण की सत्यता एवं इनकी बेनामी सम्पत्तियों की भी जांच कराई जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम अल्लीपुर काडेरा निवासी के बैंक की विद्युत तार छूने से हुई मृत्यु के मुआवजे की मांग

33–श्री शेर बहादुर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री आर0 पी0 सुमन सांसद का दिनांक 26 जुलाई, 1987 का पत्र जो विधान सभा 1987 के प्रथम सत्र के प्रथम शुक्रवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 मा0 नत्थू लाल विकल विधायक के प्रश्न पर दिये गए उत्तर के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र को सदन की पटल पर रखते हुए संबंधित विषय में शासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्व0 श्री राजबहादुर सिंह, पैट्रोल मैन, हाईडिल सर्विस कनेक्शन उपखण्ड, अलीगढ़ के दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति भुगतान के निर्देश

34–श्री कल्यान सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मण्डल, अलीगढ़ के कार्यालय का पत्र संख्या 16269 (आई) ई0 डी0 सी0 ए0 (ई)/11-4/एच0 आर0 फ0 ई0 आई0/पी0 एफ0 दिनांक 19-2-87 जो चीफ इंजीनियर (आगरा जोन) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित है, सरकार को प्राप्त हुआ है, जिसमें पेट्रोल मैन भी राज बहादुर के दिनांक 9-7-71 को उपखण्ड अधिकारी (पंचम) हाइडिल सर्विस कनेक्शन उपखण्ड अलीगढ़ क्षेत्र छर्रा, जिला अलीगढ़ में विद्युत परिषद् का कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण क्षतिपूर्ति करने की अनुसंशा की गयी है ? क्या इसी संबंध में उक्त अधीक्षण अभियन्ता का पत्रांक 26269/ई0 डी0 सी0 ए0/एच0-4-15/620/आई/अलीगढ़ दिनांक 20-12-86 भी चीफ इंजीनियर आगरा जोन, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को मिला है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों के संदर्भ में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा अभी तक श्री राज बहादुर को क्षतिपूर्ति न देने के क्या कारण हैं और क्षतिपूर्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

ऐसा कोई पत्र परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है ।

जी नहीं, परन्तु इस संबंध में मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, आगरा से एक अन्य पत्र परिषद् में प्राप्त हुआ है । सन्दर्भित पत्र परिषद् मुख्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है । श्री राज बहादुर को क्षतिपूर्ति के भुगतान किये जाने हेतु निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को परिषद् के पत्रांक-284 ई0 ए0/एस0 ई0 बी0 दिनांक 4-2-88 द्वारा दे दिये गये हैं ।

जनपद बस्ती के बूढ़ी राप्ती नदी पर भरदहवा नामक बांध की मरम्मत में की गई अनियमितता संबंधी शिकायती पत्र पर जांच परिणाम की मांग

35–श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जिले के अंतर्गत बूढ़ी राप्ती नदी के दायें किनारे पर अशोगवा, मदरहवा नामक बांध सिंचाई विभाग का है? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस बांध पर अक्तूबर, 1985 और मार्च, 86 के बीच के दिनों में ग्राम सौंगोली तथा नवेल के बीच मरम्मत के कार्य कराये गये थे और इस कार्य में भारी घोटाले की शिकायत विभाग से की गयी थी जिसके सम्बन्ध में विभाग ने जांच समिति बनायी थी? यदि हां, तो जांच कब पूरी हुई तथा इसके क्या परिणाम रहे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

36–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोंडा के विकास खण्ड छपिया में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य बिलकुल शून्य है? क्या यह सही है कि उक्त विकास खण्ड के हरिजन बाहुल्य गांव भी उपरोक्त योजना से वंचित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड छपिया को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का लाभ शीघ्र पहुंचाने की कोई योजना बनायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। जनपद गोण्डा के विकास खण्ड छपिया में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य प्रगति पर है। जिसमें हरिजन बाहुल्य गांवों में भी विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है। जनवरी, 1988 तक उक्त विकास खण्ड में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 53 ग्राम एवं एल0 टी0 लाइन बिछाकर 20 ग्राम व 24 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। अतः आगे प्रश्न नहीं बनता है।

शारदा सहायक पोषक नहर बाराबंकी के क्षेत्र को शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी के अधीन करने की मांग

37–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक पोषक नहर के पश्चिम स्थित क्षेत्र तक का बहुत बड़ा भाग सीतापुर प्रखण्ड शारदा नहर के अधीन रखा गया है तथा उस प्रखण्ड के सभी अधिकारी सीतापुर में ही रहते हैं जिसके कारण बाराबंकी जनपद के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है? इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 23-9-87 क्या सचिव, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ? यदि हां, तो जनपद बाराबंकी के क्षेत्र को शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी के अधीन करने में शासन को क्या कठिनाई है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शारदा सहायक पोषक नहर के पश्चिम स्थित क्षेत्र, जो जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत आता है, सीतापुर खण्ड, शारदा नहर, सीतापुर का प्रथम उपखण्ड सिधौली एवं जिलेदारी इटौंजा में पड़ता है। जनपद बाराबंकी के कृषक अपनी सिंचाई संबंधी समस्या के निराकरण हेतु उक्त अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं। मा0 विधायक का पत्र दिनांक 23-9-87, उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। उल्लेखनीय है कि नहरों का प्रणालीवार नियंत्रण ही उचित एवं प्रभावी रहता है। अतः बाराबंकी जनपद के सीतापुर खण्ड, शारदा नहर, सीतापुर के अन्तर्गत प्रथम उपखण्ड सिधौली में पड़ने वाली नहरों को वर्तमान में वर्तमान खण्ड में ही रखना कृषकों के हित में प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिए सेवा पुस्तिका आदि की व्यवस्था

38–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के डिपो/कैफेटेरिया में कार्यरत कर्मचारियों की कोई सेवा पुस्तिका बनायी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या कर्मचारियों का फण्ड और अन्य कटौती की धनराशि उनके खाते में जमा की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या उनकी पास बुक भी तैयार कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

कर्मचारियों की पास बुकें तैयार की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री इन्द्रासन राम अधिशासी अभियंता बाढ़ खण्ड गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

39–श्री विष्णुदेव तथा श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव, प्रान्तीय अध्यक्ष, उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित अल्प संख्यक समाज सुधार समिति ने दिनांक 28-7-87 को अधिशासी अभियंता, बाढ़ खण्ड, गोरखपुर के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायती पत्र दिया था? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या-क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत शिकायती पत्र दिनांक 28-7-87 की प्रतिलिपि शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1988 के साथ प्राप्त हुई है।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में बाढ़ खण्ड गोरखपुर के अधिशासी अभियंता श्री इन्द्रासन राम के विरुद्ध नलकूप चालक की अनियमित नियुक्ति करने अनुसूचित जाति के आरक्षण नीति पर ध्यान नहीं देने विभिन्न बांधों के मरम्मती कार्यों में पर्याप्त मात्रा में सरकारी धन हड़प लेने की शिकायतें मुख्य रूप से की गयी हैं।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच करके अपनी आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने के लिए प्रमुख अभियंता (भू0वि0प्र0) सिंचाई विभाग, लखनऊ तथा मुख्य अभियंता (गण्डक) सिंचाई विभाग, गोरखपुर को आदेश दे दिये गये हैं।

40–श्री राम आसरे वर्मा–

[करण संख्या 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, निरालानगर, लखनऊ के कर्मचारियों के एरियर (अवशेष) का भुगतान

41–श्री सरदार सिंह तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0, निरालानगर, जनपद लखनऊ के अधीन कार्यरत कितने कर्मचारियों ने माह अगस्त, 1976 में स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया था ? यदि हां, तो उनमें से कितने कर्मचारियों को वर्ष 1969 से पुनरीक्षित वेतनमान उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा एरियर (अवशेष) का भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा उन्हें कब तक इसका भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

केवल एक कर्मचारी। इन्हें वर्ष 1969 से पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष (एरियर) भुगतान नहीं किया गया था क्योंकि इनका कोई पता समिति में उपलब्ध नहीं था। इस कर्मचारी ने हाल ही में प्रार्थना पत्र दिया है तथा उनको अवशेष (एरियर) धनराशि का भुगतान दिनांक 17-2-88 को कर दिया गया है।

जनपद मुरादाबाद के गजरौला में विद्युत तार से अब्दुल गनी की हुई मृत्यु की सी0 आई0 डी0 जांच तथा मृतक के परिवार को दिया गया मुआवजा

42–श्री रमाशंकर कौशिक–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 7 जुलाई, 1986 में जनपद मुरादाबाद के अन्तर्गत कस्बा गजरौला में विद्युत तार लग जाने से अब्दुल गनी नामक व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में सी0 आई0 डी0 द्वारा कोई जांच करई गई थी ? यदि हां, तो उक्त जांच के बाद दोषी विद्युत कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा मृतक के परिवार को कितना धन मुआवजा के रूप में दिया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जमानिया पम्प लिफ्ट कैनाल जनपद गाजीपुर के कार्यरत अधिशासी अभियन्ता/कर्मचारियों के विरुद्ध भू0 पू0 सदस्यों के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

43–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986 में जमानिया पम्प लिफ्ट कैनाल, जनपद गाजीपुर पर कार्यरत अधिशासी अभियन्ता एवं उनके अधीनस्थ कुछ कर्मचारियों द्वारा की जा रही तमाम अनियमितताओं के सम्बन्ध में जनपद गाजीपुर के कुछ भूतपूर्व विधायकों एवं विशिष्ट लोगों द्वारा शिकायत करते हुई सिंचाई सचिव, तकनीकी जांच एवं अन्य जांच कराये जाने की मांग वर्ष 86 में अप्रैल, 1986 से जुलाई, 1986 के दौरान की गई थी? क्या यह सही है कि उक्त अधिशासी अभियंता को शासन द्वारा कराई गयी तकनीकी जांच में दोषी पाया गया? यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, । श्री साहब सिंह भूतपूर्व विधायक, श्री मुद्रिका सिंह यादव, ब्लाक प्रमुख रेवतीपुर तथा श्री राधेश्याम गुप्ता, सदस्य, जिला परिषद्, गाजीपुर का प्रश्नगत विषय पर शिकायती पत्र दिनांक 13-6-86 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच सिंचाई विभाग के मुख्य प्राविधिक परीक्षक के माध्यम से कराई गयी और प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या प्राविधिक परीक्षक के पत्र दिनांक 23 जनवरी, 1988 तथा 4 फरवरी, 1988 के साथ प्राप्त हुई है जो शासन के परीक्षणाधीन है।

अभी प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के सण्डीला से गौसगंज/मल्लावां मार्ग पर बसों की संख्या तथा अवैध परमिट वाली बसों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

44–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सण्डीला से गौसगंज होकर मल्लावां मार्ग पर वर्तमान समय में कितनी बसें चल रही हैं तथा 31 दिसम्बर, 87 तक कितनी बसों के परमिट किन-किन तारीखों को दिए गये ? उपरोक्त मार्ग पर चलने वाली बसों के नम्बर, बस मालिकों के नाम और पते क्या हैं ? क्या यह सही है कि इस मार्ग पर कुछ बसें बिना परमिट के चल रही हैं ? यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम कानपुर द्वारा किया गया टेण्डर में अनियमितता के सम्बन्ध में तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कृत कार्यवाही

45–श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम, कानपुर ने दिनांक 26-10-87 को वेस्ट काटन के पांच मिलों के टेन्डर किये थे और चार मिलों के कान्ट्रेक्ट पार्टियों को दे दिए गये थे लेकिन काशीपुर यूनिट का कान्ट्रेक्ट हरियाना काटन वेस्ट सेन्टर, मुरादाबाद को नहीं दिया गया, जब कि उक्त दिनांक के टेन्डर पर इनका रेट सबसे अधिक था ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर मुरादाबाद से चोरी हुए मोटर के सम्बन्ध में प्रादेशिक को आपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 लखनऊ को दिया गया शिकायती-पत्र

46–श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद से एक 125 हा0 पा0 का मोटर चोरी हो गया है जिसकी शिकायत पत्र दिनांक 20-9-87 रजिस्ट्री नम्बर 3433 द्वारा श्री बी0 के0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 को डेरी फेडरेशन पार्क रोड, लखनऊ से की गयी थी ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर मुरादाबाद में 125 हार्स पावर की कुल 3 मोटरें है, इसमें से कोई भी चोरी नहीं गयी है । प्रादेशिक को-आपरेटिव डेरी फेडरेशन लि0 लखनऊ में प्राप्त पत्र संख्या-3433, दिनांक 20-9-87 में 125 हार्स पावर के मोटर के चोरी होने का उल्लेख नहीं है अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य प्रबन्धक इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर को दी गयी प्रोन्नति

47–श्री मोहम्मद रिजवानुलहक–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सामान्य प्रबन्धक, इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद की क्या योग्यता है ? क्या यह सही है कि इनकी शैक्षिक योग्यता इस पद हेतु पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो किस आधार पर प्रोन्नति देकर पांच वर्षों के अन्दर ही सामान्य प्रबन्धक बना दिया गया है ? क्या इन्हें इनके पूर्व पद पर भेजने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्तमान सामान्य प्रबन्धक, इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुहादाबाद श्री ओ0 पी0 यादव की योग्यतायें निम्नांकित हैं:–हाई स्कूल एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा तथा इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियर्स कलकत्ता से ए0 एम0 आई0 ई0 का भाग "ए" व प्रातंधकीय पद पर 15 वर्ष का अनुभव ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सामान्य प्रबंधक (डेरी) के पद हेतु निर्धारित की गयी योग्यता और अर्हता रखने एवं विधिवत् गठित की गयी चयन समिति की संस्तुति के उपरांत श्री ओ0 पी0 यादव की नियुक्ति सामान्य प्रबन्धक इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद के पद पर सीधी भर्ती द्वारा की गयी है न कि उक्त पद पर उनको प्रोन्नति दी गयी है ।

48–श्री भगवानदीन कुशवाहा–

[दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 135 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद अल्मोड़ा के डोटल गांव का विद्युतीकरण

49–भी भगवान दीन कुशवाहा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम डोटल गांव, तहसील रानीखेत, पोस्ट आफिस बगवालीणेखर, जिला अल्मोड़ा में कितने हरिजन परिवार हैं एवं उनमें से कितने परिवारों के घरों का विद्युतीकरण किया गया है ? क्या यह सत्य है कि उक्त गांव में केवल सवर्णों को ही ग्रामीण विद्युतीकरण की सुविधा प्रदान की गयी है एवं हरिजन बस्ती के समस्त परिवारों को उक्त सुविधा से वंचित रखा गया है ? क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ग्राम डोटल गांव पो0 आ0 बगवाली पोखर जिला अल्मोड़ा में 60 हरिजन परिवार हैं, इनमें से किसी भी हरिजन परिवार का घर विद्युतीकृत नहीं हो सका है ।

जी हां ।

वर्ष 1980 में विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्राम डोटल गांव का विद्युतीकरण किया गया था उस समय विद्यमान 11 के0 वी0 लाइन से ग्राम के निकटस्थ मुख्य भाग, जिसमें सवर्ण रहते हैं, को विद्युत उपलब्ध करायी जा सकी थी ।

जी नहीं । ग्राम का दूसरा भाग जिसमें हरिजन रहते हैं, लगभग 2-1/2 कि0 मीटर दूर स्थित है और तत्कालीन विद्युतीकरण योजना में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण मुख्य ग्राम से दूर स्थित यह भाग विद्युतीकरण से वंचित रह गया था ।

विखण्डित सिंचाई निर्माण खण्ड, मिर्जापुर के अधिशासी अभियंता की सतर्कता जांच के समय स्थानान्तरण तथा पुनः पद स्थापन

50—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विखण्डित सिंचाई निर्माण खण्ड, मिर्जापुर के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध बेलन बकहर नहर, मिर्जापुर के सिलसिले में सतर्कता जांच के कारण उनका स्थानान्तरण 1982 में जनपद से बाहर किया गया था ? क्या उसी ई0 ई0 की पद स्थापना 1987 में मिर्जापुर नहर प्रखण्ड मिर्जापुर में पुनः की गयी है जिसमें विखंडित सिं0 नि0 खण्ड मिर्जापुर निर्विवाद एवं निष्पक्ष जांच हेतु, शासन को सही सूचना देने एवं अभिलेखों के समुचित रख रखाव तथा हेराफेरी रोकने हेतु उक्त ई0 ई0 अथवा बेलन बकहर परियोजना के समस्त अभिलेखों तथा कार्यों को मि0 न0 प्र0 मिर्जापुर से किसी अन्य प्रखण्ड में तत्काल स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी हां । बेलन बकहर परियोजना के कार्य, जो कि सिंचाई निर्माण खण्ड मिर्जापुर नहर प्रखण्ड मिर्जापुर में आयें थे, अक्टूबर 1986 में सिरसी बांध प्रखण्ड मिर्जापुर वत् स्थानान्तरित कर दिये गये ।

बेलन बकहर परियोजना से सम्बन्धित समस्त अभिलेख पहले ही अधीक्षण अभियंता के व्यक्तिगत संरक्षण में लिये जा चुके है । ऐसी स्थिति में उक्त अधिशासी अभियंता की मिर्जापुर नहर प्रखण्ड, मिर्जापुर में पदस्थापना से जांच पर कोई कुप्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है ।

जनपद लखनऊ के गहरू सबस्टेशन के जले ट्रान्सफार्मर का बदलाव

51—श्री शारदा प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गहरू सब स्टेशन का ट्रान्सफार्मर अप्रैल, 1987 में जल गया था तथा उसे बदलकर नया ट्रान्सफार्मर लगाया गया था तथा यह ट्रान्सफार्मर बोर्ड के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की लापरवाही से क्षतिग्रस्त हुआ था उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20 मई, 87 एवं 17 जुलाई, 1987 उन्हें प्राप्त हुआ? यदि हां, तो उक्त शिकायती पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लखनऊ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित गहरू सब स्टेशन का 3 एम0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर 18-4-87 को जल गया था । उसे बदल कर 5 एम0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर 17 मई 1987 को लगाया गया । ट्रान्सफार्मर उपकरणों में तकनीकी खराबी के कारण जल गया था । किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की लापरवाही के कारण ट्रांसफार्मर नहीं जला था । शिकायती पत्रों पर जांच की गई थी परन्तु कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया ।

जनपद लखनऊ के गहरू सबस्टेशन की बनी फीडर के खराब स्विचगियर की मरम्मत

52–श्री शारदा प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह भी जानकारी है कि गहरू सब स्टेशन के बनी फीडर का इन कमिंग फीडर भी माह अक्टूबर, 87 में जल गया तथा इसकी सूचना प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र दिनांक 14 अक्टूबर, 1987 द्वारा दी गयी ? यदि हां, तो इस प्रकार की बार-बार अनियमितता के आने पर लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

गहरू सब स्टेशन से बनी फीडर का स्विचगियर माह अक्टूबर 1987 में खराब हो गया था जिसे माह नवम्बर 1987 में ठीक करा दिया गया था । इस बीच विद्युत आपूर्ति दूसरे फीडर से की जाती रही । तकनीकी उपकरणों में खराबी आने पर उन्हें सामान्य रूप से ठीक किया जाता है । इसमें किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी की लापरवाही नहीं पायी गई । अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

देवरिया-बरहज मार्ग में स्थित गडेरे चौराहा पर निगम बसों का स्थायी स्टापेज

53–श्री राम शरण दास–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 87 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के संबंध में क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फेयर स्टापेज घोषित करने के बावजूद अभी तक किस अधिकारी की लापरवाही के कारण स्थायी स्टापेज नहीं बनाया गया ? क्या सरकार संबंधित अधिकारी को दण्डित करके कृत कार्यवाही को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

देवरिया-बरहज मार्ग पर स्थित गडेरे चौराहा निगम बसों का फेयर स्टापेज घोषित है, जहां पर बसें खड़ी होकर यात्रियों को चढ़ाती-उतारती हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद की क्षमता बढ़ाने हेतु नया प्लांट

54–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या सरकार को जानकारी है कि नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री दलपतपुर, मुरादाबाद की हैंडिल क्षमता बढ़ाने हेतु प्लांट लगवाया था और डेरी के महत्वपूर्ण अंग पाउडर प्लान्ट को भी नया बना कर उत्पादन हेतु पी0 सी0 डी0 एफ0

की सौंप दिया गया था जिस पर बोर्ड ने एक अरब रुपया व्यय किया परन्तु फिर भी बेबी फूड नहीं बनाया जा सका जबकि प्रदेश की यही एक मात्र फैक्ट्री ऐसी थी जिसमें पहले बेबी फूड बनता था ? यदि हां, तो यह फैक्ट्री कब तक बेबी फूड बनवायेगी तथा तीन करोड़ छियानबे लाख उन्नासी हजार दो सौ उन्नासी रुपये चालीस पैसे का घाटा किस प्रकार पूरा होगा ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां, इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर मुरादाबाद की क्षमता बढ़ाने एवं पाउडर प्लांट को नया करने हेतु राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने 30 सितम्बर, 87 तक 2,57,22,243·91 रु0 (रुपये दो करोड़ सत्तावन लाख बाइस हजार दो सौ तैंतालिस पैसे इक्यानिबे) खर्च किये हैं । प्लान्ट का ट्रायल भी अक्टूबर, 87 में लिया गया था, परन्तु प्लान्ट में कुछ तकनीकी कमियों के कारण उसे अभी व्यवसायिक स्तर पर चलाना संभव नहीं हो सका है । राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड प्लान्ट की कमियों को दूर करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं । कमियां दूर हो जाने के बाद प्लान्ट को पुनः ट्रायल लेकर यथास्थिति बेबी फूड का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जायेगा । बेबी फूड का निर्माण आरम्भ होने के बाद शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला की आर्थिक स्थिति में निरन्तर सुधार आने की संभावना है ।

जनपद मुरादाबाद के पीपलसाना में नये विद्युत उपकेन्द्र बनाने की मांग

55–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत उप-संस्थान सिडावली, मुरादाबाद पर अधिक लोड होने के कारण आये दिन आग लगती रहती है और ट्रांसफार्मर फुकते रहते हैं ? यदि हां, तो पीपलसाना पर बनाये जाने वाले नये विद्युत उपसंस्थान को न बनाये जाने का क्या कारण है जबकि इस नये उप संस्थान की स्वीकृति बहुत पहले मिल चुकी थी ? क्या सरकार पीपलसाना पर तुरन्त नया उप संस्थान बनायेगी ताकि बीजना आदि के ट्यूबवेल चलाये जा सकें ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

उक्त उपकेन्द्र पर क्षमता से अधिक लोड न होने के कारण अभी किसी नये विद्युत उपकेन्द्र को बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है ।

मुरादाबाद से काशीपुर की ओर चलने वाली प्राइवेट बसों का किराया कम कराने की मांग

56–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या सरकार को जानकारी है कि मुरादाबाद से काशीपुर की ओर चलने वाली प्राइवेट बसें मुरादाबाद से ग्राम पीपलसाना तक की 20 कि0 मी0 दूरी का किराया तीन रुपये वसूल रही हैं जबकि इतनी ही दूरी का किराया राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें ढाई रुपये ले रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किराया कम कराने का कष्ट करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

प्रदेश के विद्युत परियोजनाओं के निरीक्षण गृहों में कार्यरत केयरटेकर के कार्य निर्धारण की जानकारी की मांगें

57–श्री राम सागर,
श्री यदुनाथ सिंह,
श्री काशी सिंह ऐरी तथा
श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के विद्युत परियोजनाओं के निरीक्षण गृहों में कार्यरत ''केयरटेकर'' पदधारकों के क्या-क्या कार्य व उत्तरदायित्व विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई में सण्डीला-मल्लावां मार्ग पर चलने वाली बसों पर अधिक किरायें की वसूली संबंधी शिकायत

58–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में सण्डीला से गौसगंज होकर मल्लावां मार्ग पर बसें चलाने हेतु बसों के परमिट जारी किये गये हैं, क्या यह सही है कि इन बस मालिकों द्वारा सण्डीला से 7 किमी0 दूरी पर स्थित हिया का पुल का 2 रु0 किराया वसूला जाता है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग पर निर्धारित दरों पर बस किराया लिए जाने के संबंध में शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद देवरिया के पथरदेवा विकास खण्ड में उर्जीकरण योजना की जानकारी की मांग

59–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के पथरदेवा विकास खण्ड में विगत पांच वर्षों में कितने ग्राम विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत उर्जीकृत किये गये ? क्या यह सत्य है कि इस अवधि में किसी भी ग्राम का पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत ऊर्जीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार इस दृष्टि से सन्तुलन बनाये रखने के लिए संबंधित विकास खण्ड के विद्युतीकरण से वंचित गांवों को उर्जीकरण के लिए अविलम्ब योजना बना कर ऊर्जीकरण हेतु निर्देश देगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद फैजाबाद में विद्युत विभाग के विरुद्ध शिकायती पत्र

60–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फैजाबाद में विद्युत विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को पृष्ठांकित प्रश्नकर्ता का दिनांक 15-10-87 का पत्र शासन को मिल गया है ? क्या यह सही है कि जिलाधिकारी, फैजाबाद ने भी इसी बारे में दिनांक 8-9-1987 को एक पत्र श्री जी0 के0 पाण्डेय, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड अकबरपुर, फैजाबाद को लिखा था जिसकी प्रतियां प्रश्नकर्ता तथा श्री डी0 पी0 श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, फैजाबाद को पृष्ठांकित थीं ? यदि हां, तो उक्त मामले में पूरे तथ्य तथा दिनांक 19 जनवरी, 1988 तक कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद सीतापुर के लुकटवा सेक्शन में रजिस्टर्ड पेड़ों की संख्या

61–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद सीतापुर के शारदा कैनाल के लुकटवा सेक्शन में 108 पेड़ कटवाकर 162000.00 में बेच दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो कितने पेड़ जनवरी, 1986 में प्लान्टेशन रजिस्टर में रजिस्टर्ड थे और इस समय कितने उपलब्ध हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । जनवरी 1986 से जुलाई 1987 तक 15 पेड़ चोरी से कटने का मामला प्रकाश में आया है जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है ।

प्लान्टेशन रजिस्टर के अनुसार जनवरी 1986 में लुकटहा अनुभाग में 1462 पेड़ रजिस्टर्ड थे, जुलाई 1987 में की गई चेकिंग में 1535 पेड़ पाये गये ।

राजकीय प्रेसों में उर्दू रीडर के स्वीकृत पदों पर नियुक्ति

62–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उर्दू रीडर के कितने पद राजकीय प्रेसों में स्वीकृत हैं ? इस समय कितने रिक्त हैं और सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय प्रेसों में दो सीनियर तथा दो जूनियर उर्दू रीडर के पद स्वीकृत हैं ।

सभी पद भरे हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में लिफ्ट नहर की सिंचाई क्षमता एवं विगत वर्षों का सिंचन विवरण

63–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लिफ्ट नहर (पम्प कैनाल) की सिंचाई क्षमता जनपद सीतापुर में कितनी है ? वर्ष 1982 से वर्ष 1987 तक प्रतिवर्ष कितनी-कितनी भूमि की सिंचाई की गयी है ? पूर्ण क्षमता से सिंचाई न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी सिंचाई की दूसरी व्यवस्था करने पर विचार करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद सीतापुर में लिफ्ट नहरों की सिंचाई क्षमता 7647 हेक्टेयर है । वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85, 85-86 तथा 86-87 में प्रतिवर्ष क्रमशः 3853 3844, 3695, 2983 एवं 2032 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की गयी है । पम्प नहरों पर खरीफ में बोया गया क्षेत्र कम होने (विशेषकर ईख का क्षेत्र कम होना) भूमि रेतीली एव धान के लिए उपयुक्त न होने, विद्युत आपूर्ति में निरन्तरता न होने के कारण पम्प नहरें पूर्ण क्षमता में सिंचाई नहीं कर पाई हैं ।

जी हां, आवश्यकतानुसार कुछ पम्प नहरों के कमाण्ड क्षेत्र में राजकीय नलकूप लगाये गये हैं और आवश्यकतानुसार अन्य क्षेत्रों में राजकीय नलकूप लगाने पर विचार करना प्रस्तावित है ।

प्रदेश के बुनकर हथकरघा सहकारी समितियों के काटे गये रिबेट धन का भुगतान

64–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984-85 में बुनकर हथ-करघा सहकारी समितियों के काटे गये रिबेट धन का भुगतान समिति के कर्ज की अदायगी हेतु बैंक में अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है तथा उ0 प्र0 हथकरघा निगम, कानपुर में जमा रिबेट धन ब्याज सहित दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा कानपुर कार्यशाला के अतिरिक्त अन्य निजी कम्पनियों में बाडी बनाये जाने के औचित्य की जानकारी की मांग

65–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या परिवहन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम में विगत ढाई वर्षों में अपनी केन्द्रीय कार्यशाला, कानपुर के अतिरिक्त अन्य निजी कम्पनियों और किसी अन्य राज्य से कितनी बसों की बाडी बनवायी गयी हैं और प्रत्येक बाडी पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? क्या यह बाडी निगम की कार्य-शाला कानपुर में बनवाई जा सकती थी ? यदि हां, तो निगम की उक्त कार्यशाला

में ये बस बाडियां क्यों नहीं बनवायी गयीं और अपनी केन्द्रीय कार्यशाला कानपुर में प्रति बस बाडी कितना खर्च आता ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय कार्यशाला व एलेन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर की उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो उनका विवरण और परिणाम क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

66–श्री कनक सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

67–श्री कनक सिंह–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

68–श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

कोसी आटीयल ड्रेन, मथुरा में अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

69–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसी आटीयल ड्रेन, मथुरा में अधिग्रहीत की गयी भूमि का गांव नगरिया 10 बिस्वा, छाता, दौताना के किसानों को मुआवजा दिया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो मुआवजा न देने का क्या कारण है ? क्या इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

70–श्री लक्ष्मी नारायण--

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

कोसीकला, मथुरा में विद्युत उपकेन्द्र निर्माण की योजना

71–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोसीकलां मथुरा में 232 के0 वी0 क्षमता स्टेशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, कोसीकलां में 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत है।

संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार सब-स्टेशन का निर्माण कार्य, मार्च 1990 तक पूरा होने का कार्यक्रम है।

72–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

[3रे शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 128 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

अवर अभियन्ता एवं लाइन मैन, विद्युत विभाग, हथगाम, फतेहपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

73–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग, जनपद फतेहपुर के हथगाम के अवर अभियन्ता व लाइन मैन के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु अध्यक्ष युवा लोक दल, हथगाम, फतेहपुर के पत्र के साथ मा0 नेता विरोधी दल का पत्रांक 1020 दिनांक 23-4-87 उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

सिंचाई विभाग के सेक्शन मिस्त्री का पुनरीक्षित वेतनमान

74–श्री कनक सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या वे0 आ0-2-210/दस-83, दिनांक 4-2-83 के संलग्नक एक का क्रम संख्या 2 कालम 3 में उल्लिखित चौथा तकनीकी वेतनमान जो सबसे अधिक हैं (400–615) सबसे अधिक जटिल कार्य करने वाले एवं सबसे अधिक शैक्षिक योग्यता वाले तकनीकी कर्मचारी (सेक्शन मिस्त्री) को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

"जी नहीं । किसी पद का वेतनमान उसके पुराने वेतनमान तथा पद के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं प्राविधिक अर्हताओं के साथ पद के कार्य एवं उत्तरदायित्वों के आधार पर पुनरीक्षित किया जाता है। सिंचाई विभाग के सेक्शन मिस्त्री के पद का पुराना वेतनमान रु0 200–320 था, जिसे द्वितीय उत्तर प्रदेश वेतन आयोग (1979-80) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के आधार पर रु0 354–550 पुनरीक्षित किया गया है।"

खाद्य विभाग में हाट निरीक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति के आदेश

75–श्री कनक सिंह–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 5624/29-2 एन0-91/81, दिनांक 26-12-81 द्वारा हाट शाखा में 171 पद हाट निरीक्षक पद के लिए लिपिक वर्गीय कर्मचारियों से भरे जाने के निर्देश दिए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त पदों के अनुसार अभी तक केवल 102+43 = 145 पद भरे जाने के आदेश आयुक्त कार्यालय से जारी किये गये हैं और 26 रिक्त पदों के विरुद्ध अभी तक पदोन्नति नहीं की गई है ? यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में सरकार कब तक आदेश कर देगी?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्नाधीन शासनादेश के अन्तर्गत हाट निरीक्षक के पद पर नियमानुसार केवल प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति किये जाने के आदेश दिये गये थे जिसके अनुपालन में खाद्यायुक्त ने सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को निर्देश भेजा और सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों ने 145 पदों पर नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं। शेष 26 पदों के भरे जाने के सम्बन्ध में भी सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को आयुक्त, खाद्य तथा रसद द्वारा आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद में हुई हानि का औचित्य

76–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्फेन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर, मुरादाबाद में माह जनवरी, 87 से अक्टूबर, 87 तक 62,99,735 रुपये 49 पैसे का घाटा किस प्रकार से हो गया ? क्या यह सही है कि वर्तमान सामान्य प्रबन्धक की तैनाती के समय से जिन्होंने फैक्ट्री को थोड़े समय में ही बहुत अधिक हानि पहुंचायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस घाटे का पता लगाने के लिए जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

इन्फैन्ट मिल्क फूड फैक्ट्री, दलपतपुर (मुरादाबाद) की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने हेतु प्लान्ट का नवीनीकरण किया जा रहा है जिसके कारण बेबी फूड का उत्पादन बन्द है। बेबी फूड का उत्पादन रुक जाने के कारण तरल दूध की बिक्री स्टेट मिल्क ग्रिड/नेशनल मिल्क ग्रिड के माध्यम से करनी पड़ रही है जिसके फलस्वरूप फैक्ट्री की आय में कमी हुई है तथा फैक्ट्री को हानि उठानी पड़ रही है । इसके अतिरिक्त हानि के कुछ अन्य कारण भी हैं जैसे कि सूखे के कारण दूध का कम उपार्जन होना, उपार्जित दूध के मूल्य का अधिक दर पर भुगतान किया जाना तथा अधिष्ठान सम्बन्धी व्ययों में वृद्धि आदि । इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिये गये हैं।

फैक्ट्री के वर्तमान सामान्य प्रबन्धक की तैनाती इस फैक्ट्री में विगत 18 मार्च, 87 को हुई है तथा अपने कार्यकाल में वे फैक्ट्री की हानियों पर अंकुश रखने में सफल रहे हैं। वर्ष 86 में जहां 82·61 लाख रुपये की हानि हुई थी वहीं वर्ष 1987 की हानियों की धनराशि लगभग 49·67 लाख रुपये है जो इस फैक्ट्री में सुधार का द्योतक है ।

परिवहन निगम के संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा किये गये यात्रा पर व्यय एवं उससे उपलब्धि

77–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 जुलाई, 1985 से 31 मई, 1987 तक संयुक्त प्रबन्ध निदेशक ने बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली आदि स्थानों पर किन-किन तारीखों में किन-किन स्थानों पर हवाई जहाज से यात्रा किया है और उस यात्रा खर्च के लिए अग्रिम धनराशि कितनी-कितनी कब-कब ली है ? इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था तथा इससे निगम को क्या उपलब्धि हुई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 1-7-85 से 31-5-87 तक की अवधि में तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक द्वारा बम्बई, हैदराबाद, दिल्ली आदि स्थानों की 15 हवाई यात्रायें की गयीं । इन यात्राओं हेतु उन्होंने अलग-अलग समय पर कुल रु0 38674 की अग्रिम धनराशि ली ।

इन यात्राओं का उद्देश्य निगम की विभिन्न कार्यकलाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु अन्य निगमों में प्रचलित व्यवस्थाओं से अवगत होना तथा बस बाडी निर्माण कार्य का निरीक्षण आदि करना था । दिल्ली के भ्रमण के समय निगम की परिचालन व्यवस्था का निरीक्षण आई0 एस0 वी0 टी0 बस स्टेशन पर आतंकवादियों की गतिविधि पर नियंत्रण के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा एवं भारत सरकार के अधिकारियों से वार्ता आदि था ।

मुख्यालय के अधिकारियों की प्रत्येक यात्रा का लाभ-हानि आंकलन करने की व्यवस्था परिवहन निगम में नहीं है और न ही यह सम्भव है। निगम को संबंधित वर्षों की उपलब्धि में इनका योगदान निश्चित रूप से रहा है।

खाद्य विभाग में बीस सूत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करने की मांग

78–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग के किन-किन अधिकारियों ने वर्ष 1986-87 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अपने विभागीय लक्ष्यों में सबसे अधिक प्रतिशत उपलब्धता प्राप्त करने के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम में भी अपने लक्ष्यों में सबसे अधिक प्रतिशत उपलब्धता प्राप्त की ? दोनों सूत्रों में सबसे अधिक प्रतिशत उपलब्धता प्राप्त करने वाले अधिकारी/अधिकारियों को क्या शासन द्वारा प्रोत्साहित किया गया ? यदि हां, तो किस प्रकार?

श्री हुकुम सिंह–

खाद्य विभाग में 20 सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या-18 के अन्तर्गत अधिकारियों के व्यक्तिगत रूप से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं । और न ही उन्हें पुरस्कृत करने की कोई विभागीय योजना है।

परिवार कल्याण के लक्ष्य जिला स्तर पर निर्धारित किये जाते हैं और वहीं पुरस्कृत करने पर विचार किया जाता है। शासन स्तर से कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किये जाते, अतः पुरस्कृत करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

हथकरघा निगम के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन देने की मांग

79–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हथकरघा निगम में कार्यरत उत्पादन पर्यवेक्षक सन् 1982 से 20 जनवरी, 1988 तक 300 रुपये मासिक छात्रवृत्ति पर ही रखे जा रहे हैं ? क्या नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार तीन मास पश्चात उन्हें 230–385 का वेतन अनुमन्य हो जाना चाहिए था ? क्या यह सही है कि परीक्षा भी सम्पन्न हो चुकी है फिर भी वेतनमान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद उन्नाव के सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता की देय धनराशि के भुगतान की मांग

80–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 30-5-86 से 30-9-86 की अवधि में सिंचाई खण्ड उन्नाव में कितने सहायक अभियन्ता सेवा निवृत्त हो चुके हैं जिनके ग्रेच्युटी एवं पेंशन का भुगतान शासन द्वारा अनापत्ति सर्टीफिकेट जारी न करने के कारण नहीं किया गया ? क्या मंत्री जी शासन द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र शीघ्र जारी कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 30-5-86 से 30-9-86 की अवधि में सिंचाई खण्ड उन्नाव से केवल एक सहायक अभियन्ता, श्री कैलाश चन्द्र जौहरी, दिनांक 30-6-86 को अपराह्न में सेवा-निवृत्त हुए थे । शासन के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रमुख अभियन्ता द्वारा उन्हें ग्रेच्युटी तथा अन्तिम पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। प्रशासनिक कारणों से श्री जौहरी के पक्ष में फिलहाल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत लहरपुर नगरपालिका की स्ट्रीट लाइट हेतु संशोधित मांग पत्र

81–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की नगरपालिका लहरपुर के बिजली विभाग की रसीद संख्या 5/219831 दिनांक 15-10-81 द्वारा मुबलिग 13938 रु0 स्ट्रीट लाइन लगाने हेतु जमा किये गये हैं ? यदि हां, तो स्ट्रीट लाइन का कार्य क्यों नहीं कराया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत लहरपुर नगरपालिका की स्ट्रीट लाइट हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सीतापुर के पत्र संख्या 695 दिनांक 3-2-78 द्वारा रु0 21703 का मांग पत्र प्रेषित किया गया था । नगरपालिका द्वारा रु0 3791 रसीद संख्या 5/219831 दिनांक 15-10-81 एवं रु0 10147 रसीद संख्या 22/29090 दिनांक 9-12-81 (कुल धनराशि रु0 13938) जमा किया गया । पुनः नगरपालिका, लहरपुर को अधिशासी अभियन्ता, सीतापुर के पत्र संख्या 2232 दिनांक 1-8-87 द्वारा रु0 19335 का संशोधित मांग पत्र प्रेषित किया गया जिसके अनुसार रु0 5397 की अतिरिक्त धनराशि जमा करके अनुबन्ध करने का अनुरोध किया गया । अभी तक यह धनराशि जमा नहीं की गयी है। इसलिए स्ट्रीट लाइट का कनेक्शन नहीं दिया जा सका ।

जनपद सीतापुर में बुनकरों को उद्योग विभाग से ऋण देने की मांग

82–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या उद्योग मंत्री बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में बुनकरों को ऋण यू0 पी0 पी0 एफ0 सी0 या उद्योग विभाग द्वारा नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1986 में कितने बुनकरो को ऋण दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह सही नहीं है।

वर्ष 1986 (कलेण्डर वर्ष) में किसी भी बुनकर को ऋण नहीं दिया गया, क्योंकि जिला उद्योग केन्द्र, सीतापुर के माध्यम से कोई ऋण प्रार्थना पत्र मुख्यालय पर स्वीकृति हेतु प्राप्त नहीं हुआ ।

जनपद बस्ती के ड्रेनेज खण्ड द्वितीय के मुखलिसपुर पम्प नहर कैनाल की आडिट रिपोर्ट

83–श्री सुख पाल पाण्डे–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड द्वितीय, जिला बस्ती के मुखलिसपुर पम्प कैनाल का आडिट सन् 1981 से दिसम्बर, 87 तक कब-कब हुआ तथा कितने रुपये की अनियमितताएं तथा गबन प्रकाश में आये ? मुख्य-मुख्य आडिट आपत्तियां क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में हथकरघा विकास हेतु परियोजना चलाने की मांग

84–श्री शारदानन्द अंचल–

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र में काफी लोग हथकरघा से रोजी रोटी चलाते हैं ? क्या सरकार बलिया जनपद के इस सर्वाधिक पिछड़े इलाके में हथकरघा विकास हेतु परियोजना स्थापित कर जन-हित में विकास करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज में रोइया गढ़ी पर नरपति सिंह स्मारक का निर्माण

85—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज में रोइया गढी पर नरपति सिंह स्मारक के निर्माण की क्या रूपरेखा निर्धारित की गयी है और निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद हरदोई के ब्लाक माधोगंज में रोइया गढ़ी पर नरपति सिंह स्मारक के निर्माण की कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बदलापुर की कतिपय हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण की योजना

86—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में हरिजन बस्ती जिसकी संख्या लगभग 100 है, के बहुत नजदीक विद्युत लाइन होने पर भी अभी तक उक्त बस्ती में प्रकाश की व्यवस्था हेतु विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त बस्ती में तत्काल विद्युतीकरण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड बदलापुर, तहसील शाहगंज, जनपद जौनपुर में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है।

उक्त हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अगले वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, उन्नाव के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

87—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव खण्ड शारदा नहर उन्नाव के किसी सहायक अभियन्ता ने अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर उन्नाव के विरुद्ध गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं एवं लाखों रुपये गबन की शिकायत अक्टूबर, 1985 में उचित माध्यम द्वारा मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक को दी थी? यदि हां, तो क्या मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक ने या किसी उच्च अधिकारी ने मौके पर जाकर जांच की है? यदि नहीं, तो शासन इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मुख्य अभियंता (शारदा सहायक) को तो नहीं अपितु मुख्य अभियन्ता (शारदा) को श्री एम0 डब्लू0 बेग, सहायक अभियन्ता, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव ने उसी खण्ड के अधिशासी अभियंता के विरुद्ध एक शिकायती पत्र दिनांक 26-10-85 को भेजा था।

जी हां। शासन के सिंचाई विभाग के प्राविधिक परीक्षक ने उक्त शिकायतों की जांच उन्नाव जाकर दिनांक 28-7-86 से 30-7-86 के मध्य की।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के कतिपय मार्गों पर बन्द बसों को चलाने की मांग

88–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि इलाहाबाद करछना, कोहडार घाट, इलाहाबाद से कालमई तथा इलाहाबाद से बसही एवं इलाहाबाद से भीटी लक्ष्मीपुर की बसें कई माह से बन्द पड़ी है? यदि हां, तो बसों के बन्द होने का क्या कारण है तथा क्या उन्हें फिर से चलाने या उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सरकार शीघ्र करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में दखल झील से निकाले गये नालों पर अधूरे पुल के निर्माण की मांग

89–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में दखल झील से निकाले गये नाले पर एक पुल की बुनियाद आज से लगभग 4-5 वर्ष पहले खोदकर निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता को बड़ी कठिनाई होती है? क्या इस संबंध में प्रधान गांव सभा जलालपुर चांदपुर तथा प्रधान गांव सभा जलालपुर टोकमपुरा का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के 3-11-87 के पत्र के साथ जिलाधिकारी फैजाबाद को मिल गया है? यदि हां, तो उक्त अधूरे पुल के निर्माण कार्य को पूरा कराने तथा दोषी लोगों को दण्डित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। सीमित संसाधनों के परिपेक्ष्य में बाढ़ मद में स्वीकृत योजना के अन्तर्गत धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य अपूर्ण है। स्थल के समीप पुराना पुल विद्यमान है जिससे आवागमन में अवरोध नहीं है। बाढ़ मद के अंतर्गत धन उपलब्ध होने पर पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सकेगा। किसी को दण्डित करनें का प्रश्न नहीं उठता।

भारत सरकार की भांति प्रदेश सरकार से भी मिलों को उनके मालिक को वापस लौटाने की मांग

90–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार भारत सरकार ने रुग्ण मिलों को उनके मालिकों को वापस लौटाया है जैसे बिलाहरी लस्कर आदि जिससे हर वर्ष होने वाला नुकसान बच गया तथा उन्होंने वापस लेने का भी अनुबंध मिल मालिकों से कर लिया है? क्या उ0 प्र0 सरकार भी इस व्यवहारिक नीति को अपनायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

91–श्री सरदार सिंह–

[उ० बुधवार के लिए स्थगित]

पुलिया टूटने के कारण की जांच एवं दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कृत कार्यवाही

92–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

विधान सभा के तृतीय सत्र 87 के पहले बुधवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिया टूटने के कारण स्थानीय अवर अभियंता ने क्या निर्माण में मानक से घटिया सामग्री इस्तेमाल होना बताया था? निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच में विभाग की प्रयोगशाला के क्या निष्कर्ष हैं ? तथा पूर्व उत्तर में संदर्भित जून, 87 की जांच समिति के क्या निष्कर्ष हैं ? दोषी अभियन्ताओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। अवर अभियंता, जिसके कार्यक्षेत्र में उक्त पुलिया है, ने पुलिया के स्लैब व पैरापिट टूटने का कारण अधिक भरे ट्रक का तेज गति से निकलना बताया है। उक्त पुलिया के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की जांच हेतु प्रेषित नमूनों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रयोगशाला से अभी आंशिक विश्लेषण प्राप्त हुआ है । सामग्री के पूर्ण अनुपातिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला द्वारा वांछित अतिरिक्त नमूने भेजे जावेंगे।

जांच समिति द्वारा पूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण अनुपातिक विश्लेषण प्राप्त होने के उपरान्त ही निकाला जाना संभव होगा।

अंतिम निष्कर्ष निकलने के पूर्व कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बलिया के बलिया नगर से बक्सर, पटना एवं धन्यबाद के लिए बस चलाये जाने की मांग

93–श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

क्या परिवहन मंत्री जनपद बलिया के बलिया नगर से बिहार के बक्सर, पटना एवं धनबाद के लिए परिवहन निगम की बसें चलायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह तीनों मार्ग उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच पड़ने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग है। अन्तर्राज्यीय मार्गों पर दोनों सम्बन्धित राज्यों के बीच पारस्परिक यातायात समझौते के प्राविधानों के अनुसार बस सेवायें संचालित की जाती हैं । उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य के बीच जो समझौता हुआ है उसमें उक्त मार्ग सम्मिलित नहीं हैं।

जनपद देवरिया के विकास खण्ड गौरी बाजार के अंतर्गत पुल निर्माण के संबंध में ग्रामीणों एवं प्रश्नकर्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता को दिए गये पत्र पर कृत कार्यवाही

94—श्री रणजीत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड गौरी बाजार जनपद देवरिया के अंतर्गत ग्राम सभा बेरिया में रतनपुर माइनर को पार करने वाली सड़क पर पुल बनाये जाने हेतु ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रश्नकर्ता द्वारा संयुक्त पत्र दिनांक 6-9-87 जो कि अधिशासी अभियन्ता गण्डक निर्माण खण्ड द्वितीय देवरिया को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त माइनर पर पुल बनाये जाने के संबंध में 23 नवम्बर, 87 तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

स्थल की जांच कराई गई तथा यह पाया गया कि माइनर के कि0 मी0 37 व 1.95 पर पुल बने हुए हैं, जबकि प्रस्तावित पुल की मांग कि0 मी0 1.5 पर अन्य विभाग द्वारा बनाई गई कच्ची सड़क पर है। अतः पुल निर्माण का दायित्व भी उसी विभाग का है। सिंचाई विभाग के मानकं के अनुसार इतने निकट हर पुल नहीं बनाया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बहराइच के विशेश्वरगंज विकास खण्ड के कतिपय गावों का विद्युतीकरण

95—श्री शारदा प्रताप—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वर-गंज के अंतर्गत ग्राम सभा निगोह, गनेशपुर मेंभरिया, गेंथरिया आदि में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि हां, तो अब तक विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वर गंज के अन्तर्गत ग्राम निगोह, गनेशपूर, गेंथरिया के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर दिया गया है। ग्राम मंभरिया तहसील बहराइच में 1981 की जनगणना के अनुसार राजस्व ग्राम अंकित नहीं है।

अब तक विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का कारण उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र देकर औपचारिकताएं पूर्ण न करना है। अब प्रार्थना पत्र प्राप्त होने आरम्भ हो गये हैं और कनेक्शन देने का कार्य प्रगति पर है।

जनपद देवरिया के ग्राम सिन्धुआ ताल विकास खण्ड रामपुर से निकली डुमरी ड्रेन की सफाई

96–श्री राज बहादुर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड रामपुर कारखाना जिला देवरिया स्थित सिधुआ ताल से निकाली गयी सौ साल पुरानी डुमरी ड्रेन की सफाई न होने तथा उक्त ताल में जल भराव होने के कारण कई गांवों की हजारों एकड़ भूमि पर रबी व खरीफ की फसलें कई वर्षों से नहीं बोई जा रही है? क्या सरकार उक्त दोनों ड्रेनों की चौड़ाई व सफाई कराने की कृपा करेंगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंधुवा ताल ड्रेन वर्ष 1976 में तथा डुमरी ड्रेन वर्ष 1979 में निर्मित की गयी। सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सामान्य सफाई ही कराना सम्भव हुआ है। पूर्ण सफाई न होने के कारण रबी में लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल प्रभावित होता है। दोनों नालों का सर्वेक्षण करा कर वांछित सफाई विभागीय नियमों के अंतर्गत करायी जायेगी।

श्री ओम प्रकाश अध्यक्ष, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बोर्ड हरिद्वार के शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

97–श्री राम शरण दास–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-9-86 संलग्न श्री ओम प्रकाश अध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोर्ड हरिद्वार की शिकायत जिसकी प्राप्ति श्री डी0 के0 श्रीवास्तव उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन) उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, परिवहन भवन के पत्र दिनांक लखनऊ 13-11-86 द्वारा स्वीकार की गई है, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री ओम प्रकाश की क्या शिकायत थी और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

श्री ओम प्रकाश द्वारा की गई शिकायत दिनांक 27-5-86, जिसकी प्रति संलग्न है, पर बिन्दुवार सूचना निम्नवत् है :–

(1) कुम्भ मेला हरिद्वार सन् 1986 में यात्रियों की सुविधा हेतु चण्डीघाट पुल के नीचे बस अड्डा बनाया गया था जिस पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मुरादाबाद क्षेत्र की ओर से बसों का संचालन किया गया था। इस प्रकार गन्तव्य स्थान का सफर 4 किमी0 कम हो जाने पर निगम द्वारा किराया 0.40 यात्रीकर 05-0.45 पैसे किराया कम वसूल किया गया। जैसे कि मुरादाबाद से हरिद्वार का किराया रु0 19-10 पैसे और मुरादाबाद से चण्डीघाट का किराया रु0 18-64 पैसे वसूल किया गया।

(2) कुम्भ मेले के दिनों में चण्डीघाट पुल टैक्स की वसूली उ0 प्र0 परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले उन्हीं यात्रियों से की गई, जिनके द्वारा चण्डीघाट पुल से होकर गुजरने वाली बसों में यात्रा की गयी थी।

(3) हरिद्वार डिपो की एक बस का मेला वेहिकल टैक्स रु0 100/- प्रतिमाह था जो कि मेला अवधि के तीन माह के लिए एक मुश्त जमा किया गया था। और जिसकी वसूली यात्रियों से .80 .05 पैसे यात्रीकर के रूप में की जाती थी। वेहिकल टैक्स के रूप में यात्रियों से वसूल की गयी धनराशि को निगम की आय में ही सम्मिलित किया जाता है।

(4) उ0 प्र0 परिवहन निगम की जो बसें चण्डीघाट पुल से होकर गुजरी थी, उनके द्वारा ही पुल टैक्स का भुगतान किया गया और उन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों से ही उक्त टैक्स की वसूली की गयी थी। वर्तमान समय में भी जो बसें पुल से जाती है उनमें बैठे यात्रियों से पुल टैक्स लिया जाता है तथा पुल टैक्स का भुगतान कर विधिवत् रसीद प्राप्त की जाती है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 103 पर)

परिषद् को सेन्ट्रल स्टोर द्वारा डेमरेज के रूप में दिया गया धन एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कृत कार्यवाही

98—श्री सरदार सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री की जानकारी में है कि प्रदेश में बहुत सा सामान सेन्ट्रल स्टोर्स पर रेलवे द्वारा मंगाया जाता है और समय से न उठाने के कारण परिषद् को डेमरेज देना पड़ता है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जोन वाइज वित्तीय वर्ष 1986-87 व 87-88 में अब तक कितना धन परिषद् को डेमरेज के रूप में रेलवे को देना पड़ा और कौन अधिकारी दोषी थे व उनके खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। वित्तीय वर्ष 1986-87 में परिषद् द्वारा डेमरेज के रूप में रेलवे को रु0 4,883,918.75 का भुगतान किया गया है, जिसमें से रु0 1,10,192.64 की वसूली ठेकेदारों/फर्मों से कर ली गयी है। वित्तीय वर्ष 1987-88 में जून, 1987 तक के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर परिषद् द्वारा रु0 64,971.00 का भुगतान किया गया है, जिसमें से रु0 11,275.00 की वसूली कर ली गयी है। जोन वाइज विवरण संलग्नक—1 व 2 में अवलोकनीय है।

चूंकि डेमरेज भुगतान के मुख्य कारण निम्न हैं :—

(1) परिषद् के पास धन का अभाव है, जिसके कारण उनका भुगतान न होने पर रेलवे से माल छुड़ाने के लिए बिल्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है।

(2) रेलवे द्वारा गलत ढंग से डेमरेज का थोपा जाना, जिसका भुगतान परिषद् के हित में माल छुड़ाने हेतु तुरन्त करना पड़ता है किन्तु बाद में इसका क्लेम रेलवे के ऊपर दायर कर दिया जाता है। अतः किसी अधिकारी के दोषी होने व उसके खिलाफ कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 104 पर)

99—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

[2रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 169 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

100—श्री बदन सिंह—

[3रे बुधवार के लिए स्थगित]

परगनाधिकारी चकिया वाराणसी द्वारा प्रदत्त जांच रिपोर्ट

101—श्री राजित प्रसाद यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 86 के 4थे बुध के अता0 प्र0 सं0 54 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी चकिया वाराणसी की जांच रिपोर्ट संख्या 162/आ0/लि0 चकिया, दिनांक 19-7-77 की मूल प्रति प्राप्त न होने का क्या कारण है? क्या इससे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इस जांच रिपोर्ट को शीघ्र प्राप्त करके भुगतान की कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह—

परगनाधिकारी, चकिया वाराणसी की जांच रिपोर्ट सं0 162/आ0 लि0/चकिया दिनांक 19-7-77/20-7-77 से संबंधित प्रकरण को सुरक्षित रखे जाने की समयावधि समाप्त हो जाने पर नियमानुसार जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा विनिष्ट करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच रिपोर्ट के अभाव में अन्य कार्यवाही सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जी0 पी0 भारती वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ की फर्जी प्रमाण पत्र पर नियुक्ति के विरुद्ध कृत कार्यवाही

102—श्री बलराम यादव, श्री बाबू राम यादव, श्री शारदानन्द अंचल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव तथा श्री हफीज भारती—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जी0 पी0 भारती वर्तमान क्षेत्रीय प्रबन्धक राज्य सड़क परिवहन निगम आजमगढ़ यू0 पी0 राजकीय रोडवेज की भर्ती के समय इनकी शैक्षिक योग्यता तथा जन्म तिथि क्या थी? क्या यह सही है कि इन्होंने प्रथम नियुक्ति के समय ही फर्जी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

103—श्री सूर्य प्रताप शाही—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जनपद देवरिया के बघौचघाट नामक स्थान पर विद्युत उपगृह का निर्माण

104–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के बघौचघाट नामक स्थान पर 33 के0 वी0 ए0 विद्युत उपगृह निर्माण हेतु वर्ष 1978-79 में भूमि अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी, और भूमि का प्रस्ताव कर एक लाख चालीस हजार रुपये का प्रतिकर भी बना था जिसके भुगतान के संदर्भ में सचिव राज्य विद्युत परिषद् ने पत्र सं0-6419/10 (भू0 अ0)-26 एफ-81/दिनांक 10 मई, 1983 को विद्युत सचिव अनुभाग–2 से प्रतिकर के भुगतान की मांग की गयी, किन्तु वह धन राजस्व परिषद् को विद्युत परिषद् द्वारा अब तक न दिये जाने से उक्त उपग्रह का निर्माण नहीं हो सका? क्या यह सही है कि पूर्वोक्त स्थान पर विद्युत उपगृह का निर्माण हेतु वर्ष 1986-87 के वित्तीय बजट में प्राविधान किया गया था? यदि हां, तो धन सुलभ करा कर कब तक बघौचघाट में विद्युत उपगृह का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

देवरिया जनपद के बघौचघाट नामक स्थान पर 33 के0 वी0 विद्युत उपगृह के निर्माण हेतु भूमि अर्जन का प्रस्ताव जनवरी, 1979 में किया गया था और सचिव राजस्व परिषद् के पत्र संख्या 6419/10 (भू0 अ0) 26-एफ/81 दिनांक 10 मई, 1983 द्वारा प्रतिकर के भुगतान की मांग भी की गयी थी परन्तु अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मंडल, गोरखपुर द्वारा निरीक्षण करने पर प्रस्तावित भूमि विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पायी गयी तथा प्रतिकर राशि भी अत्यधिक थी।

इस विद्युत गृह को वर्ष 86-87 के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था तथा तभी से इसके लिए उपयुक्त भूमि की तलाश की जा रही है। इसके लिए क्षेत्र के विधायक महोदय की भी मदद ली गयी। वर्ष 87-88 के कार्यक्रम में बघौचघाट के विद्युत उपगृह के निर्माण का कार्य पुनः सम्मिलित कर लिाा गया है। समुचित तथा उपयुक्त भूमि मिलते ही कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

बरेली नगर स्थित गवर्नमेन्ट वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट के समीप की जमीन को जिला उद्योग विभाग द्वारा खाली कराया जाना

105–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर स्थित गवर्नमेन्ट वुड वर्किंग इन्स्टीट्यूट के समीप की जमीन जिस पर शिक्षा विभाग व वन विभाग के कार्यालय व कर्मचारियों के आवास बने हुए हैं, का स्वामी कौन है? इन कार्यालयों तथा भवनों को जिला उद्योग विभाग द्वारा खाली कराये जाने का क्या औचित्य है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत भूमि का स्वामित्व उद्योग विभाग का है।

उक्त भूमि का स्वामित्व उद्योग विभाग का है। अतएव उद्योग विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा करने अनधिकृत रूप से रहने वालों से खाली कराया गया है।

उ0 प्र0 वित्तीय निगम जनपद सीतापुर के बुनकरों से किश्तों में ऋण की वसूली

106–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 वित्तीय निगम जनपद-सीतापुर के बुनकरों से ऋण की वसूली 7 वर्षों की किश्तों में न करके अनुबन्ध के विपरीत सारा धन एक साथ वसूल करने हेतु आदेश तहसील को दे दिया है? यदि हां, तो क्यों और क्या पुनः किस्तों में ऋण की वसूली करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद सीतापुर शारदा कैनाल के लुकटहा सेक्शन में पेड़ की अवैध कटान

107–श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद-सीतापुर शारदा कैनाल में लुकटहा सेक्शन में पेड़ कटवाकर निजी स्वार्थ की पूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनवरी, 1986 से जुलाई, 1987 तक कुल 15 पेड़ चोरी से कटने का मामला प्रकाश में आया है जिनकी प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस में दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

लीला खेड़ा विकास क्षेत्र मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के निवासियों को विद्युत आपूर्ति

108–श्री मित्रसेन–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीला खेड़ा, विकास क्षेत्र मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के निवासियों का विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र श्री सरजू पाण्डेय, एम0 एल0 सी0 के संलग्नक सहित उन्हें दिनांक 24-11-87 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो ग्रामवासियों की उपर्युक्त मांग पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो विलम्ब का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बरेली के विकास खण्डवार एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या

109–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड के अनुसार कौन-कौन से गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण अभी एल0 टी0 मेन्स द्वारा नहीं किया गया है ? क्या यह सत्य है कि गत वित्तीय वर्ष में एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकृत किये गये ग्रामों तथा इस वर्ष इस प्रकार विद्युतीकरण किए जाने वाले ग्रामों की प्रस्तावित संख्या को देखते हुए इस रफ्तार पर बरेली के बचे हुए ग्रामों का एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण करने में 35 वर्ष से भी अधिक का समय लगेगा ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनपद बरेली के ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु अविलम्ब अतिरिक्त धन आवंटित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद बरेली के जिन ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर दिनांक 30-9-87 तक नहीं किया जा सका है, उनकी विकास खण्डवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

जी हां । अभी कई वर्ष लगने की सम्भावना है।

सीमित संसाधनों एवं क्षेत्रीय विकास के असन्तुलन को दृष्टिगत रखते हुए ही किसी जनपद के विद्युतीकरण के लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। अतः बरेली जनपद के लिये अतिरिक्त धन आवंटित करना अभी सम्भव नहीं है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, प्रश्नों के सन्दर्भ में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अब्दुल गफ्फार खां के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष–

हम मद-3 पर आ रहे हैं, निधन के निर्देश हैं, आप एजेन्डा कृपा करके देखें ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के जनक, परम त्यागी एवं तपस्वी जननायक श्री अब्दुल गफ्फार खां का निधन दिनांक 20 जनवरी, 1988 की लम्बी बीमारी के उपरान्त पेशावर में हो गया । श्री बादशाह खान लगभग 98 वर्ष के थे।

श्री गफ्फार जी का जन्म 1890 में मुहम्मद जाई नामक पठान के परिवार में हुआ था । अपने बाल्यकाल में ही मौलवी की धार्मिक पाठशाला को छोड़कर उन्होंने पेशावर के एक मिशनरी स्कूल में प्रवेश लिया और मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की । उसके उपरान्त उन्होंने अलीगढ़ में एक वर्ष तक उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खां एक कट्टर राष्ट्रीयतावादी थे । रौलेट एक्ट के देशव्यापी विरोध के समय अपने गांव में एक सभा करने के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा । उसके पश्चात् पठानों के बच्चों के लिये राष्ट्रीय शिक्षण संस्था स्थापित करने पर उनको पुनः 3 वर्षों के कारावास का दण्ड मिला । अपने जीवन का एक बहुत बड़ा भाग आपने जेल में व्यतीत किया । 1919 से 1946 तक विभिन्न अवधियों में वह 14 वर्ष जेल में रहे । श्री गफ्फार खां कोमल मन और मितभाषी वृत्ति के थे । खुदाई खिदमतगार संगठन बादशाह खान के विचार, विकास और कार्य विस्तार का एक महत्व-पूर्ण माध्यम बना । वह स्वभावतः एकान्तप्रिय व्यक्ति थे । राजनीति में उन्हें विवश होकर आना पड़ा । उन्होंने कुरान के अतिरिक्त गीता, गुरुग्रंथ साहिब और बाइबिल का भी अध्ययन किया । उनकी रुचि साहित्य और पत्रकारिता में भी थी । 1934 में उनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया किन्तु उन्होंने ठुकरा दिया । पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात् 40 वर्षों में 16 वर्ष उन्होंने जेल में व्यतीत किये । 1969 में बादशाह खान को नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार से विभूषित किया गया । 1985 में बम्बई में आयोजित कांग्रेस शताब्दी समारोह में उन्होंने भाग लिया । वर्ष 1987 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया ।

श्री गफ्फार खां जीवन पर्यन्त हिन्दू मुस्लिम एकता के लिए कार्यरत रहे । उन्होंने पख्तूनों का हृदय परिवर्तन कर हिंसा से अहिंसा के पथ का पथिक बनाया । श्री खान अब्दुल गफ्फार खां के रूप में सीमा प्रान्त ने एक एसे महान गौरवशाली व्यक्ति को जन्म दिया जिस पर सम्पूर्ण भारतवर्ष को गर्व है। श्री बादशाह खान के निधन से भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का एक ज्योतिर्मय चिराग बुझ गया ।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मेरे व मेरे दल तथा सदन की ओर से शोक संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सही है कि जो जन्म लेता है उसको एक दिन मरना ही है, परन्तु कुछ एसे व्यक्ति हैं जब वह इस दुनिया को छोड़ जाते हैं तो एसी रिक्तता उत्पन्न करते हैं जिसकी पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती है। अन्तर्राष्ट्रीय नेहरू पुरस्कार से सम्मानित एवं भारत रत्न से अलंकृत तथा स्वर्गीय बापू के सच्चे अनुयायी श्री बादशाह खां के निधन से इस देश को महान क्षति हुई है उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरा तथा मेरे दल का शोक सन्देश उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 दिवाकर विक्रम सिंह जी ने अपने जो विचार सरहदी गांधी साहब के सम्बन्ध में रखे हैं, मैं अपने आप को उनसे सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, सरहदी गांधी, हम तो बचपन में जब पढ़ते थे, तभी से इनके नारे लगाया करते थे। श्रीमन्, हमने उनको नजदीक से भी देखा, 1969 में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब वे हिन्दुस्तान आए तो मैं और श्री उग्रसेन जी उनसे मिले, कुछ देर बातें हुईं। श्रीमन्, वे महात्मा गांधी के दूसरे रूप थे । उनके चेहरे को देख करके श्रीमन् ऐसा लगता था कि यह इंसान नहीं देवता हैं। श्रीमन्, वह भारत और पाकिस्तान के ही बीच के नहीं संसार के बड़े महान ऐतिहासिक पुरुषों में से थे, जिनका जीवन 30 साल से भी ज्यादा जेलों में रहा हो । श्रीमन्, जितना उन्होंने देश की आजादी के लिये किया है और आखिर तक रहे हैं और हिन्दू मुसलमान एकता के लिये जितना वह लड़े हैं, दूसरा उनका कोई सानी नहीं है। यही नहीं, श्रीमन्, वह भारत के, देश के, हिन्दुस्तान के बंटवारे के समय, वही हाई कमाण्ड में ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने बंटवारे की मुखालफत की थी । मैं डा0 लोहिया साहब के बहुत नजदीक रहा हूं। वे जब उस मीटिंग का वर्णन करते थे तो खान साहब का नाम लेकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और कहते थे वह ही एक ऐसा व्यक्ति था, जिसने इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी है । श्रीमन्, यह देश और इस देश की तमाम जनता उनकी ऋणी रहेगी । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी भावनाओं को उनके परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 दिवाकर विक्रम सिंह जी और मा0 राम शरण दास जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं । खान अब्दुल गफ्फार खान एक ऐसी विभूति थे, जिनके न रहने से न केवल हिन्दुस्तान की, बल्कि दुनिया की ऐसी क्षति हुई है, जिसकी पूर्ति होना सम्भव नहीं है। मान्यवर, उन्होंने शान्ति के लिये जो भी प्रयास किया, हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये, पठान मुस्लिम एकता के लिये, उन्होंने जो भी कुर्बानी दी, उसकी दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती । मान्यवर, उन्होंने एक बार गांधी जी से कहा था कि आप तो अहिंसावादी लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाकर उनको एक रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन काम था कि जो बन्दूक लेकर घूमने वाले पठान थे, उन्होंने उनको हिंसा से अहिंसा का पाठ पढ़ाया । यह बहुत ही कठिन काम था । इसीलिए गांधी जी ने उन्हें सीमान्त गांधी की उपाधि दी थी । वे आज हमारे बीच में नहीं है। वह एक ऐसे आदमी थे, जिन्होंने देश के बंटवारे की पुरजोर खिलाफत की थी । आज देश का बंटवारा न होता तो देश में साम्प्रदायिकता की भावना जो आज बढ़ी हुई है, नहीं हुई होती । आज ऐसे व्यक्ति के लिये जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके लिये मैं सदन में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि आज सदन में कोई कार्यवाही न करके ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिये आज सदन स्थगित कर दिया जाय । यह मेरा प्रस्ताव है। मैं समझता हूं कि इसको मा0 मुख्य मंत्री जी मानेंगे । पूरा सदन इस बात के लिये तैयार है और जो 29 तारीख को विनियोग विधेयक है, वह 30 तारीख को ले लिया जाय । मेरा यह प्रस्ताव है। मान्यवर, मेरी ये शोक संवेदनायें उनके परिवार को मेरी और मेरे दल की ओर से देने की कृपा करें और उनके परिवार को भेजने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री खान अब्दुल गफ्फार खां के आकस्मिक निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन, माननीय उपनेता विरोधी दल, माननीय रामशरण दास जी तथा नेता जनता पार्टी ने व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। आज इस महान विभूति के उठ जाने से एक युग का अन्त हो गया है। अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाला महासेतु काल के प्रवाह में समाहित हो गया है। अभी शोकोद्गार के समय मेरे साथियों ने यह बात कही कि वह भारत विभाजन के कट्टर विरोधी थे, यह बात सही है। सन् 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, उस समय उन्होंने कहा कि यह ठीक नहीं हुआ और उन्होंने इसका डटकर विरोध किया और बहुत दिन तक वह अंग्रेजों की जेल में भी रहे। पाकिस्तान की जेल में भी रहे, 4 साल तक निर्वासित रहे। वह अपने प्रदेश के लिए ही नहीं पूरे देश, पूरी दुनिया के लिये लड़ते रहे और उनका मनोबल बहुत ऊंचा था। इतिहास हमें बताता है कि उन्हें 1931 में जब वह गिरफ्तार किये गये तो उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दीं, उस समय अंग्रेजों के आदेश के बावजूद भी जो वहां की सेना थी, उसने गोली चलाने से मना कर दिया था। वह केवल स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी ही नहीं थे, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत काम किया और अनेक मदरसे खोले। क्योंकि वह जानते थे कि शिक्षा के प्रचार से ही लोगों में जागृति लायी जा सकती है और उस समय मौलाना अबुल कलाम आजाद जो समाचार-पत्रों का सम्पादन करते थे जैसे हलाल, उनको भी बढ़ाने का प्रचार किया। जबकि उस समय जो व्यक्ति उन अखबारों को पढ़ता था, उसका नाम सी0 आई0 डी0 की लिस्ट में रहता था। आज वह हमारे बीच में नहीं हैं। उन्होंने हिन्दू मुसलमान एकता के लिये, राष्ट्रीय एकता और सौहार्द के लिये बहुत काम किया। आज उनके न रहने पर हम अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके न रहने से हिन्दुस्तान-पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के वह सब लोग, जो मानवता के विकास के लिये संघर्षरत रहते हैं, को दुःख पहुंचा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो लोग उनके परिवार में बचे हैं, उन तक हमारी भावनायें पहुंचाने की आप कृपा करें।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी, माननीय राम शरण दास जी और माननीय रेवती रमण सिंह व माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। खान अब्दुल गफ्फार साहब ने हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये जीवन पर्यन्त कार्य किया। मान्यवर, बादशाह खान सीमा प्रान्त के एक ऐसे शख्स थे, जिन पर पूरे भारतवर्ष को गर्व था। बादशाह खान जी को नेहरू पुरस्कार व भारत रत्न पुरस्कार उनकी बीमारी की दशा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिये गये थे । मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप उनके शोक संतप्त परिवार को हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, बादशाह खान के निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य विरोधी दलों के नेताओं ने व्यक्त किए हैं, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, बादशाह खान जैसे लोग संसार में कभी-कभी पैदा होते हैं। बादशाह खान उन चन्द लोगों में से रहे जिन्होंने धर्म और राष्ट्र को एक साथ नहीं जोड़ा। जिन्होंने मजहब के नाम पर कौम को मानने से इन्कार कर दिया। अपनी इसी मान्यता के चलते श्री बादशाह खान को 16 वर्षों तक पाकिस्तान की जेलों में बन्द रहना पड़ा ऐसे पुरुष के चले जाने से न केवल भारतवर्ष, न केवल पाकिस्तान, वरन् पूरे संसार की बड़ी क्षति हुई है। इन्हीं शब्दों के साथ मान्यवर, मैं और मेरा दल उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप से निवेदन करता हूं कि हमारे ये शोक संवेदना के भाव उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, श्री खान अब्दुल गफ्फार खां हमारे बीच नहीं रहे। खान अब्दुल गफार खां एक अद्भुत व्यक्तित्व की महापुरुष थे और वह महात्मा गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे वह साम्प्रदायिकता के खिलाफ जीवन पर्यन्त लड़ते रहे और जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ। वह कदापि नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो। जब विभाजन हुआ तो उन्होंने कहा कि भेड़िये के मुंह में डाल दिया गया। जब दोनों देश एक थे, तो उस समय उन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में साहस दिखाया, वह गांधी जी के साथ मिलकर काम करते रहे, उससे हम सभी लोग सबक लेते हैं और आने वाली पीढ़ी भी सबक लेगी। साम्प्रदायिकता के खिलाफ लड़ना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे देश के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग साम्प्रदायिकता के खिलाफ सतत् संघर्ष करते रहेंगे। आज जो हमारे देश की एकता और अखण्डता को भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है, उसकी रक्षा करना आज हम सबका एक महान कार्य है। आज हमको इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि जिस रास्ते से श्री बादशाह खान चले, उसी रास्ते से हम चलकर देश की एकता और अखण्डता को कायम रखें।

मान्यवर, श्री खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमान्त गांधी के नाम से जाना जाता है। वह सचमुच में दूसरे गांधी थे। उनके निधन के बारे में माननीय नेता सदन व अन्य विरोधी दल के नेताओं ने जो उद्गार प्रकट किए हैं, मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और उन्हें श्रधांजलि अर्पित करता हूं और उनके बताये हुए रास्ते पर चलकर साम्प्रदायिकता के खिलाफ और प्रथकतावाद के खिलाफ मेरा दल हमेशा संघर्ष करता रहेगा। आपसे मान्यवर, पुनः निवेदन करूंगा कि मेरी तरफ से और मेरे दल की तरफ से ये शोकसंवेदना के भाव उनके परिवार तक पहुंचने की कृपा करें।

*श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय, श्री खान अब्दुल गफ्फार खां महात्मागंधी जी के सच्चे अनुयायी थे। साम्प्रदायिक सौहार्द के प्रतिरूप सीमान्त गांधी आज हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन पर जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन व अन्य नेताओं ने व्यक्त किए हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को तथा निर्दलीय विधायकों के समुदाय को भी सम्बद्ध करता हूं तथा उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे ये शोक संवेदना की भावना उनके परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री देव कुमार यादव–

माननीय, दुनिया में कुछ लोग ऐसे आते हैं, जिनकी मृत्यु से केवल मृत्यु मरती है, व्यक्ति नहीं मरता है। सीमान्त गांधी ऐसी हस्तियों में थे, जो महात्मा गांधी के आदर्शों के साथ-साथ ऐसे नैतिक मूल्यों की लिए और मरे, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत् प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। आजादी के बाद भारत विभाजन के बाद वह भारत के प्रति बहुत ही आस्थावान थे और उन्होंने इस वतन को ही अपना वतन समझा था और आखिर तक उन्हीं आदर्शों पर वह चलते रहे। वह जीवन में न कभी थके, न टूटे और न हारे। जीवन की अन्तिम सांस तक उन आदर्शों के लिये जूझते रहे, जिन पर चलने के लिये मानवता लालायित रहती है। जहां कहीं भी गुलामी थी, उत्पीड़न था, शोषण था, उसके विरुद्ध आखिरी सांस तक उन्होंने आवाज उठायी और दुनिया के करोड़ों शोषितों और पीड़ितों की आवाज बनते रहे। आखिर में वह अपनी दास्तान कहते-कहते, जिसे दुनिया सुन रही थी, खुद सो गये। ऐसी महान विभूति को मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि उनके परिवार तक हमारा यह संवेदना का संदेश पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

जो आप सबने अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मरहूम सरहदी गांधी का जन्म 1890 में हुआ। वे एक कट्टर राष्ट्रीय थे। उनकी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा जेल में गुजरा। उनको 1987 में "भारत रत्न" से सम्मानित किया गया। वह सारी उम्र जुल्म और नाइन्साफी के खिलाफ लड़ते रहे। उनकी पूंजी मात्र एक गठरी थी। जब भी हवाई जहाज से उतरते थे, वह गठरी उनके साथ होती थी। ऐसे लोग दुनिया में कम पाये जाते हैं। मैं आप सबकी संवेदनायें उनके परिवार तक पहुंचाऊंगा। आपसे अनुरोध करूंगा कि दो मिनट मौन खड़े होकर उन्की प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की कर्पूरी ठाकुर के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

माननीय, बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं लोकदल (ब) के नेता श्री कर्पूरी ठाकुर का निधन दिनांक 17 फरवरी, 1988 को हो गया। वह लगभग 67 वर्ष के थे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म वर्ष 1921 में समस्तीपुर जिले के एक ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री गोकुल ठाकुर एक छोटे किसान थे। उनकी स्नातकीय शिक्षा दरभंगा के एक कालेज में प्रारम्भ हुई किन्तु प्रथम वर्ष में ही 1942 का "भारत छोड़ो" आन्दोलन शुरू होने पर वह पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े और उन्हें 26 महीने की सजा हुई और जेल जाना पड़ा।

श्री ठाकुर 1970 और 1977 में मुख्यमंत्री बने। निधन से कुछ समय पूर्व तक वे बिहार विधान सभा में विपक्ष के नेता भी रहे । कांग्रेस समाजवादी पार्टी की दरभंगा शाखा के सचिव रहने के उपरान्त उनको राज्य किसान समिति का महासचिव बनाया गया। आजादी से पूर्व कर्पूरी ठाकुर कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे। 1942 से 1952 तक बिहार की किसान पंचायत के अग्रणी नेता रहे । किसान मजदूर आन्दोलनों के सिलसिले में वे लगभग 5 बार जेल गये । वह दरभंगा के ताजपुर नामक निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान सभा के लिये लगातार जीतते रहे । 1967 से 1972 तक वह भारतीय संयुक्त समाजवादी दल के अध्यक्ष रहे । 1985 में निर्वाचित क्षेत्र सीतामढ़ी से सोन बरसा क्षेत्र से वह चुनाव जीते । वे देश प्रेम की प्रतिमूर्ति थे । श्री कर्पूरी ठाकुर के निधन से बिहार प्रान्त ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे तथा मेरे दल की ओर से हमारी सम्वेदनाएं उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचने की कृपा करें।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर का निधन एक अत्यन्त दुखभरी बात है । उनके निधन से गरीब, मजदूर, किसान और दलितों ने अपना एक अच्छा साथी खो दिया है। वह गरीबों के मसीहा रहे और जीवन भर गरीबों के उत्थान के लिये लड़ाई लड़ते रहे। उनकी लोकप्रियता इसी से जाहिर है कि वे सदैव विधान सभा के सदस्य बने रहे, केवल 1977 में कुछ समय के लिये वे लोकसभा में चले गये थे, लेकिन बाद में वे फिर वहां की विधान सभा में लौट आये।

मान्यवर, उनके निधन से राजनीति के क्षेत्र में एक रिक्तता उत्पन्न हो गयी है । गरीबों, किसानों और दलितों का एक सच्चा साथी नहीं रहा है। ऐसे व्यक्ति के प्रति मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

साथ ही एक निवेदन और करूंगा कि आज इस सदन में दो महान विभूतियों के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गयी है- एक सीमान्त गांधी और दूसरे कर्पूरी ठाकुर, इसलिए मेरा निवेदन है कि दोनों महान विभूतियों के सम्मान में आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय, यह उचित होगा।

*श्री राम शरण दास–

श्रीमन्, कर्पूरी ठाकुर हमारे दल के नेता थे, पिछले बीस साल से मेरा और उनका संबंध रहा है और जब भी मुझे वे मिलते थे तो एक ही बात वह कहते थे कि "आओ,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हमारे जीवन-मरण के साथी राम शरण दास जी'' तोश्रीमन्, ऐसा व्यक्ति जिससे मेरे व्यक्तिगत संबंध हों, जो इस देश की आजादी की लड़ाई में एक सिपहसालार रहा हो और विरोधी पक्ष का, इस देश का बहुत बड़ा नेता हो, उसके निधन से कितनी क्षति आज हमारे देश को हुई है, इसका अनुमान विरोधी पक्ष को ही हुआ है, यह हमारे लिये बहुत ही असहनीय है। श्रीमन् 1952 से लेकर आज तक, जब तक उनका निधन हुआ, वे विधान सभा के सदस्य रहे, केवल कुछ दिनों के लिये 1977 में वे लोक सभा के सदस्य रहे, एक दफा उप मुख्य मंत्री रहे और दो दफा मुख्य मंत्री रहे और लगातार नेता विरोधी दल रहते रहे। आज सभी विरोधी पक्ष के लोग महसूस करते हैं कि कर्पूरी जी अगर रहते तो राजनीति में कुछ और बात हो जाया करती।

वह चाहते थे कि हम सब विरोधी पक्ष के लोग इकट्ठे हों। अभी इसी महीने की आठ तारीख को जब वे लखनऊ आये थे सम्मेलन में तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि इस देश के विरोधी पक्ष के लोगों को एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। श्रीमन् वे बहुत ही छोटे घराने से, झोपड़ी से निकल कर मुख्य मंत्री की कुर्सी तक आये। श्रीमन्, यह क्रेडिट उन्हें जाता है जिसकी बराबरी, 200 या 250 वाट वाले क्षेत्र में से वे बराबर जीत कर आते रहे और एम0एल0 ए0 बनते रहे, कोई नहीं कर सकता है। वह बहुत ही महान व्यक्ति थे। श्रीमन् जब वे पब्लिक की बीच रहते तो कोई यह पहचान ही नहीं पाता था कि ये मुख्य मंत्री रहे हैं, एम0 एल0 ए0 हैं कि यह एम0 एल0 ए0 भी है, साधारण किसानों की तरह और साधारण व्यक्तियों की तरह से इनकी वेश-भूषा थी और वे समाज से कभी भी अलग नहीं हुए। इसलिए मान्यवर जैसा कि मा0 दिवाकर विक्रम साहब ने खान अब्दुल गफ्फार साहब व कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में कहा कि इस देश की आजादी की लड़ाई के लिए बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया जिनकी वजह से आज यहां हम लोग असेम्बली में हैं, इसलिए इन दोनों महान व्यक्तियों के लिए आज सदन की छुट्टी कर दें तो बहुत ही अच्छा होगा और जैसा कि आज विधान परिषद् में भी निधन के निर्देश के बाद छुट्टी हो रही है और श्रीमन् आपके माध्यम से मैं इस हेतु माननीय नेता सदन से भी अनुरोध करूंगा कि आज के कार्य को हम आगे आपस में बैठकर कहीं एडजेस्ट कर लेंगे, लेकिन आज की छुट्टी तो आप करने की कृपा कर ही दें और साथ ही आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से इन शोक-संतप्त परिवार तक मेरी संवेदनाएं भेजने की कृपा करें।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता सदन, मा0 दिवाकर विक्रम सिंह व मा0 राम सरन दास जी ने कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में बातें कहीं है मैं उनसे अपने आपको सम्बद्ध करते हुए मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि ठाकुर साहब ने अपना राजनीतिक जीवन गांव गलियों से शुरु करके राजनेता के शिखर तक पहुंचे हैं। वह गरीबों व पिछड़े हुए लोगों के प्रति हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं। शुरू-शुरू में वह सोसलिस्ट पार्टी में में थे और बाद में वह संयुक्त सोसलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी बने और स्व0 ठाकुर साहब ने अपने जीवन को उसी रूप में ढाला जिस रूप में महात्मा गांधी चाहते थे। मान्यवर, मुझे याद है कि वह मुख्य मंत्री रहते हुए कोई परिकल्पना नहीं कर सकता है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे ही जमीन पर अंगौछा बिछाकर सोते होंगे और दिन रात गरीबों और पिछड़े हुए लोंगो की सेवा कार्य में ही अपने आपको व्यस्त रखते थे, ऐसे मुख्य मंत्री इस देश में बहुत कम हुए हैं और यही नहीं वह समाजवादी विचारधारा के उच्च नेता थे । इनकी मृत्यु से बिहार में खासतौर से जो रिक्त हुई है, उसको अब समाज में पूरा नहीं किया जा सकता है । दो बार वह मुख्य मंत्री और एक बार उप मुख्य मंत्री रहे तथा लगातार वह वहां पर विरोधपक्ष के नेता रहे और अपने जीवन काल में शायद ही कभी भी चुनाव में वह हारे हों । उनकी उपलब्धियों को आज अगर हम देखे, जिससे हमें सदैव सीख मिलती रहेगी। वह मृदुभाषी एवं कुशल राजनीतिक थे। बिहार में उन्होंने एक ऐसा गरीबों का सेवा कार्य संगठन बना रखा था जिसे मान्यवर कोई तोड़ नहीं सका । उनकी मृत्यु से जो रिक्तता हुयी है वह केवल बिहार में ही नहीं अपितु पूरे देश की है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है जैसा कि मान्यवर अभी मा0 दिवाकर विक्रम सिंह जी से व अन्य मा0 सदस्यों ने इन दोनों नेताओं के निधन से इस सदन को स्थगित करने का प्रस्ताव जो रखा है, उसका मैं भी समर्थन करता हूं । और उनके शोक-संतप्त परिवार तक अपनी ओर से व अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी स्व0 कर्पूरी ठाकुर के निधन के बारे में जो शोकोद्गार मा0 नेता सदन, उप नेता विरोध पक्ष व अन्य माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं ।

श्री कर्पूरी ठाकुर ने राष्ट्र सेवा के लिए भले ही अपनी पार्टी को माध्यम बनाया हो, लेकिन वह एक पार्टी विशेष के नेता थे । मेरी मान्यता के अनुसार वह एक राष्ट्रीय नेता थे और प्रतिपक्ष के सशक्त स्तम्भ थे । उनकी जीवन शैली बन गयी थी, आजादी की लड़ाई में काम करते करते, चाहे वह नेता विरोधी दल के रूप में हों, वह सदैव समाज के कमजोर वर्ग के लिये लड़ते रहे, उन पर होने वाले अत्याचार के प्रति संघर्ष करते रहे । आज वह हमारे बीच से चले गये हैं । जो यहां आया है, उसे जाना है, लेकिन इस समय देश की जो राजनैतिक परिस्थितियां हैं उनमें उनका न रहना राजनीति के क्षितिज में रिक्तता आ गई है और यह रिक्तता पूरी नहीं हो सकती है । इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन करता हूं कि श्रद्धांजलि मेरे और मेरे दल की ओर से उनके शोक संतप्त परिवार को पहुंचाने की कृपा करें और इसके साथ ही साथ जैसा कि नेता विरोधी दल ने और अन्य नेताओं ने अपनी भावना व्यक्त की है कि दो महान विभूतियों के चले जाने से बाद आज सदन की कार्यवाही को बन्द कर दिया जाये । मान्यवर, यह मांग ही सामयिक है । इन शब्दों के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, श्री कर्पूरी ठाकुर हमारे बीच नहीं रहे, उनके सम्बन्ध में जो शोक संवेदनायें माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं ।मान्यवर, कर्पूरी ठाकुर जी एक अच्छे सामाजिक और किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नेता थे । इसके साथ ही साथ उन्होंने हमेशा से निर्धन और दलितों के लिये अन्याय के विरुद्ध और शोषण के विरुद्ध संघर्ष किया है । उनके न रहने से समाज में एक रिक्तता आ गयी है, जो निकट भविष्य में भरी नहीं जा सकती है । आपसे निवेदन है कि मेरे और मेरे दल की ओर से उनकी शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजलि भेजने की कृपा कर । माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने जो भावना व्यक्त की है कि इन महान विभूतियों के न रहने से आज की सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय, इससे मैं अपनी सहमति प्रकट करता हूं ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्री कर्पूरी ठाकुर के निधन पर जो भावनायें नेता सदन, नेता विरोधी दल तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मान्यवर, कर्पूरी ठाकुर हमारे देश को राजनीति के एक बड़े स्तम्भ थे । श्री कर्पूरी ठाकुर में यह क्षमता थी कि वह देश की राजनीति को कभी भी एक नया मोड़ दे सकते थे मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला है । जब वह संयुक्त सोशिलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे तो मैं सचिव था । कर्पूरी ठाकुर ने जिन परिस्थितियों में बिहार की सेवा की है वह किसी से छिपा नहीं है । मान्यवर बिहार को राजनीति मध्यम किसान वर्ग की थी, हमारे उत्तर प्रदेश की तरह निम्न मध्यम वर्ग के साथ जो राजनीति जुड़ी रही, वैसा नहीं ।

मान्यवर, बिहार की राजनीति हमेशा से उच्च मध्यम किसान के हाथ में रही है । ऐसी स्थिति में कर्पूरी ठाकुर ने जो ख्याति अर्जित की जिस ढंग से काम किया उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है । वह हमेशा ही एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं और रहेंगे उन लोगों के लिए जो दलितों की, गरीबों की, छोटे किसानों की राजनीति करना चाहते हैं समाजवादी समाज की रचना करना चाहते हैं, ऐसी विभूति के चले जाने से उन लोगों को बड़ी क्षति हुई है, पूरे देश की क्षति हुई है । हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारी यह संवेदनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री, लोक दल (ब) के राष्ट्रीय नेता कर्पूरी ठाकुर के आकस्मिक निधन से हम सब लोग स्तब्ध रह गये क्योंकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की दुखद घटना घट जायेगी ।

मान्यवर, कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही निर्बल वर्ग जो हमारे समाज में अत्यन्त अल्प संख्यक है उस परिवार में जन्म लिये, वह बहुत ही गरीब परिवार था । लेकिन उनके अन्दर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई थी उसका परिणाम यह हुआ कि जब उन्होंने कालेज की पढ़ाई शुरू की तो वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी । वे लगातार देश की सेवा में आजादी की लड़ाई में लगे रहे और यही कारण था कि वह देश में लोकप्रिय हो गये। बिहार में वे लगातार हर चुनाव में कामयाब होते रहे । मान्यवर, उनके निधन से हमारे देश की जनतांत्रिक आन्दोलन को महान क्षति हुई है । उसका पूरा होना असम्भव है । इस वक्त देश संकटपूर्ण स्थिति में ऐसे महान नेता की बड़ी आवश्यकता थी । देश के अन्दर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और देश की एकता और अखंडता के लिये खतरा पैदा हो गया है । मान्यवर, कर्पूरी ठाकुर के प्रति जो माननीय नेता सदन तथा अन्य विपक्षी

दलों के नेताओं ने जो भावनायें प्रकट की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी और हमारे दल की यह भावनायें उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, चिन्तन से समाजवादी बहुत होते हैं लेकिन व्यावहारिक जीवन में आचरण से समाजवादी बिरले ही होते हैं । कर्पूरी ठाकुर अपने व्यावहारिक जीवन में आचरण से भी समाजवादी थे । उन्होंने एक राष्ट्रीय नेता की रूप में भारत की जनता के दिलों में विशेषकर निर्धन जनता के दिलों में जो जगह बनायी उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । मान्यवर, उनके व्यवहारिक जीवन से जो प्रेरणा हम सब को मिली है वह बहुत कम नेताओं से मिल पाती है । ऐसी प्रतिभा हम लोगों के बीच से उठ गई गई । उनके निधन से जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने समुदाय को सम्बद्ध करते हुये आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप हमारे ये श्रद्धा के पुष्प उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री देव कुमार यादव–

मान्यवर, माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर को जो श्रद्धांजलि माननीय सदन में अर्पित की गयी है मैं उससे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं । स्व0 ठाकुर का जीवन मान्यवर, ऐसा है जिससे ऐसे लोगों को भी जो विपन्ना अवस्था में, गरीबी में पैदा होता है वह भी यह सपना पाल सकता है कि जीवन की इतनी उंचाई तक जा सकता है । श्री ठाकुर गरीब घर में पैदा हुये और चट्टानों से संघर्ष कर उपर उठे और निधन के बाद ऐसा प्रतीक छोड़ गये हैं कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिये निरंतर प्रेरणा का प्रतीक बना रहेगा ।

मान्यवर, मैं अपने और अपने दल को जो उद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये हैं उनसे सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तथा उनके प्रदेश को हमारी भावनायें भेजने की कृपा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

जो आप सब ने अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सबद्ध करता हूं । आज हमारे बीच श्री कर्पूरी ठाकुर नहीं रहे और उनके निधन से एक बड़ी कमी हो गयी है । वह बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री रहे और लोकदल (ब) के नेता रहे । उनके पिता छोटे किसान थे उन्होंने अपनी उम्र भर किसानों की सेवा में अपने को समर्पित किया ।

आपने जो संवेदना प्रकट की है मैं उसे उनके परिवार तक पहुंचाउंगा । आपसे अनुरोध है कि दो मिनट मौन खड़े होकर उनके सम्मान में श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री इस्तफा हुसैन, श्री हर गोविन्द वर्मा, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय तथा श्री रमेश वर्मा के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री ऋषि नारायण शास्त्री का देहावसान 27 मई, 1986 को लगभग 85 वर्ष की आयु में जक्खनी गांव स्थित उनके घर पर हो गया। शास्त्री जी वर्षों तक पक्षाघात के कारण बीमार रहे।

श्री ऋषि नारायण शास्त्री जी का जन्म वाराणसी के जक्खनी गांव में 1901 में हुआ था उनके पिता जी का नाम श्री बैजनाथ सिंह था। शास्त्री जी ने विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। वह वाराणसी के गंगापुर क्षेत्र से कांग्रेस के सदस्य के रूप में वर्ष 1962 से 1967 तक उ0 प्र0 विधान सभा सदस्य रहे।

स्व0 ऋषि नारायण शास्त्री जी एक तपे तपाये कार्यकर्ता थे 1922, 1931 और 1940 के स्वतंत्रता आंदोलनों में कुल मिलाकर उन्हें 18 माह की कैद और 150 रु0 जुर्मानें की सजा मिली थी। 1942 में वह दो वर्ष तक जेल में बन्द रहे। श्री ऋषि नारायण शास्त्री जी के निधन से जनपद वाराणसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनिरुद्ध राय का निधन दिनांक 3 दिसम्बर, 1987 को हृदय गति रूक जाने से हो गया। वह लगभग 55 वर्ष के थे। उनका जन्म 13 मार्च, 1933 को जनपद देवरिया में एक ग्राम में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी।

वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में गौरी बाजार, जिला देवरिया से वह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री अनिरूद्ध राय जी के निधन से जनपद देवरिया ने एक कुशल समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ खो दिया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

मान्यवर, मुझे अत्यंत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल बहादुर सिंह का निधन दिनांक 15 दिसम्बर, 1987 को हो गया। वह लगभग 79 वर्ष के थे। श्री लाल बहादुर सिंह का जन्म दिनांक 11 जून, 1909 को हुआ था। उन्होंने इण्टरमीडिएट तक शिक्षा प्राप्त की थी। वह 1952 में वाराणसी से कांग्रेस के सदस्य के रूप में विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने गये। 1952 में एक उप-निर्वाचन में विजयी हुये। इसके उपरांत वर्ष 1962 एवं 1969 के निर्वाचनों में वाराणसी से ही कांग्रेस के टिकट पर विजय प्राप्त की। श्री लाल बहादुर सिंह जी के निधन से जनपद वाराणसी ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इस्तफा हुसैन का निधन दिनांक 19 दिसम्बर, 1987 को प्रात: 4 बजे हो गया । वह लगभग 74 वर्ष के थे । उनका जन्म दिनांक 10 जून, 1914 को हुआ था । उन्होंने एम0एस-सी0, एल-एल0बी0 तक की शिक्षा प्राप्त की थी । सर्वप्रथम वर्ष 1952 में कांग्रेस के टिकट पर जिला गोरखपुर से विजय प्राप्त कर उन्होंने इस सदन में पदार्पण किया था । वर्ष 1957 में वह पुन: उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए । वर्ष 1966 से 1978 तक वह विधान परिषद् के सदस्य भी रहे । वह शिक्षा, गृह तथा सूचना मंत्री के सभा सचिव भी नियुक्त किये गये । वर्ष 1973 से 1975 तक वह श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर के मंत्री बनाये गये थे ।

श्री इस्तफा हुसैन जी के निधन से गोरखपुर ही नहीं वरन् उत्तर प्रदेश ने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व खो दिया ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद श्री हरगोविन्द वर्मा का निधन दिनांक 14 जनवरी, 1988 की रात्रि में हो गया । वह लगभग 51 वर्ष के थे । उनका जन्म दिनांक 15 जुलाई, 1937 को सीतापुर के एक ग्राम में हुआ था । उन्होंने बी0ए0, एल-एल0 बी0 तक की शिक्षा प्राप्त की थी । वह वर्ष 1980 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र, लहरपुर, जिला सीतापुर से जनता (एस0) के टिकट पर वह उ0प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वर्ष 1977-80 की अवधि में वह लोकसभा के भी सदस्य रहे थे ।

श्री हरगोविन्द वर्मा जी ने लोकदल (अ) के प्रदेशीय महामंत्री पद को सुशोभित किया । कृषकों की समस्याओं के प्रति वह जागरूक थे । किसान कामगार सम्मेलन उ0 प्र0 के अध्यक्ष रहने के साथ ही वह एक लोकप्रिय नेता भी थे । उनके निधन से जनपद सीतापुर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल उपाध्याय का निधन दिनांक 16 जनवरी, 1988 को लगभग 76 वर्ष की आयु में हो गया । उनका जन्म सितम्बर, 1912 में जिला देवरिया के एक ग्राम में साधारण कृषक परिवार में हुआ था। वह वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन क्षेत्र रुद्रपुर (पश्चिम), जिला देवरिया से उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे । वर्ष 1969 में पुन: रामकोला, देवरिया से भारतीय क्रांति दल के टिकट से

विजयी हुए थे। उनके निधन से जनपद देवरिया ने एक अग्रिम पंक्ति का स्वतंत्रता सेनानी खो दिया । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य एवं सांसद श्री रघुबीर सहाय का निधन दिनांक 3 जनवरी, 1988 को पक्षाघात के कारण हो गया । वह लगभग 92 वर्ष के थे । उनका जन्म मार्च, 1896 को बदायूं में हुआ था । उन्होंने बी0एस0-सी0 एल0एल0बी0 तक शिक्षा प्राप्त की थी । वर्ष 1946 से 1952 तक की अवधि में जिला बदायूं (पूर्व) से उत्तर प्रदेश विधान सभा के वह कांग्रेस दलीय सदस्य रहे । इसके पूर्व 1928-30 में वह यू0 पी0 लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे । वह लोक सभा के सदस्य भी रहे । श्री सहाय जी वर्ष 1937 में जिला ग्राम विकास एसोशियेशन बदायूं के चेयरमैन रहे । जिला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी एवं प्रेसीडेन्ट रहने के साथ ही साथ वह उत्तर प्रदेश एवं आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में सदस्य भी रहे थे ।

श्री रघुबीर सहाय जी के निधन से जनपद बदायूं ने एक वरिष्ठ नेता खो दिया । मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य रमेश वर्मा का निधन दिनांक 11/12-2-88 की रात्रि में हो गया । वह लगभग 83 वर्ष के थे । वह 1952 में आगरा के किराउली निर्वाचन क्षेत्र से चुन कर विधान सभा के सदस्य बने थे । वह क्रान्तिकारी विचार धारा के साहसी व्यक्ति, अच्छे लेखक एवं साहित्यकार भी थे । वह लगातार कांग्रेस के आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया करते थे । श्री वर्मा कई वर्षों तक आगरा पंच अखबार के संपादक भी रहे । उन्हें वर्ष 1932 में "सैनिक" के संपादक की हैसियत से एक वर्ष का कारावास भी हुआ था ।

श्री वर्मा जी के निधन से जनपद आगरा ने एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व खो दिया । मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे, मेरे दल तथा सदन की ओर से संवेदना उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, आज तमाम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच से एक साथ चले गये जिनके प्रति हम श्रद्धांजलि अर्पित करने खड़े हुये हैं ।

श्रीमन्, श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय जी, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री इस्तफा हुसैन, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय तथा श्री रमेश वर्मा जी उन पुरानी विभूतियां में से हैं, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया और आज हमारे बीच नहीं हैं । इसके साथ हम अपने परम मित्र श्री हरगोविन्द वर्मा जी के प्रति भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं । श्री वर्मा जी भी गरीबों और किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

के एक मसीहा थे । उनको समस्याओं के लिए सदा लड़ते रहते थे । वह आज हमारे बीच में नहीं हैं । सीतापुर ने अपना एक अच्छा नेता खो दिया है । मैं इन समस्त विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से तथा आपसे निवेदन करता हूं कि आप इनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं अपने और अपने दल की नेता सदन और माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी द्वारा व्यक्त भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं । श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, श्री लाल बहादुर सिंह जी, श्री इस्तफा हुसैन साहब, हरगोबिन्द वर्मा जी, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय और श्री रमेश वर्मा जी, इन सबके निधन पर हम श्रीमन् अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं । श्रीमन्, इनमें से कुछ लोग तो स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं, कुछ लोग लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं और श्रीमन् श्री हरगोविन्द वर्मा जी से तो हमारा बहुत करीबी रिश्ता रहा है सोसलिस्ट पार्टी के लेकर लोक दल तक हम लोगों ने इकट्ठा कार्य किया है । वह भी गरीबों के एक अच्छे नेता थे प्रदेश के । उन्होंने भी किसानों और शोषितों के लिए लड़ाई लड़ी और वह भी एक छोटे परिवार से निकलकर लोकसभा और विधान सभा तक पहुंचे । उनसे हमारे अच्छे संबंध रहे हैं । उनके न रहने से खासकर हमारे विरोधी पक्ष की बहुत क्षति हुई है । सभी महानुभावों के प्रति, जो इस सदन के सदस्य रहे हैं, सबके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे दल की ओर से हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों तक भेजने का कष्ट करें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, लाल बहादुर सिंह जी, इस्तफा हुसैन, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय एवं श्री रमेश वर्मा जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं । उनमें से कई तो भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे हैं । आज इन सदस्यों के न रहने से सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वालों में एक रिक्तता आई है । इस संबंध में जैसी नेता सदन ने और दिवाकर विक्रम सिंह जी, राम शरण दास जी ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनाएं पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐसा दुखद संयोग है कि एक साथ ऐसे बहुत से माननीय भूतपूर्व सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है । सभी माननीय श्री हरगोविन्द वर्मा, माननीय ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, श्री लाल बहादुर सिंह, इस्तफा हुसैन, माननीय मंगल उपाध्याय, माननीय रघुवीर सहाय व रमेश वर्मा के प्रति जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन ने, उपनेता विरोधी दल ने, माननीय राम शरण दास और नेता जनता पार्टी ने यहां व्यक्त किये हैं, मैं अपने को

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

और अपने दल को उनके साथ सम्बद्ध करता हूं । जो भूतपूर्व सदस्यों के बारे में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, सभी अपने अपने क्षेत्र के अत्यन्त लोकप्रिय, और सामाजिक सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यक्ति थे । इसलिए मान्यवर, उन्हें सम्मान मिला और इस आदरणीय सदन को सदस्य होने का मौका मिला। इस पूरे प्रकरण में मान्यवर, एक दुखद बात सामने आई है । श्री ऋषि नारायण शास्त्री जिनका देहावसान 27 मई, 1986 को हुआ और आज हम 1988 में शोकोद्गार व्यक्त करने जा रहे हैं यह इस बात का प्रतीक है कि प्रशासन कितना संवेदना-हीन है कि भूतपूर्व सदस्य के देहावसान की सूचना अब आई है । जिस अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है मैं उस अधिकारी की भर्त्सना करता हूं और माननीय नेता सदन से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वह प्रशासन को चुस्त करें। वर्षों सर्द बीत जाएं और हमें हमारे साथियों की जानकारी भी न मिले, कि उनका देहावसान हो गया है यह कितनी दुखद बात है ।

दूसरी बात मैं हरगोविन्द वर्मा जी के बारे में कहना चाहूंगा कि वह किस तरह से हमारे बीच से चले गये, हम दोनों को एक साथ कार्य करने का मौका मिला है । जनता पार्टी के समय में हम दोनों एक साथ सदस्य थे वह लोक सभा के सदस्य थे, मैं इस सदन का सदस्य था । मान्यवर, लखनऊ विश्वविद्यालय से एल0 एल0 बी0 की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह वकालत करने नहीं गए । उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन जनता की सेवा में लगा दिया । उनकी सेवा का मुख्य उद्देश्य किसान थे । उनका जीवन बहुत संघर्षशील रहा । यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि संघर्ष उनके जीवन की शैली बन गया था। हमारे साथियों में से एक ऐसा हीरा चला गया उसके जाने से संघर्ष की राजनीति को धक्का लगा है । यह मैंने पहले भी कहा कि जो आया है उसे जाना है, लेकिन हरगोविन्द वर्मा जी को जिस तरह से छीना गया वह प्रशासन की शान्ति व्यवस्था पर एक काला धब्बा है । वह जीवन के अन्तिम क्षणों तक जनता की सेवा में लगे रहे । मान्यवर, अनुग्रह नारायण सिंह जी तथा और बहुत से माननीय सदस्य उनकी शोक यात्रा में गये थे । वहां जो जनसमूह इकट्ठा हुआ वह उनकी लोकप्रियता की मिसाल है । जिन परिस्थितियों में वह हमारे बीच से चले गये वह बहुत ही दुखद है । शाम के समय पार्टी के काम से वह गांव से गये थे, उनके पास और लोगों की तरह कार और जीप तो थी नहीं, इसलिए वह मोटर साइकिल से पूरे क्षेत्र का दौरा किया करते थे तो मान्यवर उस दिन सायंकालीन वर्मा जी लहरपुर से चल दिए । एक कार्यकर्ता उनके साथ बैठा हुआ था उसको उन्होंने रास्ते में उतार दिया । उनका राजनीति स्तर पर कोई दुश्मन नहीं था । उनके कर्म और व्यवहार से कोई दुश्मन बना हो ऐसा भी नहीं था, तो मान्यवर, वह आ रहे थे उस समय अंधेरा हो गया था जब उनके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया उनका शरीर गोलियों से भून दिया गया । उनके शरीर को इतना विकृत कर दिया गया कि वह पहचाने भी न जा सकें । इस संबंध में जब मेरे पास फोन आया तो मैंने सोचा किसी ने शरारत की होगी । मैंने उसी समय एस0 पी0 को फोन किया उस समय एस0 पी0 के पास भी एक आदमी भागा-भागा आया था उसने बताया कि वर्मा जी सुबह-सुबह के लिये चले गये हैं । मैं तत्काल भागकर गया । सीतापुर से 7 कि0 मीटर पर सड़क के किनारे उनका धड़ पड़ा हुआ था । रात को साढ़े 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे की करीब उनकी हत्या हुई होगी । सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि एस0 पी0 को इस बात की जानकारी प्रातःकाल 8 बजे से पहले नहीं हो पायी थी । यह

कैसा शासन तंत्र है कि सड़क के किनारे उनका शव पड़ा रहा और किसी को इसकी जानकारी न हो सकी । मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि प्रकट करता हूं और शासन से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की गहरी जांच करायी जाय, उच्चस्तरीय जांच कराकर इस षडयंत्र का पर्दाफाश कराया जाय जिसने हरगोविन्द वर्मा जैसे जुझारु साथी को हमसे छीन लिया । उनकी हत्या के पीछे एक राजनैतिक षडयंत्र है । जो लोग राजनीतिक विरोध के कारण उनको अपने बीच से हटाना चाहते थे यह हत्या उनके षडयंत्र का परिणाम है कि हरगोविन्द वर्मा हमारे बीच से छीन लिये गये । मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर इन सभी भूतपूर्व सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस बात पर बल देना चाहता हूं कि शासन अपनी व्यवस्था को ठीक करे । शांति-व्यवस्था के नाम पर जो कलंक लगा हुआ है उसको धोने का प्रयास करे और षडयंत्रकारियों का पता लगाये । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की भूल न हो कि हमारे साथी हमारे बीच से चले जायं और सदन को इसकी जानकारी न मिल सके । इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार इन दिवंगत लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये आपसे निवेदन करूंगा कि हमारी संवेदनाओं को उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, मा0 ऋषि नारायण शास्त्री, माननीय अनिरुद्ध राय, मा0 लाल बहादुर सिंह, मा0 इम्तफा हुसैन, माननीय हरगोविन्द वर्मा, माननीय मंगल उपाध्याय, माननीय रघुवीर सहाय, मा0 रमेश वर्मा यह लोग आज हमारे बीच में नहीं रहे। यह लोग हमारे सदन के सदस्य रहे और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे । इनके प्रति माननीय नेता सदन और माननीय विपक्ष के नेताओं ने जो अपनी शोक संवेदना प्रकट की है मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से इन दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी श्रद्धांजलि को इन सभी महान विभूतियों के शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री इस्तीफा हुसैन, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय, श्री रमेश वर्मा के निधन के संबंध में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन तथा अन्य माननीय नेताओं ने प्रकट किये है उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुये उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि इन सबके शोक संतप्त परिवारों तक हमारी संवेदनाओं को पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, श्री ऋषि नारायण शास्त्री, हमारे जनपद के निवासी थे और मेरे ही क्षेत्र में विधान सभा के सदस्य थे । मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि उनका निधन लगभग 2 वर्ष पहले हुआ और इतने लम्बे काल के बाद हम उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर

*व्यक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहे हैं । जहां से यह गलती हुयी है उसकी छानबीन होनी चाहिये और जो इसके लिये जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिये । ऋषि नारायण शास्त्री से हम लोगों का व्यक्तिगत संबंध था । वह बहुत ही मृदुल स्वभाव के थे । वह जनता के कामों में बड़ी रुचि लेते थे यही कारण था कि वह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के विभिन्न पदों पर रहे और उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ सेवा की। उनका निधन सचमुच उस क्षेत्र की जनता के लिये एक बहुत ही दुखद घटना है और जनता की अपूर्णनीय क्षति हुयी है । मान्यवर, इस सदन के भूतपूर्व सदस्य श्री लाल बहादुर सिंह, श्री इस्तीफा हुसैन, श्री हर गोविन्द वर्मा, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय, श्री अनिरुद्ध राय, श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री रमेश वर्मा ये अपने-अपने क्षेत्र में लोकप्रिय थे और यही कारण था कि जनता ने उन्हें चुनकर यहां भेजा था । इन आठों महान विभूतियों के निधन से जो हमारे देश और प्रदेश में राजनैतिक रिक्तता हुई है, उसका पूरा होना सम्भव नहीं है । इन शब्दों के साथ माननीय नेता सदन, और अन्य नेताओं ने जो उद्गार और भावनाएं इन विभूतियों के प्रति प्रकट किये हैं, उसके साथ मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे और मेरे दल की ओर से संवेदना उनके शोक-संतप्त परिवार को भेजने की कृपा करें ।

*श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, स्वर्गीय श्री ऋषि नारायण शास्त्री, श्री अनिरुद्ध राय, श्री लाल बहादुर सिंह, श्री इस्तफा हुसैन, श्री हरगोविन्द वर्मा, श्री मंगल उपाध्याय, श्री रघुबीर सहाय, श्री रमेश वर्मा जी के सिलसिले में जो शोकोद्गार माननीय नेता सदन और अन्य नेताओं ने व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं उनके शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री वीर बहादुर सिंह–

मान्यवर, सबकी भावना है कि आज की कार्यवाही निधन के निर्देश के उपरांत स्थगित कर दी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो सूचनाएं हमारे बीच से माननीय सदस्यों के उठ जाने की साल-साल भर बाद आती हैं, यह शोभा नहीं देता है । हमारे बीच से माननीय ऋषि नारायण शास्त्री, माननीय अनिरुद्ध राय, माननीय लाल बहादुर सिंह, माननीय इस्तफा हुसैन, माननीय हरगोविन्द वर्मा, माननीय मंगल उपाध्याय, माननीय रघुबीर सहाय, माननीय रमेश वर्मा अब उठ गये। माननीय शास्त्री जी का जन्म वाराणसी में हुआ था । वह जिला वाराणसी से 1962 से 1967 तक कांग्रेस के सदस्य रहे । माननीय अनिरुद्ध राय जी जिला देवरिया में पैदा हुए थे। 1974 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुने गये थे । माननीय लालबहादुर सिंह जिला वाराणसी में पैदा हुए थे, 1952, 1956, 1962 एवं 1969 के निर्वाचनों में कांग्रेस से चुने गये थे । माननीय इस्तफा हुसैन जिला गोरखपुर में पैदा हुए थे और वह 1952 में कांग्रेस से चुने गये थे। 1957 में वह पुनः उ0 प्र0 विधान सभा के सदस्य चुने गये वर्ष 1966 से 1978 तक वह विधान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परिषद् के सदस्य भी रहे । वह शिक्षा, गृह तथा सूचना मंत्री के सभा सचिव भी रहे । 1973 से 1975 तक वह श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमण्डल में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे । माननीय हरगोविन्द वर्मा का जन्म सीतापुर में हुआ था । 1980 में वह जनता (एस) के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । 1977-80 की अवधि में वह लोक सभा के भी सदस्य रहे । माननीय उपाध्याय जी का देवरिया में जन्म हुआ था वे 1962 में कांग्रेस से चुने गये थे और उसके बाद दुबारा 1969 में कांग्रेस से चुने गये थे । माननीय रघुवीर सहाय बदायूं में पैदा हुए थे । वह 1946 से 1952 तक की अवधि में जिला बदायूं (पूर्व) से उत्तर प्रदेश विधान सभा के कांग्रेस दलीय सदस्य रहे । इसके पूर्व 1928-30 में वह यू0 पी0 लेजिस्लैटिव काउंसिल के सदस्य रहे । वह लोक सभा के भी सदस्य रहे । माननीय रमेश वर्मा जी आगरा में पैदा हुए थे । वह 1952 में आगरा के किराउली निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर विधान सभा के सदस्य बने थे ।

आप सबने जो विचार व्यक्त किया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं । मैं आप सबकी संवेदनाएं इन शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सब दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित करें ।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 35 मिनट पर गुरुवार दिनांक 25 फरवरी, 1988 के दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

दिनांक 24 फरवरी, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए ता0प्र0सं0–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 23 पर)

आगरा मण्डल के सहायक अभियन्ताओं की सूची, जो स्थानान्तरित किए गए

क्रम-सं0	सहायक अभियन्ता का नाम	कहां से	कहां को	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सर्व श्री			
1	रमाकान्त पाठक	मैनपुरी खण्ड निचली गंगा नहर, मैनपुरी ।	परिकल्प रुड़की से संशोधित,परिकल्प, लखनऊ ।	..
2	सुरेन्द्र कुमार शर्मा	तदैव (मुख्यालय शिकोहाबाद), मैनपुरी ।	परिकल्प, रुड़की	..
3	नरेश चन्द्र जैन	मध्य गंगा नहर निर्माण खंड-12, अलीगढ़ ।	अन0एवं नियो0 मंडल, इटावा ।	..
4	रमेश चन्द्र	सिंचाई खंड हाथरस ।	परिकल्प, रुड़की	..
5	सुशील कुमार जैन	माण्ट ब्रांच खंड गंगा नहर, मथुरा ।	परिकल्प, रुड़की	सी-366/ई-1, दि0 19-8-87 से मू0ग0 न0नि0 खण्ड-19, अलीगढ़ से सम्बद्ध ।
6	जुगल किशोर पाण्डया	नलकूप खंड, मैनपुरी	अनु0 एवं नियो0 जल सशाधन खंड ऋषिकेश ।	सी-741/ई-1, दि0 15-12-87 से स्थगन
7	हरिश्चन्द्र वार्ष्णेय	तदैव	नियोजन एवं परियोजना खण्ड, लखनऊ ।	..
8	जगवीर सिंह तालान	उपर खण्ड आगरा नहर मथुरा ।	परिकल्प, रुड़की	अग्रिम आदेशों तक स्थगित (सी-412/ई-1, दि0 3-9-87
9	मोती लाल जैन	सिचाई खण्ड, हाथरस ।	परिकल्प, रुड़की	ड्रेनेज खण्ड, हाथरस से सम्बद्ध किया गया।
10	कृष्ण मुरारी गुप्ता	ऊपरी गंगा नहर आधु0 विश्व बैंक खण्ड-2, अलीगढ़	अनु0 एव नियो0 विश्व बैंक, अलीगढ़ ।	..
11	उमाशंकर लवानिया	लोअर खण्ड आगरा नहर, आगरा ।	परिकल्प रुड़की	अपर खण्ड आगरा नहर मथुरा से सम्बद्ध सी-462/ई-1, दि0 8-10-87

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0–28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

भरौली माइनर पर किए गए प्रत्येक किमी0 वाइज धन व्यय सम्बन्धी मदवार विवरण

क्रमांक	वर्ष	प्रत्येक किमी0 वाइज	333अनु-रक्षण एवं मरम्मत कार्य पर व्यय	289 वाद कार्य पर व्यय	रा0ग्रा0रो0 कार्यक्रम	कुलयोग
1	2		3	4	5	6
1	1977–78		..	..	..	..
2	1978–79		..	..	..	..
3	1979–80		..	..	..	..
4	1980–81		..	..	..	..
5	1981–82					
		किमी0 01.00 से किमी002.00तक	..	.	3400.00	3400.00
		,, 2.00 से ,, 3.00	..		2300.00	2300.00
		,, 3.00 से ,, 4.00	..	..	..	..
		,, 4.00 से ,, 5.00	..	..	..	..
		,, 5.00 से ,, 6.00	..	..	..	..
		,, 6.00 से ,, 7.00	..	..	..	..
		,, 7.00 से ,, 8.00	..	.	2684.00	2684.00
		,, 8.00 से ,, 9.00	..	..	..	..
		,, 9.00 से ,, 10.00	..	..	..	..
		,, 10.00 से ,, 11.00	..	..	..	..
		,, 11.00 से ,, 12.00			2685.00	2683.00
		,, 12.00 से ,, 13.00	..	..	..	..
		,, 13.00 से ,, 14.00	..	..	2685.00	2685.00
		योग	..	..	13754.00	13754.00
6	1982-83		..	..	..	..
7	1983-84	किमी0 11.00 से किमी0 12.00 तक	..	1736.00	..	1736.00

मरौली माइनर पर वर्ष 1984–85 सम्बन्धित किमी0 वाइज व्यय का मदवार विवरण—

क्रमांक	प्रत्येक किमी0 वाइज	रख-रखाव पर व्यय		रा0ग्रा0रो0 गा0 कार्यक्रम	कुल व्यय
		333 अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य पर व्यय	289 बाढ़ कार्य पर व्यय		
1	2	3	4	5	6
1	0.00 से 1.00	7303.00	..	..	7303.00
2	1.00 से 2.00	7173.00	..	..	7173.00
3	2.00 से 3.00	7190.00	..	..	7190.00
4	3.00 से 4.00	6165.00	..	..	6165.00
5	4.00 से 5.00	6431.00	..	..	6431.00
6	5.00 से 6 00	6603.00		..	6603.00
7	6 00 से 7 00	6164.00	.	..	6164.00
8	7.00 से 8.00	6130.00			6130.00
9	8.00 से 9.00	5185.00	2823.00		8008.00
10	9.00 से 10 00	4831.00	2822.00	..	7653.00
11	10.00 से 11.00	..	4363.00	..	4363.00
12	11.00 से 12.00	..	..	..	..
13	12.00 से 13.00	1680.00	..	..	1680.00
14	13.00 से 14.00	..	..	..	..
15	14.00 से 15.00	2063.00	..	..	2063.00
16	15.00 से 16.00	..	..	..	..
17	16.00 से 17.00	..	..	..	..
18	17.00 से 18.00	..	..	..	..
19	18.00 से 18.40	..	..	..	..
	योग	66,918.00	10,008.00	..	76,926.00

भरौली माइनर पर वर्ष 85–86 से सम्बन्धित किमी0 वाइज मदवार व्यय का विवरण

क्रमांक	प्रत्येक किमी0 वाईज	रख-रखाव पर व्यय		रा0ग्रा0रो0 कार्यक्रम	कुल व्यय
		333 मरम्मत पर व्यय	289 अनरक्षरण एवं बाढ़ कार्य पर व्यय		
1	2	3	4	5	6
1	0.00 से 1.00	..	4601.00	..	4601.00
2	1.00 से 2.00 तक	..	4852.00	..	4852.00
3	2.00 से 3.00 तक	..	5046.00	..	5046.00
4	3.00 से 4.00 तक	..	3953.00	..	3953.00
5	4.00 से 5.00 तक	..	3834.00	..	3834.00
6	5.00 से 6.00 तक	..	2758.00	..	2758.00
7	6.00 से 7.00 तक	..	3905.00	..	3905.00
8	7.00 से 8.00 तक	..	3177.00	..	3177.00
9	8.00 से 9.00 तक	..	3070.00	..	3060.00
10	9.00 से 10.00	..	3433.00	..	3433.00
11	10.00 से 11.00	..	3370.00	..	3370.00
12	11.00 से 12.00	..	1962.00	..	1962.00
13	12.00 से 13.00	..	2992 00		2992.00
14	13.00 से 14.00	..	1611.00	..	1611.00
15	14.00 से 15.00	..	1087.00	..	1087.00
16	15.00 से 16.00	..	985.00	..	985.00
17	16.00 से 17.00	..	..	..	..
18	17.00 से 18.00	..	..	..	..
19	18.00 से 18.40	..	..	..	..
	योग:–	..	50,636.00	..	50,636.00

भरौली माइनर पर वर्ष 1986-87 से सम्बन्धित किमी0 वाइज मदवार व्यय का विवरण:-

क्रमांक	प्रत्येक किमी0 वाइज	रख-रखाव पर व्यय			कुल व्यय
		333 अनरक्षण एवं मरम्मत पर व्यय	289 बाढ़ पर व्यय	रा0ग्रा0रो0 गा0 कार्यक्रम	(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
1	0.00 से 1.00	13367.00	820.00	..	14187.00
2	1.00 से 2.00	16137.00	819.00	..	16956.00
3	2.00 से 3.00	16407.00	819.00	..	17226.00
4	3.00 से 4.00	11524.00	819.00	..	12343.00
5	4.00 से 5.00	13258.00	819.00	..	14077.00
6	5.00 से 6.00	12857.00	2041.00	..	14898.00
7	6.00 से 7.00	20282.00	610.00	..	20892.00
8	7.00 से 8.00	17071.00	610.00	..	17681.00
9	8.00 से 9.00	8709.00	3311.00	..	12220.00
10	9.00 से 10.00	8129.00	3545.00	..	11674.00
11	10.00 से 11.00	2383.00	2561.00	..	4944.00
12	11.00 से 12.00	1848.00	5093.00	..	6941.00
13	12.00 से 13.00	4100.00	..	..	4100.00
14	13.00 से 14.00	5972.00	..	..	5972.00
15	14 00 से 15.00	1093.00	1710.00	..	2803.00
16	15 00 से 16 00	1200.00	1710.00	..	2910.00
17	16.17 से 17.00	2313.00	..	..	2313.00
18	17.00 से 18.00	2312.00	..	..	2312.00
19	18.00 से 18.40	200.00	..	..	200.00
	योग	1,59,162.00	25,287.00		1,84,449.00

भरौली माइनर से रबी व खरीफ फसल में सिंचाई किए गए ग्रामों की सूची

जनपद आजमगढ़ .. 1—कैथवली
2—सुन्दरपुर
3—रसूलपुर
4—महिद्दीपुर
5—अरगुपुर
6—डीडूकैथवली
7—फत्तेपुर
8—डीहपुर
9—बेला
10—खेतापट्टी
11—संग्रामपुर
12—मीरजहांपुर
13—भटपुरा
14—दरियापुर
15—दुबरीपुर
16—ढाखीपुर
17—गोवाई
18—सुरावां
19—तिथुरा
20—चक गंजअलीशाह
21—रम्मीपुर
22—चरावां
23—मोहरा
24—पुरा तलवाऊ
25—बौरी
26—मेड़िया

जनपद जौनपुर .. 1—असरफपुर उसरहवा
2—मजडीहा
3—सबरहद
4—भरौली
5—अरन्द
6—जमदानीपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0से0--97 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

सेवा में,

श्री सहायक प्रबन्धक महोदय,
उ0प्र0 परिवहन निगम,
हरिद्वार।

महोदय,

निवेदन है कि कुम्भ मेले के दिनों में विभागीय बस अड्डे ऋषिकुल, चण्डीघाट के पुल के नीचे तथा खड़खडी में बनाए गए थे, जिससे गनतव्य स्थानों का सफर कई-कई मील कम हो गया था, कृपया जानकारी देने का कष्ट करें कि इस कारण किराए में क्या-क्या अन्तर किया गया था?

2--कुम्भ मेले में दसें चण्डीघाट पुल पर आई नही है, क्या फिर भी यात्रियों से पुल टैक्स वसूल किया जाता रहा है?

3--हरिद्वार डिपो की किसी एक बस का मेला वेहकिल टैक्स क्या था और उस बस द्वारा मेला समय में वेहकिल टैक्स कितना वसूल हुआ, कृपया बताने का कष्ट करें?

4--क्या विभागीय बसों द्वारा पुल टैक्स न दिए जाने पर भी यात्रियों से पुल टैक्स लिया ग या है और अब भी लिया जाता है?

कृपया उपरोक्त विषय में जानकारी देने का कष्ट करें।

आभारी हूंगा।

भवदीय,
ओम प्रकाश,
अध्यक्ष,
स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी बोर्ड,
हरिद्वार,
सर्राफा बाजार, ज्वालापुर।

दिनांक : 27 मई, 1986।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0-98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

संलग्नक-1

वित्तीय वर्ष 1986-87 में डैमरेज पर व्यय एवं वसूली राशि का जोन वाइज विवरण

खाता सांकेतिक पद/ खाता शीर्षक 28.811

क्रम-संख्या	जोन/परियोजनाओं के नाम	भुगतान की गई राशि रुपए	वसूल की गई राशि पिछले वर्ष के क्लेम मिलाकर
1	2	3	4
1	परीक्षा परियोजनना	10,000.00	12,753.00
2	टाण्डा परियोजना	..	..
3	हरदुआगंज परियोजना	44,981.00	8,501.55
4	पनकी परियोजना	42,628.00	15,342.10
5	ओवरा परियोजना	31,301.00	..
6	इलाहाबाद आंचल (पारेषण पूर्व) ..	162.00	..
7	मेरठ आंचल (पारेषण पश्चिम) ..	30,830.00	24,636.00
8	सामग्री प्रबन्ध आंचल लखनऊ ..	196,674.00	46,865.99
9	लखनऊ इलाहाबाद विद्युत प0प्र0आंचल लखनऊ ..	88,453.75	2,094.00
10	कानपुर विद्युत आदेश प्रशासन कानपुर ..	38,889.00	..
	कुल योग ..	4,83,918.75	1,10,192.64

संलग्नक-2

वित्तीय वर्ष 1987-88 (जून तक) में डैमरेज पर व्यय एवं वसूली राशि का जोन वाइज विवरण

खाता सांकेतिक पद/खाता शीर्षक 28.811

क्रम-सं0	जोन/परियोजनाओं के नाम	भुगतान की गई	वसूल की गयी राशि व पिछले वर्षों के क्लेम मिलाकर
1	2	3	4
1	सामग्री आंचल प्रबन्ध, लखनऊ ..	64,971.00	10,967.00
2	पनकी परियोजना	..	308.00
	कुल योग ..	64,971.00	11,275.00

पी0एस0यू0पी0-एल0 409 वि0 सभा (725)--1988-8131